खण्ड-112, अंक-3
बुधवार, 23 आश्विन, शक संवत् 1874
(15 अक्टूबर, 1952 ई0)

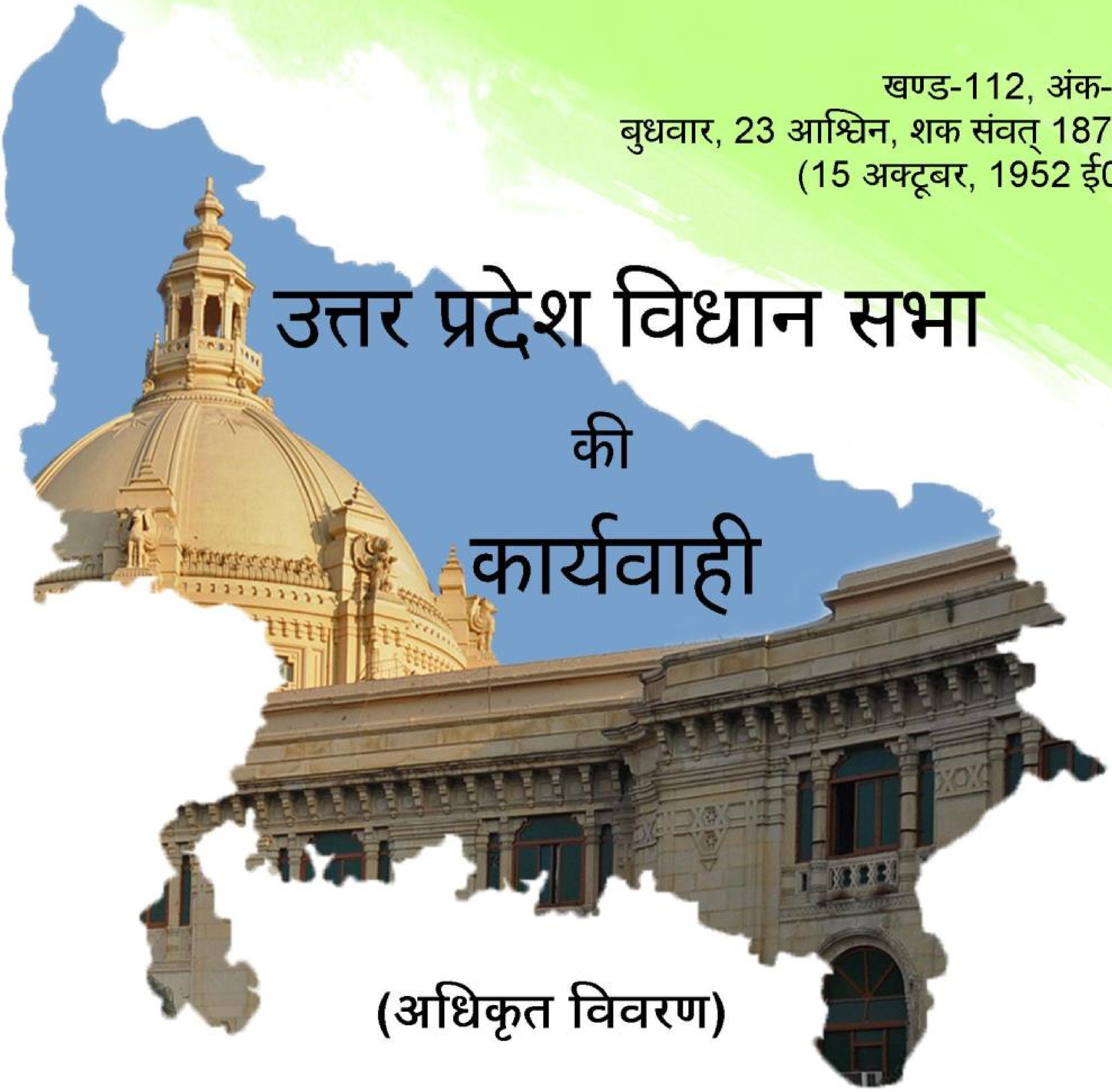

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 112 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय
१ अप्रैल १९५४
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १५ अक्तूबर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरन टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
ज़ोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द ,श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डे, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन , श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री

विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण , श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम रतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री

रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम, सिंह श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्री
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज वली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर, मिश्र श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री

हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

विधान सभा पुस्तकालय

प्रश्नोत्तर

[१० अक्तूबर, १९५२ के गृह मन्त्री के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

* * * * *

नैपाल राज्य की अव्यवस्थित दशा का उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रभाव

*७—श्री देवकीनन्दन विभव (ज़िला आगरा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में नैपाल में जो अव्यवस्था हुई है उसमें इस प्रदेश की सीमा पर इस प्रदेश के नागरिकों को कोई हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

*८—नैपाल की अव्यवस्था से इस प्रदेश की सीमान्त क्षेत्र को जो ख़तरा है, उसमें शान्त और व्यवस्था क़ायम रखने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जनहित में इन प्रश्नों का उत्तर देना उचित न होगा ।

सन् १९५१ में दफ़ा १०९ के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

*९—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ ई० में प्रदेश में कितने आदमी १०९ दफ़ा में गिरफ्तार हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१०,००४ ।

इन्स्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिज़न्स के लखनऊ स्थित कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति के नियम

*१०—राजा वीरेन्द्रशाह (ज़िला जालौन)—क्या जेल मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इन्स्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स, उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कार्यालय में एप्रूव्ड लिस्ट वाले स्थायी सहायक (assistants) कितने हैं और उनको स्थायी बनाने के संबंध में क्या नियम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इंस्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स, उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कार्यालय में एप्रूव्ड लिस्ट वाले २२ अस्थायी सहायक (assistants) हैं। जब जब स्थायी जगहें खाली होती हैं, तब तब सेवा की प्राथमिकता (seniority of service) के आधार पर अस्थायी सहायकों को स्थायी किया जाता है अगर उनका काम और आचरण अच्छा रहा है ।

*११—राजा वीरेन्द्र शाह—क्या जेल मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि इंसपेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में कार्य करने के लिये सहायकों (assistants) की नियुक्ति की यह शर्त है कि सहायकों की लम्बाई ५–१/२ फुट और छाती ३२ और ३४ इन्च हो ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आज कल ऐसी कोई शर्त नहीं है ।

*१२—राजा वीरेन्द्र शाह—क्या जेल मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि सन् १९४९ ई० से अब तक कितने असिस्टेंट जेलर नियुक्त किये गये और उनमें से कितने स्थायी और कितने एप्रूव्ड लिस्ट वाले अस्थायी सहायकों में से चुने गये और क्या यह चुनाव योग्यता और सेवा की प्राथमिकता (seniority of service) के आधार पर किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९४९ ई० से अब तक कुल ६२ असिस्टेंट जेलर नियुक्त किये गये। इंस्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स के कार्यालय के स्थायी सहायकों (permanent assistants) में से कोई नहीं चुना गया। सन्१९४९ ई० तक असिस्टेंट जेलरों और इंस्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स के कार्यालय के सहायकों के चुनाव के लिये एक ही (common) परीक्षा होती थी, और उसके आधार पर एक मिली जुली सूची (one combined approved list) सहायकों और असिस्टेंट जेलरों की नियुक्ति के लिये बनायी जाती थी । इस मिली, जुली सूची में से ९ उम्मीदवार जो इंस्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स के कार्यालय में अस्थायी सहायकों के पदों पर काम कर रहे थे, असिस्टेंट जेलर बना कर जेलों को भेजे गये । उनकी नियुक्तियां सेवा की प्राथमिकता (seniority of service) के आधार पर नहीं बल्कि केवल योग्यता (merit) के आधार पर की गयी थी।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ९ व्यक्ति जो असिस्टेंट सहायक चुने गये हैं उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी योग्यता में कमी है और वह ले लिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । मैं यही मानता हूं कि जो भी लिये गये उनकी योग्यता पूरी थी ?

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि अभी हाल में जो ९ असिस्टेंट जेलर चुने गये हैं उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी है जो असिस्टेंट जेलर चुना गया और उसकी योग्यता नहीं है तथा वह लखनऊ जेल में है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जरूर ही जांच कराऊंगा यदि कोई सूचना माननीय सदस्य के पास हो और वह उसे दे दें तो मदद मिलेगी ।

शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार के अन्तर्गत चोरियां

*१३—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सदर बाजार शाहजहांपुर के थाने के हलके में पिछले ६ माह में कितने गजटेड आफ़िसरों के यहां या उनके आउट हाउसेज में चोरियां हुईं और उनमें क्या क्या माल गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४९ पर।)

श्री भगवान सहाय—क्या मानीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि जो सूचना भेजी है उसमें ४ गजटेड अफ़सरों के अलावा श्री आर० एन० मिश्र, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, श्री शेर सिंह सेल्स टैक्स आफ़िसर, मि० दत्ता, आई० ए० एस० , चौधरी भारत सिंह, असिस्टेंट कस्टोडियन, एस० डी० पन्त, डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ़ स्कूल्स, डा० भन्डारी, सिविल सर्जन, श्री रन्जीत सिंह सिटी मैजिस्ट्रेट , और श्री शुक्ला व श्री चन्द्र मल, ट्यूबवेल वाले, इन लोगों के यहां भी उन्हीं दिनों में चोरी हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर यह हमारी जानकारी में होती तो मैं उत्तर में कह देता।

*१४—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार को इस बात का पता है कि अभी हाल में सदर बाजार शाहजहांपुर के थाने के सामने एक होटल में नक़ब लगा कर चोरी हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—थाने के सामने मानसरोवर होटल में नक़ब अवश्य लगी किन्तु कोई माल चोरी नहीं गया ।

श्री भगवान सहाय—क्या मानीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि थाने में हमेशा एक सन्तरी मौजूद रहता है और उसके रहते हुये भी मानसरोवर होटल में चोरी हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जरूर रहता होगा और चोरी हुई, यह तो मैंने प्रश्न १४ के उत्तर में कहा ही है ।

सीतापुर जिले में छिहाला के तालाब से श्री रामेश्वर दयाल की लाश की बरामदगी

*१५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि एक लाश छिहाला के तालाब में जो कि थाना सदरपुर, जिला सीतापुर के अन्तर्गत है, २० जुलाई १९५२ ई० को बरामद हुई, और उस लाश के कपड़ों से दो प्रार्थना पत्र जो असरफपुर गांव सभा के प्रधान के नाम थे, भी मिले ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

*१६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या यह सत्य है कि प्रार्थना-पत्रों के बरामद होने पर भी स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने लाश को लावारिस बताकर पोस्टमार्टम के लिये सीतापुर भेज दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—स्थानीय पुलिस ने लाश पहिचनवाने की भरसक कोशिश की परन्तु वह निष्फल रही । बरसात के कारण लाश सड़ने लगी थी । इसलिये उसको सीतापुर पोस्ट-मार्टम के लिये भेज दिया गया ।

*१७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या यह सत्य है कि वह लाश श्री रामेश्वर दयाल वैद्य सा० पलिया खुर्द जो कि गांव सभा असरफपुर के प्रधान और जिला कांग्रेस कमेटी सीतापुर के सदस्य थे, की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

जगदीश शूगर मिल कठकुइयां, देवरिया की देखभाल

*१८—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या उद्योग मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि जगदीश शुगर मिल, कठकुइयां, देवरिया जिलाधीश देवरिया की देख-रेख में है, परन्तु आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार जिलाधीश को नहीं है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) हाँ,

(ख) ऐसा कोई आदेश नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि यह कब से सरकार के नियंत्रण में है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके संबंध में ७ नवम्बर, सन् ५० को सरकारी विज्ञप्ति निकली थी ।

श्री गेंदा सिंह—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतलावेंगे कि सरकारी नियंत्रण में आने के बाद ही इस फैक्टरी की माली हालत खराब हुई है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इस समय सारा ब्योरा तो नहीं दे सकता परन्तु माननीय सदस्य को याद होगा कि मैंने उत्तर में बताया था कि पिछले ४-५ वर्षों के जो एकाउन्ट निकले हैं उनसे मालूम होता है कि पहले से हालत अच्छी है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि इसका सारा प्रबन्ध यहां के कन्ट्रोलर श्री अविरुद्धप्रताप नारायण सिंह की देखरेख में रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, विज्ञप्ति में वही कंट्रोलर नियुक्त किये गये हैं।

श्री जगन्नाथमल—क्या सरकार को पता है कि यहां के कन्ट्रोलर महोदय ने २० हजार रुपया कितने ही अफ़सरों के नाम इनाम लिखकर खुद ले लिया है और अधिकारियों में इस बात को लेबर कमिश्नर के सामने मंजूर किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, हाल में ऐसी शिकायत आई।

रिकैपर, डिकेपर तथा टर्नओवर के लाइसेंस के सम्बन्ध में सरकारी प्रादेश

*१९—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि १५ जून, सन् १९३३ ई० के जी०ओ० में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह हुक्म दिया था कि रिकैपर (Recaper) डिकेपर (Decaper) और टर्नओवर (Turn over) रखने के लिये लाइसेंस की जरूरत नहीं है ? क्या अब भी यही कानून जारी है ? यदि नहीं, तो क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। पर उक्त जी०ओ० गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की २५ मई, सन् १९३३ ई० की विज्ञप्ति के आधार पर यू० पी० गवर्नमेंट ने जारी किया था। अब भी यही कानून जारी है।

राज्य में इकोनोमी कमेटी की आवश्यकता

*२०—श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार का इरादा है कि वह इस प्रदेश में खर्च को घटाने और काम में efficiency पैदा करने के लिये कोई Economy Committee बिठाये ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय कोई ऐसा इरादा नहीं है। कोई विशेष अवसर इसके लिये मालूम नहीं होता।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या यह वाकया नहीं है कि सूबे की माली हालत को ठीक करने के लिये हमें बहुत से टैक्स लगाने पड़ रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

* * * *

*२४—२६—श्री नवल किशोर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ १९९ पर]

कानपुर में अमृत-पत्रिका विरोधी आन्दोलन

*२७—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर में जनता के एक भाग द्वारा इलाहाबाद की ५ अगस्त की 'अमृत पत्रिका' में छपे किसी प्रसंग के विरुद्ध कार्यवाही की जाने की मांग करने वाले आन्दोलन की पूर्व सूचना सरकार को मिल गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सरकार को इस आंदोलन की पूर्व सूचना किस प्रकार मिली ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार के इसके लिये कई साधन हैं, उसके गुप्तचर भी हैं और जिलों से रिपोर्टें भी आती हैं उन सभी तरीकों से सरकार को यह सूचना मिली ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस सिलसिले में कुछ आदमी फरार भी हैं ? और सभी इस समय तक गिरफ्तार नहीं हो पाये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय मैं इसके बारे में ठीक नहीं कह सकता ।

*२८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह कृपा कर बतलायेगी कि उपर्युक्त स्थिति की प्रारंभ में ही रोकने के लिये अधिकारियों द्वारा क्या-क्या प्रयत्न किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिलाधीश ने आंदोलन के एक प्रभावशाली नेता के पास पुलिस का एक अफसर भेजकर पूरी स्थिति समझाकर आंदोलन को रुकवाने की कोशिश की परन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ ।

*२९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेग कि उपर्युक्त पत्र-विरोधी आंदोलन में प्रदेश भर में अलग-अलग केन्द्रों में कितनी-कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस संबंध में निम्नलिखित गिरफ्तारियां हुई थीं। बरेली ४, कानपुर २०४, शाहजहांपुर १, लखनऊ १५६, और इलाहाबाद ४९ ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई हैं उन लोगों में से कितनों पर मुकद्दमें चल रहे हैं, कितने छूट गये और कितनों को कितनी-कितनी सजा हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस ब्योरेवार उत्तर के लिये सूचना चाहिये ।

सिकन्दराराऊ थाना, जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत क़त्ल और डकैतियां कत्ल और चोरियां

*३०—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ थाना (जिला अलीगढ़) में १ जूलाई, सन् १९५१ से ३१ जुलाई १९५२, तक कितनी डकैतियां, कत्ल एवं चोरियां हुई ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना इस प्रकार है ?

डकैटी—२

कत्ल—८

चोरियां—८२

श्री नेकराम शर्मा—ये जो इतनी डकैतियां और कत्ल सिकन्दराराऊ थाने में हुये क्या इनके संबंध में पुलिस से कोई जवाब तलब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पुलिस ने कोई जुर्म कराये या डकैतियां कराई। इसलिये उनसे जवाब तलब करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। उनका काम तफ़सील करने का है जो वह करते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या इन बढ़ते हुये जुर्मों की रोकथाम के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई या बनाने पर विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे प्रश्नों का उत्तर कई बार सदन में दिया जा चुका है। अध्यक्ष कभी एकाध घंटे का समय दें तो पूरी बात बता सकता हूं।

*३१—श्री नेकराम शर्मा—जुलाई, सन् १९५१ से ३१ जुलाई, सन् १९५२ तक जो जुर्म सिकन्दराराऊ थाने में हुये उन में कितने अभियुक्त सजायाब हुये और कितने छूटे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—११ अभियुक्त सजायाब हुये और ११ छूटे।

श्री नेकराम शर्मा—ये बाकी कत्ल के मामलों में मुकद्दमे क्यों नहीं चलाये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—काफी सबूत नहीं मिल सका।

१९५१-५२ में लखनऊ में क़त्लों की संख्या

*३२—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५१-५२ में लखनऊ शहर में कितने कत्ल हुये और कितने कत्ल केस चलाये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लखनऊ शहर में सन् १९५१ में १२ कत्ल हुये जिनमें से ६ में मुकद्दमे चलाये गये। सन् १९५२ में ९ सितम्बर तक १० कत्ल हुये जिनमें से ३ में मुकद्दमे चल रहे हैं।

* * * *

मैनपुरी जिले में क़त्ल

*३५—श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९५१ में व जून, सन् १९५२ तक कितने कत्ल हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५१ में २२ कत्ल और जून, सन् १९५२ तक ६ कत्ल हुये।

*३६—श्री शिववक्ष सिंह राठौर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कत्ल किस किस संबंध में हुये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह कत्ल बुरे चाल चलन, अनुचित प्रेम-बैर-भाव तथा भूमि से संबंधित झगड़ों के कारण हुये। कुछ कत्ल के कारणों का अभी पता नहीं चल सका क्योंकि उनकी जांच हो रही है।

*३७—श्री शिववक्ष सिंह राठौर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने मामले चले और उनमें से कितने में सजा हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५१ में कुल १४ मुकदमे चले जिनमें से तीन में सजा हो चुकी है। सन् १९५२ में जून तक ४ मामले चले जिनमें तीन अभी अदालत में चल रहे हैं और एक छूट गया।

श्री शिवबक्ष सिंह राठौर---क्या कत्ल के केस में कोई ऐसा भी केस है जिसमें डाक्टर और पुलिस अधिकारियों में इस बात पर मतभेद हो कि यह कत्ल किया गया है या आत्म-हत्या की गयी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त इसका इतना ब्योरा तो मेरे पास नहीं लिखा हुआ है।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जितना जिन थानों मे अपेक्षाकृत कत्ल या डकैतियां बढ़ जाया करती हैं पिछले सालों से, वहाँ के अधिकारियों के लिये कोई दंड की व्यवस्था रखी गयी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। दंड की व्यवस्था एकाएक नहीं पैदा होती। उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि इसका ख्याल रखना चाहिये।

* * *

कानपुर में मज़दूरों के हातों का सुधार तथा टट्टियों की मरम्मत

*५२---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड की टट्टियों की मरम्मत के लिये कितना रुपया सरकार ने दिया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार ने आहाता सुधार के लिये सन् ५१-५२ व ५२-५३ में ५०,००० रुपये प्रति वर्ष की धनराशि बजट में रक्खी थी।

*५३---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार को यह पता है कि कितने हाते जिसमें मजदूर रहते हैं ठीक कराये गये? उन हातों के नाम क्या हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सन् १९५१-५२ में कानपुर के २६ हातों का सुधार कराया गया था। उन हातों के नाम नत्थी में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५० पर।)

*५४---श्री गंगा प्रसाद---क्या यह सच है कि मजदूरों के लिये जो डेवलेपमेंट बोर्ड ने टट्टियां बनाई थीं वह अभी तक चालू नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन टट्टियों को शीघ्र चालू करने की आज्ञा प्रदान करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं केवल दो हातों को छोड़ कर सब हातों की टट्टियां प्रयोग में लाई जा रही हैं। उन दो हातों की टट्टियों के बनवाने में कुछ कमी रह गई है। काम पूरा हो जाने पर शीघ्र ही वे टट्टियां भी प्रयोग में लाई जावेंगी।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो टट्टियां बनवायी गयी हैं उनमें रोशनी का प्रबंध है या नहीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह मैं ठीक नहीं कह सकता।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो दो टट्टियां नहीं चालू की गई हैं वे कौन से हाते की हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं कि जो सूची माननीय सदस्य को दी गयी है उसको वे देखें तो उससे यह बात अपने आप मालूम हो जायेगी।

श्री गंगाप्रसाद—जो सूची दी गयी है उससे यह साफ नहीं जाहिर होता है कि कौन सी टट्टियां हैं।

अध्यक्ष—तो समझ लीजिये कि गृह मंत्री जी को मालूम नहीं है। वे इसके लिये आपसे नोटिस चाहेंगे।

गोरखपुर एवं देवरिया में चोरी तथा डकैतियां

*५५—श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९५२ से ३१ जुलाई, सन् १९५२ टक गोरखपुर जिला एवं देवरिया जिले के थाना रुद्रपुर में कितनी चोरी, डकैती और राहजनी हुई और सब में कितनी अलग-अलग सम्पत्ति का ह्रास हुआ है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—थाना रुद्रपुर में जनवरी, सन् ५२ से जुलाई ३१, सन् ५२ तक एक भी डकैती और राहजनी की घटना नहीं हुई। चोरी की ३५ घटनाओं की रिपोर्ट हुई जिनमें ५,३६५ रु० ८ आने की सम्पत्ति का नुक्सान हुआ।

श्री केशव पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो चोरियां हुई हैं उनमें से कितनों को सजा हुई और कितने छूट गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, ७ आदमियों की चोरियां हुईं? एक आदमी को सजा हुई और ६ आदमियों पर अभी मुकद्दमे चल रहे हैं।

श्री केशव पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी रुद्रपुर थाने की असली जानकारी के लिये कोई गैरसरकारी समिति नियुक्ति कर सकते हैं, जांच के लिये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—रुद्रपुर से जो रिपोर्ट आयी है जब तक वह गलत साबित न हो जाय तब तक दूसरी जांच कराने की कोई बात नहीं है।

* * *

ग्राम नारायणपुर दोयम, गोरखपुर में गांधी चबूतरे का पुनर्निर्माण

*५७—श्री केशव पाण्डेय—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के पिपराइच थाने में नारायणपुर दोयम ग्राम में सन् १९४९ का पंचायत द्वारा बना गांधी-चबूतरा और आम का वृक्ष जबरदस्ती काट कर फेंक दिया गया है? सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। ऐसा करने के आरोप के संबंध में एक रिपोर्ट उस ग्राम के सज्जन सभापति नामी ने बन्धू लोनिया के खिलाफ तहसीलदार के कोर्ट में लिखाई बन्धू लोनिया ने अपना कसूर माना और माफी मांगी। मामले का समझौता इन शर्तों पर हुआ कि बन्धू वैसा ही एक चबूतरा बनाने के लिये २० वर्ग फीट जमीन देगा उस जमीन के पास एक पंचायत-घर बनाने के लिये १० एकड़ जमीन और देगा।

*५८—६०—श्री शिवकुमार मिश्र (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ १९९–२०० पर]

अमृत पत्रिका में प्रकाशित आपत्तिजनक चुटकुले के विरुद्ध कानपुर में प्रदर्शन

*६१—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या यह सच है कि कानपुर के जिला अधिकारियों ने अमृत-पत्रिका में छपी हुई एक आपत्तिजनक विवरण के विरोध में आंदोलन तथा प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी थी? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*६२---श्री देवदत्त मिश्र---क्या सरकार को यह मालूम है कि गत १३ अगस्त को पाकिस्तान के गवर्नरजनरल ने रेडियो ब्राडकास्ट द्वारा २४ अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में एशिया में रहने वाले सभी मुसलमानों से जिसमें भारत के मुसलमान सम्मिलित हैं, यह दिवस अनन्दोत्सव के रूप में मनाने की अपील की थी और उसीके परिणामस्वरूप कानपुर के कुछ मुसलमानों ने जो अमृतपत्रिका की घटना को लेकर १२ अगस्त से हड़ताल मना रहे थे अचानक १४ अगस्त को अपनी अपनी दूकानें खोल दीं और उस दिन पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर जश्न मनाये गये और दावतें दी गई पर १५ अगस्त को अर्थात् भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस पर फिर कानपुर के उन्हीं मुसलमानों ने मुहर्रमी बाना पहन लिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पाकिस्तान के १३ अगस्त के रेडियो ब्राडकास्ट के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है। यह सच है कि १३ अगस्त को मुसलमानों ने कानपुर में हड़ताल मनाई परन्तु १४ अगस्त को उनकी अधिकतर दुकानें खुली थीं। १५ अगस्त को सब मुसलमान खुले दिल से स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुये।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या यह सच नहीं है कि १५ अगस्त के कई दिन पहले से ही कानपुर में काले झंडे उठाने का आंदोलन चल रहा था और प्रदर्शन हो रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। उसके एकाध दिन पहले यह बात हुई थी।

श्री देवदत्त मिश्र---यह जानते हुये क्या सरकार की तरफ़ से कोई कोशिश इन प्रदर्शनों को रोकने की की गई।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां दफ़ा १४४ लगी वहां प्रदर्शन नहीं हुये और किसी ने १४४ तोड़ी तो उस पर मुकदमे चलाये गये।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि किस किस शहर में गत अगस्त में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में दावतें और जश्न मनाये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पाकिस्तान के संबंध में कहां कहां जश्न मनाये गये, इसकी कोई सूचना नहीं है।

*६३---श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद)---(अनुपस्थित) [देखिये आगे पृष्ठ २०० पर]

* * * *

हिसामपुर, ज़िला जौनपुर के श्री कालीचरण भर की हवालात में मृत्यु

*६५---श्री बाबू नन्दन (ज़िला जौनपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर ज़िला के केराकत तहसील में कालीचरण भर ग्राम हिसामपुर का जो थाना चन्दवक के अन्दर तारीख ३ अगस्त, १९५२ ई० को मरा उसकी मृत्यु का कारण क्या था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---काली चरन शिव बदन सिंह के घर में रात के ८ बजे मकान की छत पर औरतों द्वारा छिपा हुआ देखा गया। शोर मचाने पर वह भागा और सीढ़ियों से लुढ़क पड़ा। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया मारा, पीटा और उसको थाने पहुंचाया।

दूसरे दिन प्रातःकाल वह हवालात में ४ बजे मरा हुआ पाया गया। विश्वास किया जाता है कि उसकी मृत्यु सीढ़ियों पर गिरने की चोट और गांव वालों की मार पीट के कारण हुई।

*६६—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मृत्यु के बाद किस आफिसर द्वारा जांच कराई गई थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री शाह अजीज अहमद डिप्टी कलेक्टर ने जांच की थी।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतालाने की कृपा करेंगे कि शाह-अजीज अहमद ने मृत्यु तथा चोट के संबंध में क्या रिपोर्ट दी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डाक्टर की रिपोर्ट के बाद इन डिप्टी साहब ने क्या रिपोर्ट दी इसका ब्यौरा तो मेरे पास नहीं है।

*६७—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसका पोस्ट मार्टम हुआ? यदि हुआ तो कौन कौन सी चोट सिद्ध हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। उसके शरीर पर अनेकों घाव (contusions) और खराशें (Abrasions) पाई गई जिनमें से एक के सिवाय सब मामूली चोटें थीं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक्टर ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का क्या कारण लिखा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डाक्टर की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मेरे सामने है उसमें लिखा है—

"In my opinion the cause of death is 'syncope' due to shock and haemorrhage resulting from the injury sustained by the deceased."

[मेरी राय में मृत्यु के कारण सदमे के कारण मूर्च्छा और मृत व्यक्ति का चोट के परिणाम स्वरूप रक्तस्राव हैं।]

उसमें जो चोट लगी थी उसकी वजह से खून बहा और धक्का लगा उसकी वजह से सिनकोप हो गया और उसकी वजह से मृत्यु हो गई।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शरीर के किस हिस्से में मामूली चोट थी और कौन से में गहरी और वह किस हथियार की मार से?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो बहुत ब्योरे का सवाल है। यह यहां नहीं पूछा जा सकता।

* * *

दातागंज, जिला बदायूं में श्री अनोखे लाल सोनार की रहस्यमय मृत्यु

*७९—श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं)—क्या गृह मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि लगभग डेढ़ मास हुआ कि श्री अनोखे लाल सोनार साकिन कस्बा दातागंज, थाना दातागंज, जिला बदायूं का मृतक शव रस्सी में बंधा हुआ गंगा सहाय बारी निवासी कस्बा दातागंज जिला बदायूं के मकान में पाया गया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री चुन्नीलाल सगर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस ने इस हत्या के संबंध में अपनी क्या रिपोर्ट दी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस मकान में लाश पायी गयी, जो अब तक पता लगा है वह यह है कि उस मकान में कुछ ऐसी महिलायें थीं जिनसे उसका अनुचित संबंध था। संदेह इस बात का है कि घर वालों ने उससे दुखित हो कर मार डाला। मैं इनका जिक्र नहीं करना चाहता था क्योंकि कुछ महिलाओं का जिक्र था। इस वजह से मैंने गोल जवाब दिया था।

*८०—श्री चुन्नी लाल सगर—क्या उक्त शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सिविल सर्जन, बदायूं ने दी है? यदि हां तो उसमें मृत्यु का क्या कारण बताया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, शव के सड़ जाने के कारण मृत्यु का कारण निश्चित नहीं किया जा सका है।

* * * * *

*८५—८७—श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—[वापस लिये गये।]

* * * * *

पी० टी० सी० के लिए राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र

*८९—श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पी० टी० सी० के चुनाव में इस वर्ष कुल कितने प्रार्थना पत्र आये और उनमें से कितने प्रार्थना पत्र राजनीतिक पीड़ितों के हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पी० टी० सी० के चुनाव के लिये इस वर्ष कुल १९७१ प्रार्थना पत्र आये जिनमें २६४ राजनीतिक पीड़ितों के हैं।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार ने इनके राजनीतिक पीड़ित होने की वास्तविकता की जांच करा ली है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*९०—श्री दलबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जांच में कितने राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना पत्र साबित हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मेरी जानकारी है २६४, सभी ठीक पाये गये।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार वास्तविक राजनीतिक पीड़ितों की सूची बनवाने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूची बनाने में जो व्यय और श्रम होगा उसकी अपेक्षा लाभ नहीं देख पड़ता अतः यह प्रयत्न अनावश्यक होगा।

* * * * *

*९२—९४—श्री गंगाधर मैवाणी (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २००–२०१ पर]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

अलीगढ़ में दशहरे के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगा

*१—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ में दशहरे के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगा किस कारण से हुआ और उससे जान व माल का कितना नुक्सान हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अलीगढ़ में २८ सितम्बर को अकस्मात ही दंगा हो गया। झगड़े का कारण यह था कि एक मुसलमान दूकादार ने एक हिन्दू को, जिसको एक दूसरे हिन्दू ने उसकी सोडावाटर की बोतलों पर ढकेल दिया था, पीटा। इस पर दोनों ओर से भीड़ इकट्ठा हो गई और मार पीट हुई। कुल १६ आदमियों के चोट आई जिनमें से एक अस्पताल में मर गया। माल का कोई नुक्सान नहीं हुआ ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस झगड़े में क्या-क्या हथियार इस्तेमाल किये गये और उन हथियारों को जब्त किया गया या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ तो घूंसों से काम लिया गया उनको जब्त करना मुश्किल है। कुछ ईंट पत्थरों से काम लिया गया उनको भी नहीं जब्त किया जा सकता। कुछ लकड़ियों से काम लिया गया। वह मिल नहीं सकीं। लेकिन एक आध केस में गोली भी चली। लेकिन अभी उसकी जांच हो रही है कि कहां से और किसने चलायी।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में जो कम्युनलिज्म फैला हुआ है उसको रोकने के लिये कोई खास व्यवस्था वहां की गयी है या अब करने पर विचार किया जायगा ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कम्युनलिज्म को रोकने को तो पूरी व्यवस्था की जाती है लेकिन जब दो हिन्दू लड़ पड़ें तो उसके लिये क्या व्यवस्था की जाय, यह कहना बड़ा कठिन है।

*२—श्री रमेश वर्मा—इस झगड़े में कितनी गिरफ्तारियां हुईं और कितने मामले चलाये जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल १५ गिरफ्तारियां हुईं। चार मामले रजिस्टर किये गये जिनकी अभी तहक़ीकात हो रही है।

*३—श्री रमेश वर्मा—क्या इस झगड़े से संबंधित बातों पर सरकार एक वक्तव्य मेज़ पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझती ।

तारांकित प्रश्न

रिक्शा चलाने का कुलियों पर अभाव

*१—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या स्वशासन मंत्री जी ने विशेषज्ञों की सम्मति ली है कि रिक्शा चलाने का कुलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनमें मृत्यु संख्या की औसत क्या है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां, इस संबंध में राय ली गई है। मृत्यु संख्या की औसत का कोई लेखा उपलब्ध नहीं है ।

*२—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या स्वशासन मंत्री रिक्शों की संख्या की बढ़ोतरी रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का विचार करेंगे ।

श्री मोहनलाल गौतम—रिक्शों की संख्या को रोकना एक आर्थिक समस्या है। ऐसा करने से बहुत से गरीब लोग जो इस पेशे से रोजी कमाते हैं बेकार हो जायेंगे ।

*३-४—श्री जगन्नाथबख्श दास (जिला बाराबंकी)—(अनुपस्थित) [देखिये आगे पृष्ठ २०१-२०२ पर]

गोंडा स्टेशन पर एक रोगी की दयनीय दशा

*५—श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)—क्या यह बात सत्य है कि १३ जून को एक मुसाफिर बहराइच से ९ बजे की गाड़ी से गोंडा आया और २४ घंटे तक वह मरीज स्टेशन पर पानी में भीगता रहा और फिर जनता के कहने पर वहां से सिविल अस्पताल भेजा गया ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—ऐसा कोई गरीब सिविल अस्पताल गोंडा में भर्ती नहीं हुआ ।

*६—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि मरीज की वहां पर कितने घंटे बाद मृत्यु हुई ?

श्री बनारसीदास—प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिकन्दराराव चुंगी की मोटरों के खर्च पर आपत्ति

*७—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जिले एवं तहसील के अफसरों द्वारा सिकन्दरा राव चुंगी की मोटरों के प्रयोग करने एवं उन पर किये गये खर्च पर आडिटर महोदय ने कोई एतराज किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम—आडिटर ने जिला और तहसील के अफसरों द्वारा सिकन्दरा राव की चुंगी की पिकप के प्रयोग करने पर कोई एतराज नहीं किया है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की कोई जांच करायेंगे कि म्युनिसिपैलिटी का जो पिकप और स्टेशन वैगन है, सिकन्दरा राव के सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस सुझाव पर मैं गौर करूंगा ।

रामपुर की अवक्रान्त नगरपालिका का बिजली की लालटेनों पर व्यय

*८—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर की सुपरसीडेड नागरपालिका द्वारा बिजली की नयी लालटेनें, जैसी कि स्टेशन रोड पर लगाई जाना आरम्भ किया जा चुका है, किस संख्या में तथा कितने मूल्य में क्रय की गयी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—४० । इनका मूल्य १५,५०६ रुपया ८ आना है ।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २५० वाट वाली लालटेनों का मूल्य क्या है और ४५० वाट वाली लालटेनों का मूल्य क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम—२५० वाली लालटेनों का मूल्य ३८० रु० फ़ी लालटेन है और ४५० वाली लालटेनों का मूल्य ४१४ रु० १ आना है।

*९—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मूल्य के अतिरिक्त कितना अन्य व्यय नागरपालिका की इन लालटेनों के क्रय निमित्त करना पड़ा ?

श्री मोहनलाल गौतम—१६ रु० ८ आना रेल का किराया।

*१०—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त लालटेनें किस कारखाने की बनी हुई हैं तथा कितनी शक्ति की हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—ये फिलिप्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड की बनी हुई हैं और इनकी शक्ति निम्नलिखित हैं :

३१ लालटेनें २५० वाट,
९ लालटेनें ४०० वाट।

बुन्देलखंड में राजकीय अस्पतालों की कमी

*११—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में पांच हजार से अधिक आबादी वाले ऐसे कितने गांव हैं जहां राजकीय अस्पताल नहीं हैं ?

श्री बनारसी दास—बुन्देल खण्ड में पांचहजार से अधिक आबादी वाले केवल पांच नगर तथा गांव हैं जहां राजकीय अस्पताल नहीं हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं।

(१) बराबागर टाउन (झांसी),
(२) ड्यूढीसिंहपुरा (झांसी),
(३) रामपुरा (जालौन),
(४) हियरा टाउन एरिया (बांदा)
(५) महराजनगर (हमीरपुर)

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराज नगर जिला हमीरपुर में ही है अथवा किसी दूसरे जिले में है, यदि हमीरपुर जिले में ही है तो किस तहसील में है ?

श्री बनारसी दास—इसे सदस्य महोदय मुझसे बेहतर जानते हैं।

*१२—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार इन गांवों में अस्पताल खुलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—सरकार के पास इन नगरों तथा गांवों में अस्पताल खोलने का विचार वर्तमान में नहीं है। क्यों कि ड्यूढीसिंहपुर (झांसी और रामपुरा) (जालौन) से क़रीब ५ मील के अन्दर ही क्रमशः एलोपैथिक डिस्पेंसरी मऊ रानीपुर (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड) (झांसी) और राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय उमरी (जालौन) स्थित हैं। बराबागर टाउन (झांसी), महाराजनगर (हमीरपुर) और हियरा टाउन एरिया (बांदा) में अभी अस्पताल खोलने का विचार नहीं है क्योंकि इनसे अधिक आवश्यक स्थानों पर प्रथम अस्पताल खोलने का विचार सरकार कर रही है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि श्रीनगर और गौहरौली दो ऐसे गांव हैं जहां पांच हजार से अधिक आबादी होते हुये भी पांच मील के दायरे में कोई अस्पताल नहीं है ?

श्री बनारसीदास---मेरे पास सूचना सन् १९४१ की मतगणना के अनुसार है लेकिन जो सूचना मुझे मिली है उसके अन्दर यह दोनों गांव शामिल नहीं हैं ।

बस्ती जिले में सूत के आयातक

*१३---श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला बस्ती में केवल दो ही सूत के आयातक हैं ? यदि हां, तो क्या वह इसमें वृद्धि करने का इरादा रखती है ?

श्री बनारसी दास---बस्ती में इस समय केवल दो आयातक हैं और उनमें वृद्धि का प्रश्न सरकार के सामने है और उस पर विचार हो रहा है ।

श्री रामसुन्दर राम---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त आयातक के क्या नाम हैं और कितनी गाठें प्रति मास उनको मिलती हैं ?

श्री बनारसी दास---इसमें एक बनारसी दास कनौडिया हैं और दूसरे का नाम है संत प्रसाद रामकिशोर ।

कानपुर स्थित मरी कम्पनी के गोदाम पर अनाज का भीगना

*१४---श्री हमीद खां (जिला कानपुर)---क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित मरी कम्पनी के ग़ल्ला गोदाम पर गत १२ अगस्त, सन् १९५२ को कितने ग़ल्ले के बोरे उतरे और कितने भीगते रहे ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)---गत १२ अगस्त, १९५२ को मरे गोदाम के रेलवे साइडिंग में ४,३९३ गेहूं के बोरे उतारे गये थे और उस दिन वर्षा के कारण लगभग ६०० बोरे भीग गये थे ।

श्री हमीद खां---क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जहां पर माल उतारा गया था वह जमीन कच्ची थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---इसकी सूचना तो सरकार को मालूम नहीं है ।

श्री हमीद खां---क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मरी कम्पनी में जो माल उतारा गया था उसके ढकने के लिये कोई त्रिपाल वग़ैरह का प्रबन्ध है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---इसके लिये तो नोटिस दीजिये और फिर मालूम कर के आप को बताया जायगा ।

*१५---श्री हमीद खां---क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार भीगने से कितने बोरों पर असर पड़ा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---इन ६०० बोरों में से ५०० ऐसे थे जिनमें केवल बोरा ही भीगा था और गेहूं पर कोई असर नहीं पड़ा था । बाक़ी १०० बोरों में बोरों से लगी हुई गेहूं की तह भीग गई थी परन्तु इस गेहूं को तुरन्त ही निकाल कर सूखने के लिये गोदाम में फैला दिया गया जिससे यह गेहूं खराब होने से बच गया ।

*१६—श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)— [देखिये आगे पृष्ठ २०२ पर]

*१७–१८—श्री नारायण दीन (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २०२ पर]

*१९–२०—श्री शिव मंगल (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २०२–२०३ पर]

*२१–२२—श्री रमेश वर्मा—[१२ नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

[१० अक्तूबर, १९५२ के गृह मंत्री से संबंधित अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न ।]

तारांकित प्रश्न

* * *

अलीनगर, जिला बरेली में पुलिस का ग्रामीणों पर गोली चलाना

*२४—श्री नवलकिशोर (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में प्रातःकाल अलीनगर गांव में जो कि थाना आंउला, जिला बरेली में है पुलिस ने ग्रामीणवासियों पर गोली चलाई ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, पुलिस ग्राम अलीनगर में एक स्त्री की गिरफ्तारी के वारन्ट की तामील करने गयी। ग्रामीणों के हमला करने पर पुलिस को अपने बचाव के लिये गोली चलानी पड़ी ।

*२५—श्री नवलकिशोर (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त घटना में कितने घायल हुये तथा कितनी मृत्यु हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक व्यक्ति मरा और एक घायल हुआ ।

*२६—श्री नवलकिशोर (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस घटना की जांच के लिये वह कोई (इंक्वायरी) कमेटी बैठाना चाहती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा चुकी है । इस लिये कमेटी को बैठाने की आवश्यकता नहीं है ।

* * *

शाहजहांपुर जिलें में पुवांया—मैलानी रोड पर बटमारी

*५८—श्री शिवकुमार मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि शाहजहांपुर जिले में पुवांया से खुटार, मैलानी जाने वाली सड़क पर काफ़ी जंगल पड़ता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*५९—श्री शिवकुमार मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इस रास्ते पर अक्सर लूट और राहजनी हो जाया करती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

नोट—तारांकित प्रश्न २४–२६ श्री सुन्दर लाल ने पूछे।

*६०—श्री शिवकुमार मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हाल ही में इसी रास्ते पर गुटैया घाट के निकट एक स्त्री लूट ली गयी और उसके साथ का आदमी मार डाला गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक आदमी की हत्या अवश्यक इस रास्ते पर हुई थी। इस बात का सबूत नहीं मिल सका कि उसके साथ की स्त्री लूटी गयी। मामले की अभी जांच जारी है।

* * *

वेश्यावृत्ति को बन्द करने के लिये कानून

*६३—श्री पातीराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार वेश्यावृत्ति की प्रथा को बन्द करने और वेश्याओं के जीवन में सुधार करने की कोई ठोस योजना बना रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वेश्याओं को बंद करने के लिये इस समय प्रदेश में तीन क़ानून लागू हैं :—

नायक गर्ल्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, १९२९,

माइनर गर्ल्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, १९२९,

यू० पी० सप्रेशन आफ़ इम्मोरल ट्रैफिक ऐक्ट, १९३३।

जहां तक नायक लड़कियों का संबंध है, पर्याप्त सफलता मिली है। जनमत जागरित है और सरकार के हाथों को पुष्ट करता है। परन्तु अन्यत्र कोई विशेष सफलता नहीं मिली और यह स्वीकार करना पड़ता है कि विशेष प्रयत्न भी नहीं हुआ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार उनके सुधार के लिये भविष्य में कोई योजना बना रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने इस प्रश्न के उत्तर में इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि इस दशा में कोई खास प्रयत्न नहीं हुआ इसका मतलब ही यह है कि मेरा ध्यान इस ओर गया है। हम देख रहे हैं कि इस स्थिति को रोकने के लिये क्या किया जा सकता है और उसके संबंध में प्रयत्न किया जा रहा है।

* * *

केदारनाथ के मन्दिर का प्रबन्ध

*९२—श्री गंगाधर मैठाणी—(अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या मन्दिर केदारनाथ प्रबन्ध के अन्तर्गत काली शिला में मूर्तियां गायब होने की रिपोर्ट सरकार या मन्दिर कमेटी के पास आयी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मन्दिर कालीशिला में मूर्तियां खो जाने की रिपोर्ट मन्दिर कमेटी के पास आई है और सेक्रेटरी मन्दिर कमेटी इस संबंध में उचित जांच कर रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जो मूर्तियां चुराई गईं यह सोने की मूर्तियां थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमारी इत्तिला तो यह है कि एक छोटा सा मन्दिर इससे लगा हुआ है उसकी मुर्तियां चुराई गई थीं। उसके संबंध में जांच हो रही है लेकिन शायद क़ीमती मूर्तियां नहीं थीं।

नोट—तारांकित प्रश्न ६३ श्री गंगाप्रसाद ने पूछा।

नोट-तारांकित प्रश्न ९२—९४ श्री मदनमोहन उपाध्याय ने पूछे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काली शिला की मूर्तियां किसने चुराई थीं और रिपोर्ट क्या आई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी इतनी इत्तिला है कि एक स्वामी गंगाधर आनन्द थे जो पूजा किया करते थे। वह असली मूर्तियां नहीं थीं बल्कि कुछ मूर्तियां थीं जो कि बाहर रख दी गयी थीं वह खो गईं। इसकी रिपोर्ट उन्होंने प्रेसीडेंट को की है। यह सूचना आयी है।

*९३—श्री गंगाधर मैठाणी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला गढ़वाल के मंदिर केदारनाथ में मंदिर कमेटी के चार्ज लेने के पूर्व कितना व्यय मासिक होता था और अब कितना होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री बद्रीनाथ मंदिर कमेटी द्वारा केदारनाथ का चार्ज लेने के पूर्व उस मन्दिर की आमदनी लगभग ३०,००० रु० मासिक थी और वहां का खर्च भी लगभग इतना ही था। अब यहां की आमदनी लगभग ८० हजार रुपये है और खर्च भी इस हिसाब से बढ़ गया है। परन्तु अब खर्च अधिक उपकारी कार्यों पर किया जाता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपकार के कार्य कौन कौन से किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक तो उपकार के कार्य यह किये गये कि जो मंदिर के हिस्से टूटे फूटे थे उनकी मरम्मत की गयी है।

*९४—श्री गंगाधर मैठाणी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मन्दिर केदारनाथ में रावल जयलिंग ने जब चार्ज दिया था उस समय मन्दिर में कितना बैलेंस था और सन् १९५१-५२ में कितना था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९ अगस्त, १९४८ को रावल जयलिंग ने मन्दिर को ४,१३७ रुपया १ आना बैलेंस दिया था और १ अप्रैल, सन् १९५२ को वहाँ का कुल बैलेंस १७,३९४ रुपया ५ आना ६ पाई था।

[१५ अक्तूबर, १९५२ के अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न।]

तारांकित प्रश्न

* * * *

लखनऊ जू का प्रबन्ध

*३—श्री जगन्नाथ बख्श दास—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जू (ZOO) के लिए पशु पक्षी आदि खरीदने में गत दो वर्ष में कितनी रकम व्यय की ?

श्री बनारसी दास—सन् १९५०-५१ में व्यय १,६१६ रुपया।
सन् १९५१-५२ में व्यय १,१३५ रुपया।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी यह सूचना देने की कृपा करेंगे कि दो वर्षों में कितने पशु पक्षी जू के लिये खरीदे गये ?

श्री बनारसीदास—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

नोट—तारांकित प्रश्न ३-४ श्री रणंजय सिंह ने पूछे।

श्री रणंजय सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो, पशु पक्षी जू के लिये प्रेजेंट किये जाते हैं, क्या वह लिये जाते हैं ?

श्री बनारसीदास—जी हां, सहज स्वीकार करेंगे । परन्तु हाथी स्वीकार करने में थोड़ी कठिनाई होगी।

*४—**श्री जगन्नाथ बख्श दास** (अनुपस्थित)—इस समय इस जू का प्रबंध किसके द्वारा सम्पादित होता है ?

श्री बनारसीदास—इस समय संचालक, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश जू के शासक हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री इस पक्ष में हैं कि इस आजादी के युग में वहां पर जो पक्षी हैं उनमें से कुछ को आजाद कर दिया जाय ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं ।

* * * *

टाउन एरिया क्षेत्रों में तहबाजारी उगाहने का अधिकार

*१६—**श्री रामस्वरूप गुप्त** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि टाउन एरिया क्षेत्रों में तहबाजारी आदि वसूल करने का अधिकार किसे है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस संबंध में माननीय सदस्य का ध्यान मैं यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४, की धारा १४, उपधारा (२) वाक्य खंड (बी) की ओर आकर्षित करूंगा ।

फतेहगढ़-कम-फ़र्रुखाबाद के मेहतरों पर लाठी चार्ज

*१७—**श्री नारायणदीन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि अभी अगस्त महीने के मध्य में फ़तेहगढ़-कम-फ़र्रुखाबाद के मेहतरों पर लाठी चार्ज किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—इन मेहतरों पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया था ।

इलाहाबाद में फतेहपुर बिछुवा बस्ती के मेहतरों का पुनर्वासन

*१८—**श्री नारायणदीन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह पता है कि इलाहाबाद में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट १०० वर्ष पुरानी मेहतरों की फतेहपुर-बिछुवा बस्ती को हटाने जा रही है ? यदि हां, तो वहां के उन मेहतरों को जो म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारी नहीं हैं बसाने का क्या कोई प्रबंध कर दिया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां । इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट से कह दिया गया है कि वह, यदि आवश्यकता हो तो सरकार से परामर्श करके, इनके बसाने की व्यवस्था करे ।

बलिया नगरपालिका में नालियों की अव्यवस्था

*१९—**श्री शिवमंगल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश की कितनी नगरपालिकाओं में आज तक नालियों की व्यवस्था नहीं है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय सरकार के पास इस विषय पर आंकड़े नहीं हैं । परन्तु यह स्पष्ट है कि कुछ न कुछ नालियों की व्यवस्था प्रत्येक नगरपालिका में है ।

*२०—श्री शिवमंगल (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि बलिया नगरपालिका में नालियों की व्यवस्था न होने के कारण वहां की जनता को बहुत कष्ट है और जनस्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र नालियों की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां । बलिया नगर की नालियों की व्यवस्था सुधारने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

विधान सभा का आगामी कार्यक्रम

अध्यक्ष—कल एक प्रश्न पूछा गया था कि सरकार का आगे क्या कार्यक्रम होगा । माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे ।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—कल के बाद यह सूत्र तो समाप्त हो जायगा जहां तक अगले सूत्र की बात है उसके लिये तिथि निश्चित नहीं है लेकिन मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि एक महीने के भीतर सदन नहीं बुलाया जायगा । १७ नवम्बर के बाद ही कोई तारीख होगी, जबकि बुलाया जायगा ।

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

*खंड ८ (क्रमागत)

अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक, १९५२, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी । श्री अतहर हुसेन ख्वाजा अपना भाषण जारी रक्खेंगे ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जनाब वाला, कल शाम जिस वक्त यह हाउस उठा है उस वक्त मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक वेलफेयर स्टेट का अवल्लीन फर्ज यह है कि अगर कोई सेक्शन ऐसा हो जो किसी वजह से आउट आफ एम्पलायमेंट हो गया हो तो वह उसको रिहैबिलिटेट करे । मैंने इस सिलसिले में जनाब वाला के जरिये से हाउस के सामने कुछ मिसालें पेश की थीं और यह बतलाया था कि अगर यह हाउस इस शुबहा में मुबतिला है कि चीन में आउटराइट एक्सप्रोप्रियेशन हुआ है और हर किस्म के लैंडलार्डस को जमींन से बेदखल कर दिया गया है तो यह गलत है ।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य इस भवन में शान्ति रखें । अगर किसी को बाहर जाना है तो धीरे धीरे बाहर जा सकता है ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जनाब वाला, मैंने कुछ उन बातों का हवाला भी दिया और कुछ एक्सट्रेक्ट्स भी जनाब वाला की इजाजत से पढ़े – जाहिर है कि उन रियासतों में जहां एक्सप्रोप्रियेशन होता है वहां पर चूंकि प्राप्रटीज कन्फिसकेट होती हैं लिहाजा मुआविजा देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता । लिहाजा चीन में भी यह हुआ कि जब उन्होंने इक्सप्रोप्रियेट किया तो उसके साथ साथ जो डेट्स थे उनकी भी होली जलाई गई, जितने टाइटिल डीड्स थे उनको फूंक दिया गया । लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने यह एहतियात बरती कि उन लैंडलार्डस को जिन पर इससे असर पड़ता था उनको नेगलेक्ट नहीं किया । लैंडलार्डस को दो हिस्सों में बांटा फ्यूडल और नान-फ्यूडल में उनको जुदा कर दिया ।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन से बहुत दूर जा रहे हैं । यह बहस में बहुत सुन चुका हूं । अगर दुम से संबंध है तो पूरे हाथी का वर्णन शुरू हो जाय यह तो उचित नहीं होगा । अब कर्ज का प्रश्न सामने है उसके लिये मैं इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस सवाल को लेकर पूरे हालत पर दूसरी जगह क्या हुआ इसका यहां पर जिक्र करें ।

---

*यह खंड १४ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—मैं जनाबवाला की खिदमत में बड़े अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि यह इससे इण्टर कनेक्टेड है।

अध्यक्ष—सवाल कनेक्टेड तो हुआ ही करते हैं जो सवाल जितना सामने है उतनी बहस वहां पर रहे उसके संबंध में किसी दूसरे मुल्क की दीगर बात कहना असंगत है। आप जिक्र कर्जे के बारे में कर सकते हैं लेकिन कम्पेन्सेशन वगैरा के बारे में प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जनाबवाला, मैंने यह सवाल उठाया था कि कर्जे का सवाल क्यों पैदा हुआ। वह सवाल इस लिये पैदा हुआ कि बाज जगह पर अग्रेरियन लैंड रिफार्म की वजह से कुछ लोग आउट आफ इम्पलायमेंट हो गये। उनको रिहैबिलिटेट करना जरूरी था और उस रिहैबिलिटेशन की जरूरत के लिये यह जो डेट लेजिस्लेशन है और यह उसी जरूरत को हल करने के लिये हर जगह सामने आया है। आज हमारी स्टेट में भी इसलिये यह सामने आया है। तो मैं यह अर्ज करूंगा जैसा कि कल अर्ज किया था कि जहां जहां जिन कण्ट्रीज में इस तरीके से लेजिस्लेशन हुआ है, एक्प्रोप्रियेशन हुआ है वहां पर यह एक चीज हुई है जो लोग इससे एफेक्टेड हों उनको रिहैबिलिटेट किया जाय मैं यह समझता हूं कि हमारी स्टेट के अन्दर भी यही उसूल होना चाहिये और इसी उसूल को लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिये। अगर इस बिल के अन्दर यह उसूल मौजूद नहीं है तो मैं यह अर्ज करूंगा कि मुझे इस बात का हक हासिल है जनाबवाला के जरिये से कि हाउस के सामने यह चीज रखूं कि यह बिल डिफैक्टिव है और इसके अन्दर यह प्राविजन होना चाहिये जिसकी वजह से कि एक इन्सान इन्सान के तरीके से एक सिटीजन की हैसियत से गुजारा कर सके और अपनी जिन्दगी बसर कर सके। यह मैंने इसलिये अर्ज किया कि जहां तक इस बात का सवाल है कि आया कम्पन्सेशन मनि या रिहैबिलिटेशन ग्रांट डेट में कट जाना चाहिये या नहीं इसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक सेक्योर्ड डेट का ताल्लुक है उसमें लीगली (legally) इसलिये आपकी जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने उस जायदाद को एक्वायर किया है और आपके अपने कानून में, जो आपने ऐक्ट बनाया है, उसमें यह कहा गया कि वह प्रापर्टी जो आपने एक्वायर की वह प्रापर्टी फ्री आफ आल इन्कम्बरेन्सेज एक्वायर की है अब सवाल यह होता है कि आपने जब किसी प्रापर्टी को फ्री आल इन्कम्बरेन्सेज एक्वायर किया है तो उसके ऊपर जो डेट हों उनका क्या होगा। उस डेट में आप रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेन्सेशन से अदा करना चाहते हैं और इसलिये इस लेजिस्लेशन को यहां पर लाया जा रहा है। इसमें आप वह उसूल रख रहे हैं। तो इस लेजिस्लेशन के जरिये से जिस कदर आपने उसकी वैल्यू को घटाया है उसी proportion से उस डेट को भी घटायें यह उसूल जायज है। यह एक फार्वर्ड स्टेप है जो कि दूसरी स्टेट्स पर लिया गया है और यह एक सही तरीका आपने अख्तियार किया है। लेकिन यहां पर मेरा डिफरेन्स यही है कि आप उस रूपये को मनि लैंडर को पास कर देते हैं क्योंकि ३ मिसालें मैंने आप के सामने अर्ज कीं। बाज रिपबलिक वह हैं कि जहां पर उन्होंने net income केपिटेलाइज करने के बाद पूरी रकम मुआविजे की अदा की और वहां कोई स्कोलिंग डाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी रिपबलिक वह है कि जहां सोशलिस्ट सिस्टम है और वहां इस किस्म का सवाल ही नहीं उठा क्योंकि वहां हुकूमत हर शख्श को पूरा एम्पलायमेंट देने की फ्री एजूकेशन और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और अनएम्पलायमेंट पेंशन देने की उस वक्त तक जिम्मेदार है जब तक कि वह शख्स रोजगार में नहीं लग जाता है। इसलिये यह सवाल वहां भी पैदा नहीं होता क्योंकि वहां तो रिहैबिलिटेशन खुद ही स्टेट की तरफ से हो जाता है और कोई किसी की जिम्मेदारी लेने की बात ही नहीं पैदा होती कि किसी को कम्पेनसेशन या रिहैबिलिटेशन मिलता है या नहीं। वहां तो जब तक वह रिहैबिलिटेट नहीं हो जाता है वह स्टेट का मेहमान रहेगा।

तीसरी चीज जिस में हमारी रिपबलिक है और चाइना की रिपबलिक है वह इन दोनों की एक दरम्यानी चीज है जिसको (new democracy) कहा जाता है और यह एक ट्रान्जीशनल स्टेज है जिसमें हम कैपिटलिज्म से सोशलिम की तरफ जा रहे हैं। इसलिये यह चीज जरा बुनियादी तौर से उन दोनों से मुखतलिफ होगी जो उन दोनों किस्म की रिपबलिकों में हैं। चीन ने २०० परसेंट आफ दि एवरेज पर कैपिटा होल्डिंग से भी ज्यादा (land holders) को दे दिया . . . .

अध्यक्ष—आप कर्जे के बारे में जिक्र कर सकते हैं लेकिन कम्पेनसेशन कैसे दिया इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—चूंकि जनाब इजाजत नहीं दे रहे हैं कि मैं चीन की या योरोप की मिसाल यहां दूं और जनाब वाला नहीं चाहते हैं कि मैं वहां की बातें डिटेल में कहूं लेकिन इस उसूल में कोई डिफरेंस आफ ओपोनियन नहीं है कि जहां जहां भी लेण्ड रिफार्म्स हुये हैं और एग्रेरियन रिफार्म्स हुये हैं वहां पर स्टेट ने इस बात का इंतजाम किया है कि वह उन लोगों को कोई आल्टरनेट एम्पलायमेंट दे और मैं चाहता हूं कि यही पालिसी इस स्टेट की भी होना चाहिये और अगर यह स्टेट उस पालिसी को नहीं एडाप्ट करती है कि जिसके मातहत कम्पेनसेशन और रिहैबिलिटेशन उस हद तक उस के पास नहीं बचता है जिस हद तक उसकी जायदाद लेने से पेश्तर उस की जिन्दगी की जरूरत के लिये जरूरी था। अगर वह उस से महरूम किया जाता है तो यह उस के हक में और इस स्टेट के लिये मुनासिब और इंसाफ की बात न होगी। मैंने जैसा अर्ज किया मेरा अमेंडमेंट यह है कि जहां "सीक्योर्ड डेट" है वहां पर "आर अनसीक्योर्ड डेट" और बढ़ा दिया जाय। मैंने अपनी ओपनिंग स्पीच में जिक्र किया था कि यह एनोमली ऐसी है जो हर तरीके से अजीबोगरीब मालूम होती है और जहां सीक्योर्ड डेट का ताल्लुक है वहां पर आप एक चौथाई छोड़ रहे हैं लेकिन अनसीक्योर्ड में न छोड़ें, यह ऐसी चीज है जिस का आइन्दा जिन्दगी पर असर पड़ेगा और जो आप दे रहे हैं उससे सही मानों में रिहैबिलिटेशन न हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि जो मनीलेंडर को प्रिफ्रेन्शियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वह जायज चीज नहीं है। आप ने गवर्नमेंट ड्यूज को भी कम्पेनसेशन में से ही लेना उसूलन मुनासिब समझा है और रिहैबिलिटेशन ग्रांट में से नहीं लिया है। तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या मनीलेंडर का रुपया पबलिक फंड से ज्यादा अच्छा है कि आप पबलिक फंड तो वसूल न करें और मनीलेंडर को उस रुपये को पास आन कर दें।

मैं अर्ज करूंगा कि अगर सोसाइटी के मुजरिम जमींदार हैं तो उसी कदर मनीलेंडर भी हैं। अगर एक ने एक्सप्लायट किया है तो दूसरे ने भी किया है और अगर एक के पास अनअर्न्ड इनकम आई तो दूसरे के पास भी आई है। कोई वजह नहीं कि दोनों में कोई फर्क रखा जाय और एक क्लास को प्रीफ्रेंसशल ट्रीटमेंट दिया जाय।

जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर ने जवाब में फरमाया कि चूंकि सिविल प्रोसीज्योर कोड में सिम्पिल मनी डिक्री के लिये एरेस्ट का प्रावीजन है इसलिए इस किस्म के अमेंडमेंट से कोई खास फायदा नहीं होगा। उन्होंने यह भी फरमाया और मार्क्स के ऊपर रिलाई किया। मैंने भी मार्क्स को सेंट्रल जेल बरेली में अर्सा हुआ पढ़ा था और शायद वह मेरी याद से निकल गया है लेकिन आनरेबिल मिनिस्टर ने यह कहा कि मार्क्स ने यह कहा है कि सबसे बुरा कैपिटैलिस्ट जमींदार है। मैं अर्ज करूंगा कि मुझे तो मार्क्स की किसी किताब में यह चीज नहीं मिली। मैं यह नहीं कहता कि मुझे कोई शुबहा आनरेबिल मिनिस्टर साहब के इस कहने पर है लेकिन अगर वह मुनासिब समझें तो मुझे बतला दें कि वह चीज कहां है ताकि उसके मुताल्लिक इत्मीनान हो जाय। मगर मैं एक जमींदार और मनीलेंडर में इस किस्म का फर्क नहीं कर सकता कि मनीलेंडर को इस किस्म की रियायत दी जाय कि पब्लिक फंड से उसका डेट अदा हो क्योंकि आप पब्लिक फंड से रिहैबिलिटेशन ग्रांट दे रहे हैं। जमींदारी अबालिशन कमेटी ने भी इस पर गौर व खोज किया और उनकी रिपोर्ट

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

के सफे ५७१ पर उन्होंने भी यही कहा कि जो लोन्स सीक्योर्ड हैं उनके मुताल्लिक एड-जुडीकेशन प्रोसीडिंग हो। अनसीक्योर्ड लोन्स के बारे में उन्होंने कहा कि उसके एडजुडिकेशन की जरूरत नहीं है और फिर वह चीज लाये कि २५० रुपये से कम के मालगुजारों के लिये डेट स्केल डाउन कर दिया जाय। गवर्नमेंट ड्यूज के मुताल्लिक भी उन्होंने कहा कि उनको भी स्केल डाउन कर दिया जाय। पब्लिक सोसाइटीज ड्यूज और पब्लिक बैंक ड्यूज वगैरह के मुताल्लिक उन्होंने कहा कि इनको स्केल डाउन कर दिया जाय लेकिन उस हद तक किया जाय जिस हद तक कि मुप्राविजा का रूपया हासिल हो और बाकी को राइट आफ कर दिया जाय। तो वह पालिसी काफी सोचने और समझने के बाद कायम की गई थी। इसमें काफी अर्सा भी लगा और काफी इसके मुताल्लिक ऐवीडेंस ली गई। उसके बाद हम जिस नतीजे पर पहुंचे उससे यह पालिसी जो आज इस बिल में अपनाई जा रही है बिलकुल खिलाफ है। जो पालिसी आपने उस समय मानी थी जिस वक्त आपने उत्तर प्रदेश जमीदारी अबालिशन ऐक्ट पेश किया था और उसके बाद जबकि रूल्स आपने हाउस के सामने पेश किये उस वक्त भी आपने रिहैबिलिटेशन ग्रांट को इससे अलग कर दिया। मैंने उसे गौर से पढ़ा और समझता हूं कि इसमें कोई दो ओपीनियन नहीं हो सकतीं। उसके बाद मैंने रूल्स भी देखे। और रूल्स के नक्शे भी देखे। आप जमींदारी अबालिशन फार्म ४४ और उसके बाद जमींदारी अबालिशन फार्म २६ को भी देखेंगे तो आपको उनके देखने से मालूम होगा कि उनके जो नक्शे बनाये गये हैं उनके हेडिंग्स के जरिये से गवर्नमेंट की यह कतई मंशा नहीं मालूम होती कि कोई रकम रिहैबिलिटेशन ग्रांट में से डिडक्ट की जाय। मैं आज यह पूछता हूं कि गवर्नमेंट ने एक पालिसी हमारे सामने रखी तो फिर आज उस पालिसी से अलहदा जाने और इस नये बिल में दूसरी पालिसी रखने की क्या जरूरत महसूस हुई कि उस पालिसी से अलहदा होकर चलें जिस पालिसी को उन्होंने बड़े गौर व खौज के साथ हमारे सामने रखा था। उस पालिसी को आज बदलने की कोई वजह मालूम नहीं होती है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि गवर्नमेंट चन्द कर्जदारान के कर्जे को सिक्योर करने की वजह से पब्लिक फन्ड्स को क्यों खत्म करने की सोच रही है ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जो मंशाये बिल है वह फौत हो जाती है इसलिये फौत हो जाती है कि जो रिहैबिलिटेशन के लिये दिया जाना है वह रुपया उनके पास नहीं पहुंचेगा जिनके पास कि वह पहुंचना चाहिये और वह रुपया दूसरी जगह चला जाता है। फिर यह सिर्फ किताबी जमाखर्च रहता है आपको यह सोचना चाहिये कि यह रूपया जायज हकदार के पास पहुंचना चाहिये। ऐज ए मैटर आफ फैक्ट आप अपनी पहिली पालिसी से दूर जा रहे हैं। मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब से बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि वे इस पर नजरसानी फरमायें। मैं जानता हूं कि वह एक रीजनेबिल इंसान हैं, जिद नहीं करते हैं। अगर गोरो व खौज के साथ वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई चीज जायज है तो वे उसको मान लेते हैं। इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि Justice इक्विटी और गुड कान्शेंस की बिना पर वे इसको मंजूर फरमा लें। मैं समझता हूं कि यह एक रीजनेबिल चीज है। एक ऐसी उम्दा और जरूरी चीज है कि आनरेबिल मिनिस्टर इसको वेलकम करेंगे। मैं अर्ज करूंगा कि उनका यह कहना कि चूंकि अरेस्ट का प्रावीजन सिविल प्रोसीजर कोड में है इसलिये यह प्रावीजन नहीं रखना चाहिये ठीक नहीं है। मान लीजिये कि उसको १० हजार रुपया मिलता है तो फिर यह तो उसका आखिरी सहारा है।

अध्यक्ष—आप यह तो पहिली बातों को दुहरा रहे हैं। उनके बारे में तो आप मिनिस्टर साहब को अपील कर ही चुके।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—मैं समझता हूं कि इससे मेरी अपील को जोर मिल जायगा। जनाववाला, मैं यह अर्ज कर रहा था कि अब जेल में जाने पर

पहिले से अच्छा बरताव तो जरूर होगा ही कम से कम उस बरताव से जो बरेली सेंटर जेल में हुआ। जब मुल्क के लिये कुरबानी की है तो बालबच्चों के लिये ३ महीने की कुरबानी कर दूं तो क्या हर्ज है। मेरी जो च्वाइस है उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिये। जब आल्टरनेटिव है तो किसी खास आल्टरनेटिव के लिये पाबन्दी या रेस्ट्रिक्शन की क्या जरूरत है। आप उस आल्टरनेटिव को खुशी के साथ मंजूर करने दें। इन अल्फाज के साथ मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि वे इस पर गौर फरमायें। उनसे मैं फिर अपील करूंगा कि वे अगर यह समझें कि ईक्विटी, जस्टिस और गुड कांशेंस (साम्यत, न्याय और सद्विवेक) अगर डिमांड करती है तो उसको मंजूर फरमायें।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि ख्वाजा साहब की इस मुदल्लल तकरीर सुनने के बावजूद मैं जहां था वहां का वहां ही हूं। मैं बहुत मुख्तसरन कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक मार्क्स की बात है कि मनीलेंडर्स और दूसरे कैपिटलिस्ट्स और जमींदारों में कोई भेद है या नहीं है, तो कैपिटल वाल्यूम ३ पेज ७४८ का एक कोटेशन जो मैंने अपनी किताब में दिया है, वह कैपिटल तो मेरे पास नहीं है लेकिन उसका पूरा हवाला मैं पढ़ देना चाहता हूं। वह कहता है--

" and the capitalist performs at least an active function himself in the development of surplus money and surplus production but the landlord does only capture a grand share in the surplus produce and the surplus value created without his assistance. "

[और पूंजीपति कम से कम स्वयं अतिरिक्त धन तथा अतिरिक्त उत्पादन में सक्रिय भाग लेता है किन्तु जमींदार अतिरिक्त उत्पादन में और अतिरिक्त अर्थ में यथेष्ट भाग हड़प लेता है जो उसकी सहायता के बिना उत्पन्न होता है।]

जिसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम पूंजीपति कुछ तो सेवा करता है, पैदावार के बढ़ाने में कुछ तो हिस्सा लेता है। यह मोटा सा अर्थ हुआ। जब कि जमींदार, जो भी खेत में पैदा होता है वह उसकी बिना मदद के पैदा होता है, और उसमें से हिस्सा बटा लेता है।

अध्यक्ष---मैं समझता हूं, यह कोई बहुत संगत तो नहीं है उसके साथ, इसीलिये मैं इसकी बहस की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---एक प्वाइण्ट आफ इनफारमेशन, सर।

अध्यक्ष---अगर मार्क्स के सिद्धांतों के सम्बन्ध में कोई बात है तो मैं उसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री चरणसिंह---मैंने केवल इतना कहा था कि पूंजीपतियों से जमींदारों में यह विशेषता है कि वे समाज की कुछ भी सेवा नहीं करते हैं जबकि पूंजीपति कुछ न कुछ तो समाज की सेवा करते हैं। लेकिन माननीय सदस्य का यह कहना है कि लैन्डलार्डस और दूसरे कैपिटलिस्ट्स एक ही स्तर के हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे साफ जाहिर है कि कम से कम मार्क्स साहब की राय चाहे कोई मानता हो या न मानता हो, उनकी राय में जमींदार सबसे रद्दी किस्म के हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, दोनों को एक सा मान लिया जाय। मनीलेंडर्स को भी और लैंडलार्डस को भी, जमींदार को भी और लेनदेन करने वाले साहूकार को भी। आपकी राय में दोनों एक से हैं। भले या बुरे दोनों को एक सा मान लिया जाय इसकी कोई वजह नहीं है। मेरी राय में एक तो कारण यह भी है कि जितना हम जमींदार का पक्ष देखते हैं तो हमें साहूकार का भी कुछ पक्ष देखना है। आपने जितनी भी बातें कहीं वे सब जमींदारों की कठिनाइयों की कहीं, साहूकारों की बातें नहीं कहीं, न उनके दुख

[श्री चरणसिंह]

व संकट की आपने कल्पना की । आपकी बहस में एक बार भी साहूकारों के बारे में, जिस आदमी ने अपना रुपया दे दिया है उसकी दिक्कतों का कुछ भी उल्लेख, कुछ भी जिक्र नहीं आया। और फिर साहूकार के माने यह नहीं हैं कि कोई बाकायदा मनीलेंडिंग करता हो वही आदमी कर्जा देता है। हम सब लोग जानते हैं कि देहातों में आपस में एक दूसरे को कर्जा देते हैं। खेती कर रहे हैं लेकिन हजार दो हजार रुपये एक दूसरे को दे देते हैं। तो जिस आदमी ने अपना पेट काट कर दूसरे को किसी दिक्कत के मौके पर रुपया दिया है उसके लिये आप यह कहते हैं कि उसे एक पाई भी नहीं मिलना चाहिये। अगर यह होता कि तीन-चौथाई मिले एक-चौथाई छोड़ दिया जाय तो भी आपकी बहस कुछ समझ में आ सकती थी लेकिन आपकी बहस में तो तीन-चौथाई और एक चौथाई का जिक्र भी नहीं है।

अब देखना यह है कि .....

अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी, जरा मुखातिब इस तरफ हो जायं। बात यह है कि उनको देखकर कहा जा रहा है कि आप ऐसा कहते हैं और आप ऐसा कहते हैं। मैं समझता हूं कि यह अधिक हो रहा है।

श्री चरणसिंह—हां, हो तो अधिक रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी तरफ देखूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना यह है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट्स यानी सुरक्षित और असुरक्षित कर्जे के अन्दर कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। लेकिन अन्तर तो साफ जाहिर है कि असुरक्षित कर्जे या जो सादे कर्जे होते हैं वह किसी जायदाद विशेष पर नहीं होते। वह सारा कर्जा जायदाद से उस मकरूज की या उसकी किसी जायदाद विशेष के किसी जुज से वसूल किया जा सकता है जब कि सुरक्षित कर्जे जिसको सिक्योर्ड डेट्स कहते हैं वह इन दि फर्स्ट इन्स्टान्स केवल उससे ही वसूल हो सकते हैं कि उसकी जायदाद मकफूल है। अब हमारे बिल की स्कीम जो है वह मैं समझता हूं कि उसके समझने में लोग गलती करते हैं इसलिये इधर-उधर की बहस हो जाती है। बिल का उसूल यह है कि जो जायदाद जमींदार की ली गई और उस पर जो कर्जा था उस जायदाद के ऊपर था वह घटा दिया गया उस तनासुब से जिस तनासुब से कि कीमत उस जायदाद की घट गई है। और वह कीमत मुआविजे की सूरत अख्तियार करने के बाद घट गई है। अब सुरक्षित कर्ज को तो हम कह सकते हैं कि जायदाद पर था जमीन पर था इतने गांव पर था और इसकी कीमत पहले थी और इतना उसका मुआविजा हुआ। हमने उस कर्ज को घटा दिया और इसलिये हम कहते हैं कि उस मुआविजे में से ले लिया जाय लेकिन जो सादा कर्जा है वह तो किसी जायदाद पर नहीं है लिहाजा उसके घटने का सवाल नहीं होता। इसलिये हम इसमें सादे कर्ज के घटाने की नीति नहीं रखते और इसलिये उसकी शिकायत नहीं होनी चाहिये क्योंकि वह कर्जा जायदाद पर नहीं था क्योंकि वह सादा कर्जा है और चाहे जिस जरिये से वसूल हो सकता है। तो एक तो सादा कर्जा और किफालत का कर्जा दोनों में यह मोटा सा फर्क है कि वह किसी जायदाद खास पर नहीं होता और यह जायदाद विशेष पर होता है। जिस जायदाद खास पर किफालती कर्जा लिया गया है उसकी कीमत घट गई इसलिये उसके कर्ज को घटा दिया लेकिन सादा कर्जा किसी जायदाद विशेष पर नहीं लिया गया था इसलिये उसके घटने का कोई सवाल उठता नहीं था लेकिन हमने फिर भी घटाया। फिर दूसरा फर्क इस सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट का यह है कि मान लीजिये कि सिक्योर्ड डेट दो जायदादों पर है एक स्टेट की और एक नान स्टेट की और आस्थान जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन लिया गया उसमें फांट उसी तरह से हो सकती है जिस तरह से कानून इंतिकाल जायदाद ट्रांसफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट की दफा ८२ में मार्शल होती है। लेकिन सादे कर्ज में कैसे फांट होगी उसमें फांट नहीं हो सकती। पहले जो फर्क बतलाया गया था उसके

जैल में यह आता है। वह तो सिर्फ जमीन से वसूल हो सकता था उसकी दुकानदारी से वसूल हो सकता था, मुआविजे को नीलाम करके वसूल हो सकता था, फसल को कुर्क करके करा सकता था कोई और सामान या मोटर और हाथी हो तो वह कुर्क कराके हो सकता था तो सादे कर्ज में कर सकते हैं लेकिन जो जायदाद जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अधीन ले ली गयी लिहाजा इस कर्ज का इतना जुज घटा दिया जाय। यह भी इस में नहीं हो सकता क्योंकि किसी जायदाद खास से है नहीं और यह नहीं कहा जा सकता कि इतना जमीन पर है और इतना दूसरे सामान से लिया जा सकता है। तो इसलिये इन दोनों में फर्क है। फिर भी हमने किया यह कि अगर वह शख्स यानी डिग्रीदार मुआविजे से ही रुपया वसूल करना चाहता है तो जो इनकमबर्ड एस्टेट्स ऐक्ट में गुणक होता है उसका तनासुब जो आठ से होगा उतना ही गुना उसका कर्जा घट जायगा। मतलब यह कि छः सौ रुपया कर्जा एक आदमी पर है और मुआविजा और अनुदान उसको मिला है सौ रुपया। इनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट का उसमें मल्टिपिल ४० है तो पांच गुना जायदाद की कीमत उस मुआविजे की जो मुआविजा उसको मिला है अगर १०० रुपये के खिलाफ प्रोसीड करना चाहता है तो ५ सौ रुपये की बेबाकी दर्ज कर दी जायगी। तो इतना दफा ९ आगे चल कर कहती है।

माननीय सदस्य का संशोधन अगर मान लिया जाय, आप यह कहते हैं कि १०० रुपये न लीजिये ७५रु०लीजिये और ७५ कुर्क हो जाय। तो ७५ पंचे पौने चार सौ आप बेबाक कर दीजिये। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था पहली बात यह है कि जिस आदमी का सादा कर्जा है उसको कैसे मजबूर करेंगे कि अनुदान और प्रतिकर के खिलाफ कुर्की कराये। वह हाथी या फसल कुर्क करवायेगा। आप उसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि ६ सौ रुपये की फसल कुर्क करवाता है तो ६ सौ वसूल होंगे और अगर अनुदान के खिलाफ जाता है तो ६ सौ में पांच सौ बेबाक हुआ लिखा जायगा। लेकिन सीक्योर्ड डेट में हाथी और फसल या कोई और चीज नीलाम करवा नहीं सकता। वह जायदाद के खिलाफ जाता है और अब जायदाद सब्सिट्यूटेड सीक्योरिटी के तौर पर है, केवल अनुदान और मुआविजे के खिलाफ चल सकता है। तो हमने कर दिया, वह और चीज से वसूल नहीं कर सकता, कि तीन चौथाई ले सकता है। लेकिन चाहे हम तीन चौथाई या आधा कर दें, लेकिन हम जो सादा कर्जख्वाह है उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं वह प्रतिकर या अनुदान के खिलाफ ही पहले प्रोसीड करे और जो रेमिडीज ओपेन हैं उनके खिलाफ प्रोसीड न करे। जब दूसरी रेमेडीज ओपेन हैं तो वह गिरफ्तार करा सकता है नहीं प्रतिकर के खिलाफ जाता है तो कैसे आप मजबूर करोगे? आप छः सौ रुपया दोगे या यह कहोगे कि पांच सौ वह काटो और १०० लो। आप अपनी फसल बचाने के लिये या गाय भैंस बचाने के लिये या मोटर हाथी बचाने के लिये आप छः सौ का छः सौ दोगे। लेकिन अगर सादा कर्जख्वाह है, अगर उसको कोई जायदाद नहीं मिलती है तब वह इस पर जायगा कि प्रतिकर और अनुदान के खिलाफ जायगा।

और तब हमने यह किया है कि वह सारा ले सके और उस सूरत में पांच गुना तक उसकी बेबाकी हो जायगी। आप यह कहते हैं कि नहीं पौन गुना ले सके। तो जैसी कि मैंने मिसाल दी पौने चार सौ की बेबाकी होती और पूरा लेता है तो पांच सौ की बेबाकी होती। तीन-चौथाई लेंगे तो सवा दो सौ रुपया खड़ा रहता है और पूरा लेंगे तो केवल सौ रुपया खड़ा रहता है। पचीस के बजाय सवा सौ की बेबाकी होती है। ऐसे केसेज बहुत कम होंगे जब कि किसी भी जमींदार के पास सिवा इस मुआविजे के कुछ न बचा हो। तो इसलिये यह सादे कर्ज में और इसमें यह कनफ्यूजन हो रहा है। और यह केवल इसीलिये हो रहा है कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि इस बिल का मकसद केवल यह है कि जितनी जायदाद जिस आदमी की ली गयी उस पर जो कर्जा है उस कर्ज पर हम इतना घटा रहे हैं। सादा कर्जा जो है वह किसी जायदाद विशेष पर नहीं और इसलिये उसके घटाने का एक प्रकार से सवाल होता नहीं। लेकिन फिर भी हमने उसको रिआयत के तौर पर यह चीज रख दी।

[श्री चरणसिंह]

अब मैं एक दूसरी चीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कल कुछ बंगाल का जिक्र किया था कि वहां तो यह किया गया कि आधा ही कम्पेंसेशन ले सकते हैं कर्जख्वाह। आधा तो ले सकता है लेकिन क्या वहां कुछ घटाने की बात भी है? अव्वल तो वहां बिल पास नहीं हुआ, लेकिन वहां कहीं घटाने की बात है? यहां तो ६०० रुपया कर्जा है और १२० रु० घटा है और ३,००० आपको अनुदान और कम्पेंसेशन मिलता है। तो आप ६०० रु०नहीं ले सकते, १२० रु०ही ले सकते हैं। मैं यह समझता हूं अध्यक्ष महोदय कि माननीय ख्वाजा साहब को कोई भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ती, इतनी जोशीली तकरीर देने की, अगर इस बात को मद्देनजर रखते कि कर्जा जो असर्टेन होकर आया पहले कानून के मुताबिक जो घटा उसको भी हमने १/५ तक घटा दिया। इसको मैं जानना चाहूंगा कि इसकी कहीं और मिसाल है, हमारे देश के और सूबों में या दूसरे मुल्कों में? कहीं कोई मिसाल नहीं है। लेकिन बजाय इसके कि दाद देनी चाहिये और बहुत सी बातें चीन और बंगाल की बतला गये। तो बंगाल की बातों का जवाब तो मैं दे चुका। वहां तो यह है कि ६०० रु० कर्जा है तो ३०० रु० तक ले सकता है। हमारे यहां है कि ६०० रु० कर्जा है तो १२० रु० होगा, बहुत से मामले में, बहुत सी जगह १२५ रु० हो जायगा। मैं फिर दोहराता हूं कि जो मुआविजा और अनुदान की रकम उस १२० रु० से और ६०० रु० से कितनी ही ज्यादा क्यों न हो। फिर हमने एक दूसरा प्रतिबन्ध लगा दिया कि अगर ६०० रुपया जिसका कर्जा था, वह १२० हुआ और अनुदान और प्रतिकर जो था वह सौ हुआ यह मान लें तो हम कहते हैं कि १२० रु० में सौ नहीं ले सकता ७५ रु० ही ले सकेगा। तो दो तरह से घटा। अगर मुआविजा और अनुदान उसका कम है तो कर्जा घटा और फिर हमने लिखा कि इससे ज्यादा वसूल नहीं हो सकता। सादे कर्ज में यह बात है कि सौ के सौ ले सकता है, लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया वह सादा कर्जख्वाह अव्वल तो चाहेगा नहीं, क्योंकि दूसरी चीज कुर्क करायेगा, वह कैसे मजबर कर सकता है? उसका कर्जा तो जायदाद पर था नहीं।

अब रही चीन वगैरा की बात। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया वह कोई बात तुक की यहां लगती नहीं थी। वहां जमींदारी कैसे खत्म की गयी? कुछ थोड़े से ४०/५० आर्टिकिल्स हैं जो उसूल के तौर पर बखान किये गये हैं। वहां कानून ऐसे नहीं बनते जैसे यहां हमारे यहां बनते हैं कि एक एक बात पर बहस होती है और अदालतों में एक एक प्वाइण्ट पर नुक्ताचीनी होती है। वहां तो अपनी पार्टी की मर्जी पर छोड़ देते हैं और कर्जा वगैरह का जरा भी जिक्र नहीं है। दूसरे सोशलिस्ट कंट्रीज के बारे में कहा गया। तो रूस और चीन को तो आप अलग कर ही रहे हैं और जहां जमींदारी ली गयी, वहां मुआविजे दिये गये और कर्ज वहां थोड़े बहुत घटे होंगे। लेकिन मैंने ऐसा कानून कर्जे के सिलसिले में पढ़ा नहीं है कि कहीं ऐसा कानून बना हो। मैं अपनी मोटी अक्ल से कहता हूं कि जितनी रिआयत इस कानून में की गयी है उससे उनको और उनके वकीलों को तसल्ली न हो तो सिवाय बदकिस्मती के और क्या कहा जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करूंगा।

अध्यक्ष—क्या आप अपने संशोधन को वापस लेते हैं?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जी हां, जरूर वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

(इस समय १२ बजकर ३५ मिनट पर अध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) (ख) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु ...न्ध यह है कि २५० रुपये या इस से कम मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों का पुनर्वासन अनुदान इस कार्य के लिये निष्पादित नहीं हो सकेगा।"

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—आन प्वाइण्ट आफ आर्डर मैं श्रीमान् का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि संभवतः श्री रामनारायण त्रिपाठी ने एक संशोधन इस सदन के सामने इस आशय का उपस्थित किया था कि प्रतिकर की परिभाषा से पुनर्वासन अनुदान निकाल दिया जाय। तो उसका आशय यह था कि पुनर्वासन अनुदान से कर्जा वसूल नहीं होगा और इसी आशय को लेकर काफी बहस हुई और इस भवन ने इस बात को नामंजूर कर दिया यानी पुनर्वासन अनुदान को प्रतिकर की परिभाषा में रखा। उनकी यह दलील थी कि पुनर्वासन अनुदान प्रतिकर न माना जाय और उस दलील का आशय यह था कि प्रतिकर नहीं माना जायगा तो उससे कर्जा वसूल नहीं हो सकेगा। चुनांचे उनकी इस दलील को इस भवन ने अस्वीकार किया और इस संशोधन के जरिये वही बात कही जा रही है कि पुनर्वासन अनुदान से कर्जा निष्पादित नहीं हो सकेगा। तो बात वही है, केवल जगह भिन्न है और शब्द जरा दूसरे हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यह संशोधन अवैधानिक है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—चेयरमैन महोदय, माननीय सभा सचिव जी ने जो बात कही वह बहुत अंशों में सही है लेकिन मेरा जो संशोधन था वह इस विधेयक की परिभाषा में था। अगर विधेयक की परिभाषा में कोई संशोधन गिर जाता है तो असली जगह पर वह दोबारा मूव किया जा सकता है क्योंकि परिभाषा विधेयक का कोई विशेष अंग नहीं है। मेरा संशोधन वहां गिर गया और परिभाषा जो इसकी है उसके बावजूद भी यहां इस धारा से संशोधन का संबंध है इसलिये यह संशोधन यहां पेश किया जा सकता है।

श्री चरणसिंह—मैं जरा यह जानना चाहूंगा कि यह माननीय सदस्य कैसे कहते हैं कि परिभाषा विधेयक का अंग नहीं होती या किसी अधिनियम का अंग नहीं होती। यह माननीय सदस्य किस कानून के आधार पर कहते हैं।

अधिष्ठाता—मैंने वह संशोधन मंगाया है, उसको देख लूं।

श्री चरणसिंह—यह तो वे स्वीकार करते हैं लेकिन बात यह कहते हैं ....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—चेयरमैन महोदय, मैंने यह बात कही कि मेरा संशोधन गिर जाने के बाद भी और जैसी विधेयक की परिभाषा है उसके बाद भी यह संशोधन संगत है और यह पेश किया जा सकता है।

अधिष्ठाता—मैं देखता हूं संशोधन, उसके बाद बताऊंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो माननीय मौर्य जी ने अभी प्वाइण्ट आफ आर्डर उठाया है वह तो खुद ही बिलकुल बे बुनियाद है चूंकि पुनर्वासन अनुदान की परिभाषा अगर माननीय त्रिपाठी जी की नामंजूर हो चुकी है तो दूसरी परिभाषा माननीय मंत्री जी की विधेयक में मौजूद है। तो यह संशोधन किस प्रकार अवैधानिक है?

अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि श्री रामनारायण जी ने पहले जो संशोधन पेश किया था वह संशोधन और यह संशोधन जो आज पेश हुआ है एक ही से हैं और वह संशोधन जब गिर गया तो यह संशोधन जो आज पेश हुआ है अवैधानिक है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं एक संशोधन पेश करना चाहता हूं जिसके शब्द ये हैं:—

खंड ८ के उपखंड (१) का भाग (ख) निकाल दिया जाय।

[श्री भगवान सहाय]

श्रीमन्, अगर इस उपखंड को हम पढ़ें तो इसके शब्द ये हैं—

"उक्त डिक्री यह समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, बन्धक किये हुये आस्थान के संबंध में देय पुनर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी।"

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, सर। मैं श्रीमन्, का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय रामनारायण जी के संशोधन के समय जैसा मैंने अर्ज किया था कि जो उनका संशोधन था कि पुनर्वासन अनुदान इस कार्य के लिये निष्पादित नहीं हो सकेगा वह गिर गया और जो श्री रामसुन्दर पांडेय जी का संशोधन था कि कोई डिक्री पुनर्वासन अनुदान से निष्पादित नहीं हो सकेगी वह भी भवन ने अस्वीकार कर दिया। तो श्री भगवान सहाय जी के संशोधन में भी वही बात आती है उनका संशोधन यह है कि भाग (ख) को निकाल दिया जाय। यानी इसका अर्थ यह होगा कि पुनर्वासन अनुदान निष्पादित नहीं हो सकेगा। तो यह बात इस भवन ने अस्वीकार कर दी है। इसलिये श्री भगवान सहाय जी का यह संशोधन अवैध है।

अधिष्ठाता—श्री भगवान सहाय जी ने जो अपना संशोधन पेश किया है वह मैं वैधानिक समझता हूं और जो आपने दलील दी है वह मुझे ग्राह्य नहीं है।

श्री भगवान सहाय—श्रीमन्, सब से पहले मुझे यह अर्ज करना है कि पुनर्वास अनुदान के माने क्या हैं। असल में बात यह है कि हम कानून तो इस सदन में हिन्दी में बनाते हैं लेकिन निफाज अदालतों में अंग्रेजी में होता है। इस लिये श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से रिहैबिलिटेशन के माने अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूं जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी आफ दि इंग्लिस लैंगुवेज में दिया हुआ है। रिहैबिलीटेशन के माने श्रीमन् यह हैं जो Funk and Wagvalls, New tandard of English Language नई डिक्शनरी में इसके माने दिये हुये हैं कि—

"Rehabilitate....to restore to former status, capacity, life, rank or privilege, to reinstate as of a social outcaste in Scottish and French law. In south African Bankruptcy law, to discharge from liability. Rehabilitation means the act of reinstating to former state of the rehabilitated."

[पुनर्वासन—पहली हैसियत, क्षमता, जीवन, पद या विशेषाधिकार पुनः प्राप्त करा देना, सामाजिक जातिच्चुत को पुनः स्थापित कर देना जैसे स्काट लैंड या फ्रांस के कानून में, दक्षिण अफ्रीका के दिवालिया कानून में दायित्व से मुक्त करना। पुनर्वासन का अर्थ पुनर्वासित को पहली अवस्था में पहुंचा देने की क्रिया है।]

श्रीमन्, तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब हम इसको रिहैबिलिटेशन या रिहैबिलिटेट के टर्म्स में सोचते हैं तो देखते हैं कि इस उपखंड को रखने से हमारे रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने के सारे माने खत्म हो जाते हैं। जिस उसूल को मानकर हम ग्रांट देते हैं वह सब खत्म हो जाता है। क्योंकि ग्रांट दी जाती है यह हमने मान लिया है कि जमींदार को उसकी रोजी से हमने वंचित कर दिया है और उसकी रोजी जो हमने ली उसके लिये हमने उनको मुआविजा दिया। हमने यह ग्रांट सिर्फ उनको दी है जो कि छोटे जमींदार हैं उनको जरिया माश खोजने के लिये यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट दी है। यह उसूल हम तय कर चुके हैं और इसी उसूल को मानकर श्रीमन्, हमने बड़े जमींदारों को यह ग्रांट नहीं दी है। क्योंकि हमने समझा कि उनको जो मुआविजा मिल रहा है उससे वह अपना जरिया माश खोज सकते हैं।

दूसरे कल हमारे माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया था कि अगर इस विधेयक से नुक्सान है तो कर्जा देने वाले को है। मैंने इस बात को बहुत गौर से सोचने की कोशिश की और

कोशिश की समझने की लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। सवाल यह है कि जब आपने एक तबके को उसकी आमदनी करने के स्थान से वंचित कर दिया लेकिन देखना यह है कि उसमें ताकत है इस बात की कि वह इस रुपये को दे सकता है या नहीं। श्रीमन्, तमाम सभ्य मुल्कों के अन्दर इसी उसूल को माना गया है कि रियासत उन कर्जों की अदायगी जिनको कर्जदार देने के काबिल नहीं है उसकी अदायगी रियासत न कराये। यह उसूल तमाम सिविलाइज्ड कंट्रीज में माना गया है।

अब देखना यह है कि जमींदार की इतनी कपेसिटी है कि वह कर्जा दे सकता है या नहीं। यह कहा गया है कि उसने बटेर लड़ाने के लिये लिया हो या तीतर लड़ाने के लिये लिया हो या किसी भी काम के लिये लिया हो कर्जा उसने लिया और कर्जदाता ने दिया उसकी अदायगी की ताकत को देखकर और जब अदायगी का स्थान हमने खत्म कर दिया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उसकी अदा करने की ताकत को हमने खत्म कर दिया। इसी बात को देख कर, इसी मुसले को सोचकर हमें तय करना है कि यह उसूल रखा जाय या नहीं।

मिसाल के तौर पर मैं यह कहता हूं कि जब उसका मुआविजा और पुनर्वासन दोनों को देखकर वह इतना हो कि जो उसकी कीमत से किसी भी हालत में बराबर न हो। हम मानें कि अगर उसकी एक लाख रुपये की जायदाद थी और कर्जा था ५०,००० रुपया। तो फिर जायदाद खत्म होने के बाद उसको मुआविजा मिलेगा २० हजार रुपये जैसा कि माननीय माल मंत्री ने अभी बतलाया।

श्री चरणसिंह—मैंने कब कहा २० हजार मुआविजा मिलेगा। मैंने तो यह कहा था कि १ लाख की जमींदारी है और ५० हजार रुपये कर्ज है तो अगर उसमें से १० हजार रुपये भी न लिये जायें तो कितने लिये जायं। मुआविजा १ लाख पर क्या मिलेगा इसके बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं।

श्री भगवान सहाय—जो मुआविजा मिला वह कर्जे की कीमत से कम है। अगर केलकुलेट करेंगे तो बहुत से केसेज में कर्जे के एमाउंट से वह कम होगा तो जो बाकी कर्जा रह जाता है। उसमें हम पुनर्वासन अनुदान ले लें यह तो ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि बहुत से जमींदार कर्जा लेते थे और अपनी जमींदारी की आमदनी से धीरे धीरे अदा करते थे जमींदार की आमदनी अब खत्म हो गई। इसलिये हम मान भी लें कि मुआविजे में अदा हो लेकिन जो रिहैलिबिटेशन ग्रांट है उससे अदायगी हो जाय यह बात समझ में नहीं आती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जमींदारों ने कुछ किया हो, उनके पुराने तरीके कुछ भी रहे हों लेकिन हम लेजिस्लेटर्स की हैसियत से वे ही है जो एक डाक्टर की होती है जो आपरेशन करते वक्त जब टेबिल पर जाता है तो वह यह नहीं सोचता कि जिस पेशेन्ट का वह आपरेशन कर रहा है वह बदमाश था या भला आदमी था। उसके सामने एक ही उद्देश्य रहता है और वह यह कि उसके रोग का उपचार किया जाय और अगर जरूरत होती है तो वह उसको अंगविहीन भी करता है लेकिन किसी वैमनस्य की वजह से नहीं बल्कि एक जरूरी फर्ज की अदायगी में वह ऐसा करता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें लेजिस्लेटर्स की हैसियत से यह नहीं देखना है कि जमींदारों के फेल क्या रहे हैं हमें तो इस मामले को इन्साफ की नजर से देखना है। फिर सबसे पहला सवाल यह है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट हम रिफ्यूजीज को दे रहे हैं जो पंजाब, सिंध और पूर्वी बंगाल से आये हैं। उनको बसाने के लिये रियासत उनको रुपया देती है। उसी उसूल के मातहत हमने जमींदारों को रुपया दिया है तो श्रीमान्, मैं यह समझता हूं कि यह जमींदारों की रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट को अटैच करना न्यायोचित नहीं है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा

[श्री भगवान सहाय]

कि वह रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट को इसमें से निकाल दें क्योंकि इसको छोड़ कर वह उसी उद्देश्य का पालन करते हैं जिस उद्देश्य से उन्होंने रिहैबिलिटेशन ग्रांट जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट के मातहत दी।

श्री चरणसिंह--माननीय अधिष्ठाता, मुझे खेद है अपनी नाकाबिलियत पर कि तीन दिन मुझे समझाते हो गये कि जमींदारों का ऋण किस तरह कम होगा लेकिन मैं, अभी तक समझा नहीं पाया। पेश्तर इसके कि मैं कर्जा कैसे घटेगा उसके बारे में कुछ अर्ज करूं मेरी प्रतिक्रिया जो इस संशोधिन पर और व्याख्यान को सुनकर हुई वह यह है कि "एक शुद न दो शुद।" संशोधन का जो उद्देश्य था वह तो यही था कि ढाई सौ रुपये से कम के मालगुजार की अनुदान से कर्जा वसूल न किया जाय लेकिन मेरे मित्र का संशोधन यह है कि चाहे कितना बड़ा जमींदार हो पुनर्वासन अनुदान को छुआ न जाय।

श्री भगवान सहाय--सब जमींदारों को तो आपने पुनर्वासन अनुदान दिया भी नहीं है।

श्री चरणसिंह--४२९ जमींदार ऐसे हैं जिनको पुनर्वासन अनुदान नहीं मिला है। ४२५ को नहीं मिलेगा और बाकी २० लाख को पुनर्वासन अनुदान मिलेगा। अगर २० लाख को मिले और ४२५ को नहीं मिले तो कोई बेजा बात नहीं है और अगर इसके मुताल्लिक मैं यह कहूं बहुतों को मिला है तो बेजा न होगा। आपका कहना यह है कि किसी जमींदार का पुनर्वासन अनुदान वसूल न किया जाय। कल सदन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था और मैं यह समझता हूं कि सदन इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं करेगा। जो बातें इसके सम्बन्ध में कल कही गई थीं उनको मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं। रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट के बारे में रिहैबिलिटेट शब्द के असल मायने किसी डिक्शनरी में देखने से कोई फायदा नहीं है। रिहैबिलिटेशन की डैफिनिशन हमारे उस ऐक्ट में दी हुई है और उसी से हमारा मतलब है। उस वक्त हमको कोई दूसरा शब्द नहीं मिला इसलिये यह शब्द रख दिया गया। जैसा मैंने कहा था कि रिहैबिलिटेशन और कम्पेन्सेशन में कोई फर्क इसकी असलियत में नहीं है। टैक्नीकल या कानूनी केवल अन्तर है। जमींदारी अबालिशन कमेटी रिपोर्ट में उनको गिनाया हुआ है जो २ से लेकर २५ गुना तक हस्ब हिसाब जमींदारों को दिया जायगा। वैसे रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट और कम्पेन्सेशन में कोई फर्क नहीं है। इसलिये किसी और सूबे में जहां पर जमींदारी को खत्म किया गया है वहां पर यह तफरका नहीं किया गया। हमने जो किया है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट से साबित हो गया कि ऐसा करने में कम से कम हमने बेवकूफी नहीं की बल्कि कुछ हल्कों में यह कहा गया कि हमने ऐसा करने में बुद्धिमानी की। जिस वक्त यह लैंड रिफार्म ऐक्ट ड्राफ्ट किया जा रहा था उस वक्त यह कठिनाई सामने आई कि मान लीजिये एक मुहाल है और उसमें महाराजा बलरामपुर का भी हिस्सा है और किसी १० रुपये के मालगुजार का भी हिस्सा है। अब जमीन के हालात और दूसरे हालात सब यकसां और कानूनी भी एक लिहाज मगर जो हिस्सेदार १० रुपये वाला मालगुजार है उसको तो २५ गुना मिलेगा और महाराजा बलरामपुर को दुगुना या ८ गुना मिलेगा तो बिफोर ला यह बराबरी नहीं हुई। इसलिये हमने यह किया कि जो कम्पेन्सेशन हम दे रहे थे उसके ऊपर यह समझा गया कि कुछ और दिया जाय और उसका नाम हमने रिहैबिलिटेशन ग्रांट रखा। केवल इसी बिना पर हमारा बिल वैलिड करार

हुआ और इसी बिना पर बिहार का जमींदारी अबालिशन बिल इनवैलिड करार हुआ। इसलिये रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट और कम्पेन्सेशन दो शब्द इस्तेमाल किये गये। वही मोटा अर्थ है और कोई फर्क रिहैबिलिटेशन और कम्पेन्सेशन में नहीं है। जहां तक कर्जख्वाह का सम्बन्ध है उसके लिये वह भी एसेट हैं। जजमेंट डेटर के लिये दोनों के लिये कोई फर्क नहीं है और कोई वजह नहीं मालूम होती है कि क्यों न उसकी रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट में से तीन बटे चार कर्जा वसूल किया जाय। फिर अधिष्ठाता महोदय, मेरे मित्र ने मिसाल दी कि एक लाख की जायदाद और उस पर ५० हजार का कर्जा। तो जिसकी एक लाख की जायदाद है तो उसको २५, ३० हजार रुपया जरूर मुआविजा मिलेगा और ५० हजार का जो कर्जा है वह भी १० हजार तक घट सकता है और कहीं १५ हजार और २० हजार तक भी घट सकता है। मुख्तलिफ जिलों में मुख्तलिफ रेशियो निकलेगा लेकिन एक बटा पांच तक घट सकता है। मान लीजिये कि वह गोरखपुर डिवीजन की जायदाद थी वहां पर ७० फीसदी मल्टीपिल दिये हुये हैं इन्कमबर्ड इस्टेट ऐक्ट के मुताबिक। जब यह मल्टीपिल इन्कमबर्ड इस्टेट ऐक्ट के मातहत तय किये गये तो उन्होंने कोशिश की तो इसलिये सेलेक्ट कमेटी ने यह कहा कि इसकी एक अपर लिमिट रख दी जाय कि ४० तक का मलटिपिल लिया जाय और उसके ऊपर के हों तो वह न लिये जायं और ४० ही आखिरी हद मानी जाय। अगर वह जायदाद पूर्व के किसी जिले में है तो वह १।५ होगा और अगर मान लीजिये कि २५ हजार मुआवजा मिला तो आपका क़र्जा भी तो दस हजार बारह हजार या १५ हजार ही होगा। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि शिकायत क्या है?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—मैं एक प्वाइण्ट आफ़ इन्फ़ारमेशन लाना चाहता हूं। मैं जनाबवाला से यह अर्ज कर रहा था कि जैसा कि आपने खुद फरमाया कि १३ मलटिपिल है वेस्टर्न अजला में और यहां १३।८ यानी वह आधा भी नहीं होता है और साथ ही इसकी कोई मिनिमम लिमिट भी फ़िक्स नहीं की गई है। इस चीज को जरा साफ़ कर दिया जाय तो अच्छा है।

श्री चरणसिंह—मैंने तो अपने आप ही अर्ज किया कि कहीं-कहीं १३ भी है। कहीं-कहीं एक दो परगनों में २३ भी है दातागंज या सहारनपुर में एक परगना है, बिजनौर में भी कहीं १७ है परगने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। १३ तो सिर्फ एक ही जगह पर है और बाकी आम तौर पर २४–२५ है और एक तिहाई तो किसी-किसी जगह हो जायगा। बाकी जगह में आधे के करीब होगा और वह कहीं-कहीं १।५ तक आ सकता है। मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि मुआवजा अगर क़र्ज़े से ज्यादा हो तो भी क़र्जा घट रहा है। जैसा कि माननीय ख्वाजा साहब ने कहा कि वहां भी मिनिमम लिमिट रखना चाहिये। जो लोग उदारता के साथ मनीलैंडर का पक्ष लेना चाहें वह कह सकते हैं कि क़र्ज़े से मुआवजा ज्यादा हो तो कर्जा बिल्कुल घटना नहीं चाहिये। मैं तो यह कहता हूं कि मुआवजा क़र्ज़े से जहां ज्यादा है तो भी वह घटेगा।

इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें इतनी उदारता बर्ती गई है कि हमारे मित्र श्री वीरेन्द्रशाह भी तस्लीम करते हैं कि इतना हो नहीं सकता। मैं समझता हूं कि शायद मेरे समझाने में ही कोई कसर रह जाती है और इसीलिये इस छोटे से बिल में ढाई दिन लग चुके हैं वर्ना इसे तो जय के नारों के साथ पास हो जाना चाहिये था।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—जो संशोधन अभी हमारे मित्र भगवान सहाय ने पेश किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय

[राजा वीरेन्द्रशाह]

मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि जहां तक सरकार की तरफ से इस बिल के आने का सवाल है मैं कह चुका हूं कि उनका फ़र्ज़ था और जो कुछ किया है ठीक किया है, उसके लिये मैं बार बार सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह अनुदान रिहैबिलिटेशन के बारे में है, यह आपने उन्हीं को दिया है जो जमींदारी खत्म होने के बाद इस क़ाबिल नहीं रहेंगे, जितने छोटी आमदनी के लोग हैं तो आप इतना क़दम और बढ़ा सकते हैं और उनको इस क़र्ज़े से मुक्त कर सकते हैं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि यह कोशिश है कि मुआवज़े की रक़म ज्यादा है तो क़र्ज़ा नहीं घटना चाहिये। मेरी राय में उसूल तो यह होना चाहिये कि जिस तरह से जिस अनुपात से आपने हमारी जायदाद को घटाया है उसी अनुपात से क़र्ज़ा भी घटा दिया जाय। क़र्ज़े को उसी तरह से घटाना चाहिये जिस तरह से कि जायदाद की क़ीमत घटाई गई है। यह भी मालूम होना चाहिए। कि किस तरह से कर्ज लिया गया। आम तौर पर देहात में ऐसा हुआ है कि क़र्ज़ा का सूद को कम दिखाने के लिये सूद की रक़म सेठ साहूकारों ने पहले ही ले ली है यानी बजाय ३०० रु० के ५०० रु० का काग़ज़ लिखा लिया है। सारा सदन जानता है कि किस तरीक़े से ज़मींदारों पर क़र्ज़ा है और कितना पुराना है। जब सरकार हमारी जायदाद लेती है तो क़र्ज़े का भी पूरा भार उसे लेना चाहिये। इस संशोधन का मतलब सिर्फ यही है कि जब आप कहते हैं कि ३।४ तक उसे छोड़ दिया जायगा तो १।४ के लिये भी तो यह कहने के लिये कर दीजिये कि वह पुनर्वासन अनुदान से नहीं कटेगा, इससे उन लोगों को सान्त्वना होगी। मंत्री जी भी कह चुके हैं उन्हें ज्यादा ग्रांट नहीं मिलेगी। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो सिक्योर्ड डेट नहीं है वे ज्यादातर छोटे ज़मींदारों के ऊपर हैं। उससे उनको एक भय है और अगर आप उससे उनको मुक्त कर देंगे तो उनकी कुछ सहायता हो जायगी। आप बहुत कुछ आगे बढ़ ही गये हैं और थोड़ा सा क़दम बढ़ाना है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे इस विनय को स्वीकार करेंगे और इस संशोधन को मानेंगे।

श्री गेंदा सिंह (ज़िला देवरिया)—माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे अफ़सोस है कि मुझे श्री भगवान सहाय जी के संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है। रिहैबिलिटेशन ग्रांट की जो परिभाषा उन्होंने बताई उससे तो मैं इत्तिफ़ाक़ करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह—अभी हमारी समाजवादी पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि वह इसका विरोध करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनका संशोधन तो यह था कि पुनर्वासन अनुदान बिलकुल क़र्ज़े में न लिया जाय। तो अब वह इसका विरोध कैसे कर रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा (ज़िला अलीगढ़)—अब समझ आ गई है।

श्री गेंदासिंह—हमें श्री नेकराम जी के कहने से पहले समझ थी और उसी के अनुसार हमारा संशोधन था। इस समय भी वही समझ हमारे साथ है लेकिन कुछ ऐसे लोग ज़रूर बैठे हैं जिनकी सूरत से देखने से गड़बड़ में पड़ जाते हैं। मालूम नहीं साथ होने से कितना नुक़सान हो जाता। हमारा संशोधन बहुत स्पष्ट था कि ढाई सौ रुपये से कम की मालगुजारी देने वाले या २५० रु० तक की मालगुजारी देने वाले जो भतपूर्व ज़मींदार हैं उनके रिहैबिलीटेशन की रक़म को इस क़र्ज़े के भार से मुक्त किया जाय। दुर्भाग्यवश न हमारे राजस्व मंत्री जी और न हमारे मित्र श्री नेकराम जी इसे समझ सके और यह न समझने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो डालनी नहीं चाहिये। मेरे इस मौजूदा संशोधन का विरोध करने के बहुत स्पष्ट कारण हैं। रिहैबिलीटेशन शब्द से यह कनफ्यूज़न पैदा हो सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। जो कुछ भी माननीय

राजस्व मंत्री जी ने कहा वह कनफ्यूजन को बहुत बढ़ाने वाला है। कनफ्यूजन को दूर करने वाला नहीं है मुझे जब कभी अवसर मिलेगा तो थोड़ी देर के लिये मौर्य जी के शब्दों को सदन के सामने रखने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं रिहैबिलिटेशन ग्रांट के सम्बन्ध में उनकी राय बतलाऊंगा । जब कभी रिहैबिलिटेशन ग्रांट की बात आयी, जब कभी किसी किसान से १० गुना वसूल करने में शिकायत हुई उस समय सरकारी पक्ष की ओर से यही कहा गया कि यह पैसा बड़े जमींदारों, या ऐसे जमींदारों जिन्होंने किसानों के खून से अपनी जिन्दगी पाली है, उनकी बहबूदी के लिये लेना नहीं चाहते हैं बल्कि सरकार उस पैसे को इसलिये लेना चाहती है कि हमारे प्रान्त में २० लाख जमींदारों के परिवार हैं उनमें १७ लाख परिवार ऐसे हैं जिनको सरकार किसानों की परिभाषा में मानती है, तथा उनको मुसीबतजदा समझती है, अतः उनको आगे की जिन्दगी चलाने के लिये मदद में खर्च करना चाहती है । यह बोली बदली अब की मर्तबा। मैं नहीं समझता कि यह बोली किस लिये बदली। इसी के साथ-साथ मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जब कभी हम यह कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट को क़र्ज़े के भार से मुक्त कर दिया जाय तो हम इस बात के कबूल करने में अपना फख्र समझते हैं कि हम प्रायः सम्पत्ति के विभाजन की बात किया करते हैं और उस बात पर बराबर ग़ौर किया करते हैं और यह समझते रहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों में संपत्ति का उचित रूप से बटवारा हो सके और इसीलिये २५० रुपये से ऊपर के लोगों की रिहैबिलिटेशन ग्रांट को भी हम क़र्ज़े के भार से मुक्त कराना नहीं चाहते । २५० रुपये से ऊपर के लोगों की रिहैबिलिटेशन ग्रांट कर्ज़े के भार से मुक्त कर दिये जाने के मानी यह होंगे कि जिस प्रकार हम कंपेंसेशन की बड़ी भारी रक़म उनके हाथ में दे रहे हैं उसी तरह रिहैबीलीटेशन ग्रांट के नाम पर एक गहरी रक़म देंगे। हमारा यह विचार है और पक्का विचार है कि यह रुपया जितने ही थोड़े हाथों में जायगा उतना ही उस रुपये का दुरुपयोग होगा और जितने ही ज्यादा लोगों के हाथ में जायगा उतना ही उसका ठीक ठीक उपयोग हो सकेगा । हम जानते हैं कि छोटे जमींदारों के हाथ में जितनी रकम जाती है अगर हम उसी अनुपात में देखें कि बड़े जमींदार जिनकी तादाद बहुत थोड़ी है उनके हाथ में बहुत बड़ी रक़म चली जाती है। अतः हमें इस बात का डर है कि उस रक़म से देश के लिये कोई उपयोगी कार्य नहीं हो सकता। हम यह नहीं कहते कि बड़े जमींदार कोई भला कार्य नहीं कर सकते परन्तु स्थिति के अनुकूल बनाने में मनुष्य को थोड़ी देर लगती है ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री गेंदासिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि २५० रु० के जितने भूतपूर्व जमींदार हैं उनके रिहैबिलिटेशन के सम्बन्ध में जो माननीय भगवान सहाय जी ने संशोधन रखा है उसको अस्वीकार कर दिया जाय। उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यदि उस संशोधन को स्वीकार किया जाता है तो जो बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा किसानों का है, किसानों के घर से निकल कर सरकारी खजाने में आता है । वह सारा पैसा अधिकतर ऐसे लोगों के पास जाता है जिन्होंने जीवन में बहुत ही अनुपार्जित धन पैदा किया है। यह इनकम जो है, मैं इस बात को कहने के लिये तैयार हूं कि बड़े जमींदारों ने बहुत रकम पैदा की थी। आज भी उन भूतपूर्व जमींदारों के पास हमारी जो आज की हुकूमत है उसकी नीति के कारण बहुत ज्यादा तादाद में जमीन भी रह रही है। फिर रिहैबिलिटेशन की तो उनको आवश्यकता नहीं थी । रिहैबिलिटेशन तो जैसा कि हमारे माननीय

[श्री गेंदासिंह]

राजस्व मंत्री ने बतलाया कि वह उनका एक बहाना था रुपया देने का जमींदारों को। उन्होंने कहा और बहुत स्पष्ट कहा इस हाउस के सामने कि हमने सिर्फ दो नाम रखे थे। हमारा तो मकसद था कि हम जमींदारों को रूपया दें। हमारे सामने कुछ कठिनाइयां थीं, ऐसा माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि हम कम्पेनसेशन दें या रिहैबिलिटेशन के नाम पर दें। इसलिये हमने कम्पेनसेशन और रिहैबिलिटेशन दो नाम करके जिसे देना चाहते थे उनको दे रहे हैं। हमारी बहुत स्पष्ट नीति है इस सम्बन्ध में कि अगर हम रिहैबिलिटेशन देते हैं तो हम रिहैबिलिटेशन ग्रांट उनको दें जिन्हें कि रिहैबिलिटेट करना है। यह बहुत स्पष्ट बात है कि २५० रु० से कम के जो जमींदार हैं जिनकी तादाद १७,११,००० इस प्रदेश में है उनको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है। ये १७,११,००० जो जमींदार हैं, अगर हम औसत आबादी मान लें, ५ आदमियों का एक परिवार मान लें तो करीब ८५, ९० लाख के ये सदस्य होते हैं। तो ८५, ९० लाख आदमियों के जीवन का प्रश्न आज हमारे सामने है। अगर आज हम ऐसी हुकूमत में होते तो हमें भी इस बात को सोचना पड़ता कि इन ८५, ९० लाख आदमियों को कैसे उनके आगे के जीवन को सुधारने का मौका दें। और फिर २५० रु० से कहीं ग़लतफहमी हो सकती है, मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सरकारी आंकड़े पेश करना चाहता हूं। अगर ये सभी लोग २५० रु० देने वाले होते तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन मामला तो यह है कि--

श्रीमान्, क्षमा करेंगे, मैं गलत फीगर दे गया। २५० रु० देने वाले १९,८६,६४९ जमींदार इस प्रदेश में हैं और २५ रु० या इससे कम जो मालगुजारी देते हैं उनकी तादाद १७,१०,५३० है। तो जो २५ रु० या उससे कम मालगुजारी देने वाले जमींदार हैं उनकी कोई परवाह इस हुकूमत ने नहीं की बल्कि इस हुकूमत ने परवाह की रिहैबिलिटेट करने की बहुत बड़े जमींदारों को। २५० रु० से ज्यादा वालों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट जो है, या कम्पेनसेशन इन दोनों का हिसाब लगाया जाय तो माननीय राजस्व मंत्री जी इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे क्योंकि आंकड़ों से जहां तक उनका सम्बन्ध है, बड़ा प्रेम है और वे हमको आंकड़े भी बड़े मजे के देते हैं। तो कम से कम हमें यह तो बतावें कि यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेंसेशन की जो रकमें हैं उसमें से कितनी रिहैबिलिटेशन ग्रांट की शक्ल में और कितनी कम्पेंसेशन की शक्ल में २५ रुपये या उससे कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों के हाथ में जाती है और कितनी रक़म ढाई सौ या उससे कम की मालगुजारी देने वाले जमींदारों के हाथ में जाती है और जो थोड़े से आदमी हैं ३०,१४२ आदमी २५० रुपये से ऊपर के मालगुजारी देने वाले जमींदार हैं उनके हाथ में कितना जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो मालगुजारी जिस हिसाब से सरकार को अदा की जाती थी उस हिसाब से तो हम समझते हैं कि उनकी निकासी भी बड़ी होगी। अगर उसी निकासी के हिसाब से देखें तो हम पायेंगे कि २५० रुपये या उससे कम की मालगुजारी देने वाले जमींदार २ करोड़ ८७ लाख १६ हजार ९ सौ ४१ रुपया मालगुजारी अदा करते हैं और २५० रुपये से ऊपर जैसा मैंने निवेदन किया जो ३०,१४२ आदमी हैं वे ३,९५,५२७ रुपया मालगुजारी देते हैं तो अगर इस हिसाब से रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेंसेशन देते हैं कुदरती तौर पर उनको ज्यादा रकम देनी पड़ेगी और इसको हुकूमत ने पसन्द किया। अब जो यह संशोधन है उस संशोधन का केवल इतना ही मतलब है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट जो दिया जाता है वह सारा कर्ज के बोझ से माफ कर दिया जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात आपने कही कि ज्यादा देना पड़ेगा तो मल्टीपिल तो ग्रेडेड है। मल्टीपिल का हिसाब करके जरा हिसाब लगायें।

श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही अर्ज किया कि माननीय राजस्व मंत्री के आंकड़ों से मुझे बहुत प्रेम है और माननीय राजस्व मंत्री इस सम्बन्ध में आंकड़े देंगे ही । कम्पेंसेशन में तो मल्टीपिल का सवाल नहीं उठता। कम्पेंसेशन तो एक ही हिसाब से हर जमींदार को मिलता है। यह मैं मानता हूं कि रिहैबिलिटेशन में कुछ कमी बेशी का सवाल है। इसलिये ही मैंने माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि जो ३०,१४२ आदमी बड़े जमींदार हैं उनकी मालगुजारी कितनी है और जो २५० रुपये से कम वाले मालगुजारी देने वाले जमींदार थे उनकी मालगुजारी कितनी है । जरा यह मल्टिपिल लगा कर मेरे ऊपर मेहरबानी करके बतलायेंगे तो उससे सदन को भी लाभान्वित करेंगे और मुझे भी लाभान्वित करेंगे क्योंकि मैं तो देहाती किसान हूं और यह बतलायेंगे कि कितनी रक़म उन बड़े आदमियों के घर पहुंचती है और कितनी रक़म इन छोटे के घर। मैं इस सम्बन्ध में एक बात जरूर यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के भाग्य का फैसला करने के लिये एक प्लानिंग कमीशन बैठा था उसने क्या कहा। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से उसके दो सेंटेंस केवल पढ़ना चाहता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—प्वाइंट आफ आर्डर पर मैं एक बात की तरफ श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह इस बात का है कि पुनर्वासन अनुदान बिल्कुल निकाल दिया जाय और कर्ज की वसूली उससे न हो यानी पुनर्वासन अनुदान क़र्ज़े की वसूली से बरी कर दिया जाय, यह संशोधन है। और हमारे श्री गेंदा सिंह जी ने उस संशोधन का विरोध किया है और अब ढाई सौ से नीचे के पुनर्वासन अनुदान के संबंध में आप अपनी सारी दलीलें सीमित कर रहे हैं और यह बात इस सदन ने अस्वीकार कर दी है पहले ही कि ढाई सौ से नीचे के पुनर्वासन को बरी किया जाय। श्री रामनारायण जी ने पहले जो संशोधन उपस्थित किया था वह इस भवन ने अस्वीकार कर दिया था और आज भी जो संशोधन उपस्थित हुआ था उसमें भी चेअर की रूलिंग हो चुकी है। अब जो मौजूदा प्रस्ताव उपस्थित हुआ है वह यह है कि पुनर्वासन अनुदान क़र्ज़ से बरी किया जाय। आपने शुरू में कहा कि मैं इस संशोधन का विरोध कर रहा हूं लेकिन जितनी दलीलें दे रहे हैं वह ढाई सौ ने नीचे के पुनर्वासन अनुदान सुरक्षित करने के लिये दे रहे हैं। तो यह कहां तक संगत है?

श्री गेंदासिंह—मैं सारी दलीलें पेश कर रहा हूं कि कल मैंने क्यों पुनर्वासन अनुदान को कर्ज के भाग से मुक्त करने की बात कही थी और आज क्यों कहता हूं कि पुनर्वासन अनुदान को क़र्ज़े के भाग से मुक्त नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष—तो माननीय सदस्य ढाई सौ से नीचे पर जो अनुदान दिये जाने की तजवीज है उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं?

श्री गेंदासिंह—उसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

उपाध्यक्ष—तो सिर्फ एक आर्गूमेंट के तौर पर एक बात आपने पेश की।

श्री गेंदासिंह—और फिर मैं माननीय भगवान सहाय जी से निवेदन करूंगा कि उनका जो संशोधन है कि सभी जमींदारों का पुनर्वासन अनुदान इस कर्ज के भाग से मुक्त अनुदान इस कर्ज के भाग से मुक्त कर दिया जाय उस संबन्ध में वह मेरी राय पर विचार करेंगे। मुझे तो नहीं कहना चाहिये । लेकिन मैं माननीय राजस्व मंत्री की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरी दलील उन्हें पसन्द आये तो

[श्री गेंदासिंह]

वह अपने संशोधन को वापस ले लें। मैं समझता हूं कि सम्भव है कि मेरी दलीलें माननीय भगवान सहाय को पसन्द आये और वह मेरे ही परिश्रम से यह संशोधन वापस हो जाय। इसलिये मैं माननीय भगवान सहाय की जानकारी के लिये, गोकि मैं जानता हूं कि माननीय भगवान सहाय को इसकी जानकारी होगी लेकिन मैं उनका ध्यान प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट की ओर दिलाता हूं जिसे उन्हीं के दल की भारतीय सरकार ने बिठाया था। उसकी राय यह है--

"The economic and social standard to be attained through planning is indicated in the directive principles of state policy enunciated in articles 26 to 28 of the Constitution. In terms of these directive principles, the State is to regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of the people as under its primary duty.

The economic policy of the State must be governed by the obligation placed upon it to secure that the citizens, men and women equally have the right to adequate means of livelihood. The State has to endeavour within the limits of its economic capacity and its state of development to make effective provision for securing the right to work, the right to education and the right to public assistance in case of unemployment, old age, sickness, disablement and in other cases of deserving want for attaining these ends. The directive principles enjoin that the ownership and control of the material resources of the country should be so distributed as best to subserve theeconomic good and that the operation of the economic system should not result in the consolidation of wealth and the means in a manner detrimental to the common good."

[संविधायन के माध्यम से जिस आर्थिक तथा सामाजिक स्तर को प्राप्त करना है उसकी ओर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में संकेत किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद २६ से २८ में व्याख्यात है। इन निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य के पोषण स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना अपना प्राथमिक कर्तव्य समझना है।

राज्य की आर्थिक नीति इस पर रखे गये उस भार से शासित होगी जिसके द्वारा यह अपने पुरुष व स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है। राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर और विकास की अवस्था के अनुसार कार्य करने के अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अपंग होने की अवस्था में इन प्रयोजनों को प्राप्त करने में उपयुक्त आवश्यकता के अन्य प्रकरणों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबन्ध करना है। निर्देशक तत्व यह आदेश करते हैं कि देश के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाय जिससे कि सर्वाधिक आर्थिक कल्याण हो सके और आर्थिक प्रणाली की क्रिया इस प्रकार न हो कि यह संपत्ति और साधनों को केन्द्रित करे और सार्वजनिक कल्याण के लिए घातक सिद्ध हो।]

मैं यह कहने के बाद समझता हूं कि जब प्लानिंग कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया है और उसके लिये यह भी नहीं वह कहता कि उसकी कोई राय है। वह कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कांस्टिट्यूशन का है वह यह बताता है कि हमको सम्पत्ति का इस तरह से विभाजन करना चाहिये जिसके जरिये कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके, अनएम्पलायमेंट दूर हो सके और दूसरी चीजें हो सकें। मैंने, जैसा कि अर्ज किया, इतनी गाढ़ी कमाई का पैसा जैसा कि १० गुना और आगे ११ गुना और १२ गुना भी राजस्व मन्त्री उनसे वसूल करते हैं उस रुपये को लेकर इन बड़े जमींदारों को रिहैबिलिटेशन

या कम्पेंसेशन के नाम पर देना चाहते हैं, यह नामुनासिब बात है। मैं समझता हूं कि अगर यह रुपया उन लोगों के घरों में जाता जो ढाई सौ रुपये के लोग थे तो वह उचित होता और मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि हम इस बात के पक्ष में थे और आज भी कहते हैं कि यह जो ३१, ३२ करोड़ रुपया जो सरकार के खजाने में जमा है और जो आप देना चाहते हैं उस रुपये को और अच्छे काम में लाया जा सकता है। आज सरकार के सामने बड़े भारी काम हैं, उनमें खर्च करे और सारे देश की तरक्की की बात सोचे, कृषि की तरक्की हो। इस प्रकार छोटे और बड़े दोनों जमींदारों का भला हो सकता है। हम जानते हैं और मैं समझता हूं यहां सदन में इस बात को अस्वीकार करना और बात है, लेकिन मेरा विश्वास है कि माननीय राजस्व मंत्री जी खेती की तरक्की में विश्वास हैं। कृषि की तरक्की हुए बिना इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। और वह तभी हो सकती है जिस समय कि देश में सिंचाई का प्रबन्ध हो, भूमि का बटवारा हो बीज और खाद और नये नये इम्पलीमेंट्स और नये नये तरीके पर खेती को तरक्की देने का इन्तजाम हो। तभी हो सकता है और यह तभी हो सकता है जब हम रुपयों का मसला भी हल करें। हम जानते हैं कि सरकार के सामने कठिनाई है और सरकार हमसे कुछ दिन बाद, भगवान करे वह दिन हमको देखने को न मिले, हमसे यह बात कहेगी कि आज प्लानिंग के नाम पर, देश के उत्थान के नाम पर एक टैक्स मंजूर करो, चाहे टैक्स की शक्ल में चाहे चन्दे की शक्ल में, वह मांगेगी। इसी सदन में शायद ऐसी बात कही जाय। तो ऐसी हालत में जब यह करोड़ों रुपया हमारे पास है हम ३२ हजार घरों में यह करोड़ों रुपया देने जा रहे हैं। क्यों देने जा रहे हैं? हम दे करके देश का उत्थान नहीं करने जा रहे हैं, देश को पीछे ढकेल रहे हैं। कोई जमींदार नाम से घबराने की बात नहीं है। मैं नहीं घबराता हूं कि जमींदारों के लिये यह हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज उस तरफ जो बैठे हुए हैं, जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि "खराब किस्म के कैपिटलिस्ट जमींदार" तो एक खराब किस्म के कैपिटलिस्ट हम भी हैं और शायद राजस्व मंत्री भी हों और उस तरफ बैठने वाले तो बहुत से हैं। मैं तो कैपिटलिस्ट मानने में भी थोड़ी दिक्कत समझता हूं, क्योंकि कैपिटल की परिभाषा में मालूम नहीं कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं, यह शास्त्रार्थ की बात है, विवाद की बात है। न मालूम दुनिया के कितने अर्थ शास्त्रियों ने किस तरह से कैपिटल की परिभाषा की है। यह बात जरूर है कि हम एक अर्थ शास्त्री को मान गये हैं और उसकी परिभाषा को भी मानते हैं, जिसका नाम मार्क्स है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो खराब किस्म के कैपिटलिस्ट हैं, जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा, ऐसा कहने से हम जमींदार को नहीं समझते कि जो कल का जमींदार था वह आज का कैपिटलिस्ट है। कल के जमींदार के बच्चे आज देश के नाम पर झंडा उठाने वाले हैं और जो ग़रीब किस्म के कैपिटलिस्ट थे उन्होंने देश की आज़ादी के नाम पर झंडा बुलन्द किया। ज्यादातर उन्होंने देश की आज़ादी के नाम पर झंडा बुलन्द किया। हम इनाम तो नहीं देने जा रहे हैं, हम इनाम नहीं बांट रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी कहेंगे कि ईक्वेटी के नाम पर हम वाजिब बात कह रहे हैं लेकिन जमींदार होने के नाते कल वह चूंकि जमींदार था इसलिये हम आज उसका विरोध करें यह नहीं हो सकता। जमींदारी उसकी खत्म हो गयी, उसके पास थोड़ी सी जमीन रह गयी और उस जमीन से वह अपना गुजारा करना चाहता है, तो जब वह अपनी जमीन से अपना गुजारा करना चाहता है तो हम क्यों न उसकी मदद करें। चीन की बात बार बार दोहराई जाती है। चीन में बड़े जमींदार, छोटे जमींदार रिच पेजेंट्स, ग़रीब पेजेंट्स, इस तरह से पांच हिस्सों में पूरी सोसाइटी को बांट लिया है। पूरी सोसाइटी को बांटने के बाद आज हो सकता है कि चीन में कहीं पर जमींदारी प्रथा भी हो या किसी के पास ज्यादा जमीन हो लेकिन बड़े जमींदारों को उन्होंने जमींदारी से महरूम किया और उसके साथ साथ

[श्री गेंदासिंह]

उन्होंने यह किया कि खेती के काम में तरक्की दी। खेती के काम में तरक्की देकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि दो तीन वर्ष में जिस खेती में दो मन फी एकड़ ज़मींदार पैदा करता था उसी खेती में ऐसी तरक्की पर खेती कराई गयी कि उसकी पैदावार बढ़ी और वह पैदावार इतनी बढ़ी कि आज वह कम्पेंसेशन का भूखा नहीं है, वह रिहैबिलिटेशन ग्रांट का भूखा नहीं है।

श्री चरणसिंह---मैं यह जानना चाहता हूं कि किन आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर आप इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। पुनर्वासन अनुदान के सिलसिले में भगवान सहाय जी ने यह संशोधन पेश किया था कि यह क़र्ज़े में न लिया जाय और आप यह कहते हैं कि कर्ज़े में लिया जाय, तो यह सारा चीन ऊन कहां से आ गया बीच में और पैदावार वग़ैरा कहां से पहुंच गयी ?

श्री गेंदासिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया था लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे माननीय राजस्व मंत्री उस समय थे नहीं। मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं कि मैं माननीय भगवान सहाय जी को समझा रहा हूं कि कल मैंने क्यों ऐसी बात कही थी कि ढाई सौ रुपयों से कम या ढाई सौ रुपये के मालगुजारों को क़र्ज़े से मुक्त कर दिया जाय। माननीय राजस्व मंत्री की इस मामले में मैं सहायता कर रहा था लेकिन उनको मालूम नहीं कैसे शिकायत हो गयी।

श्री चरणसिंह---ऐसी सहायता नहीं चाहिये।

श्री गेंदासिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी को उस समय तकलीफ ज़रूर होती है जब हम इस रुपये के ठीक उपयोग की बात कहते हैं। ठीक उपयोग करने की बात वे जैसी सोचते हैं, उससे दूसरी बात हम अगर कहें तो वे समझते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी यह रुपया माननीय राजस्व मंत्री जी के हाथ में है और यह रुपया जो हमारे खून पसीने से इकट्ठा हुआ है इसके बारे में वे फिर सोचें और सोच करके इसका ठीक उपयोग करने की चेष्टा करें। मैं चाहूंगा कि माननीय भगवान सहाय जी इस संशोधन पर विचार करें और अगर वापस ले लें तो बड़ा अच्छा हो।

श्री नेकराम शर्मा---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भगवान सहाय जी द्वारा जो संशोधन पेश किया गया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् मैंने संशोधन करने वाले और संशोधन के दोनों माननीय समर्थकों के भाषणों को बहुत अच्छी तरह से सुना और सुनने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा कि चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी में ज़मींदार हों या समाजवादी पार्टी में जमींदार हों, इनकी एक ही मेंटेलिटी है और जब उनके हितों पर समाजवादी होता है वे दोनों एक हो जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रवर समिति रिपोर्ट में नोट आफ डिसेंट न को देखेंगे तो माननीय निहालुद्दीन साहब ने उसमें लिखा है कि ये जमींदार स्टार्वेशन से मर रहे हैं। ज़रा हमारे मित्र माननीय कुंवर सुरेशप्रकाश सिंह, माननीय वीरेन्द्रशाह को देखिये, ये सब स्टार्वेशन से मर रहे हैं। संशोधन कर्त्ता कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट क़र्ज़े से मुक्त कर दी जाय। तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि जमींदार मेंटेलिटी के लोग किस तरह से मिल जाते हैं। हमारे माननीय राजस्व मंत्री ने कहा और ठीक ही कहा कि ये जमींदार मनीलेंडर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन जमींदारों को हमारे माननीय राजस्व मंत्री का कृतज्ञ होना चाहिये इस लिये कि हमने और हमारी सरकार ने यह चार्ज सहते हुये भी कि यह सरकार प्रो-ज़मींदार है इनके साथ भलाई की और करतसे

ही जा रही है। हमने इनको कम्पेन्सेशन दिया और कानूनी कार्यवाही से बचने के लिये रिहैबिलिटेशन ग्रांट की हमने गंजाइश रखी क्योंकि विधान के अनुसार सबको एक सा कम्पेन्सेशन देना जरूरी है सब कुछ जमींदारों की भलाई के लिये तो आज वे इस बात का भी साहस करते हैं कि रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट क़र्जे में न ली जाय। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्व मंत्री को यह बात सोचना चाहिये कि जो जमींदार लोग आज उनका विरोध कर रहे हैं ये आस्तीन के सांप हैं, जैसे जैसे आप उनको दूध पिलायेंगे और जब जब उनको मौका मिलेगा वे काटेंगे। इस वक्त जब हम उनकी भलाई के लिये यह कानून ला रहे हैं तो वे विरोध करते हैं और इस हाउस का समय नष्ट करते हैं जब एक मिनट में ३० रुपये खर्च होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट क़र्जे से मुक्त नहीं होना चाहिये। जैसा माननीय राजस्व मंत्री ने यह पेश किया है मुझे उम्मीद है कि हाउस उसको पास करेगा और मैं अपने साथी भगवान सहाय जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे। बिना कुछ आगे कहे हुये क्योंकि यह हमारी सरकार की एक कृपा है जो उसने, मैन इज एसेंशली गुड की कहावत को मानकर और यह समझा कि हमको जमींदारों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको जमींदारी प्रथा से दुश्मनी थी, इसलिये हम उनके फायदे के लिये यह बिल लाये क्योंकि जमींदार भी तो इस प्रदेश के रहने वाले हैं। उनको रुपया देने के लिये हमने किसानों से वसूल किया और उन्होंने दिया, इसलिये नहीं कि आज उनको जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिल रही है वह भी कर्जे से मुक्त की जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने गलत संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री केशव गुप्त (ज़िला मुज़फ्फरनगर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री भगवान सहाय जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं इसलिये नहीं कि मैं जमींदारों के अधिकारों के हक़ में हूं या रहा हूं बल्कि इसलिये कि जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट के अन्तर्गत सिद्धांत है उसको देखते हुये और वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये मैं इस संशोधन को न्यायसंगत समझता हूं। जहां तक मेरा उसूल है मैं तो यह मानता रहा हूं कि जमींदारी प्रथा ही नहीं बल्कि हर एक वह प्रथा जो कि दूसरों के श्रम से, दूसरों के धन से धनोपार्जन करती है वह न्यायसंगत नहीं है और इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था जितनी जल्दी मिटायी जा सके उतना ही अच्छा है और जब कि मिटायी नहीं जाती तब तक हमारी आर्थिक परिस्थिति कुछ भी सुधर नहीं सकती। मैं इससे सहमत नहीं हूं। रिहैबिलिटेशन ग्रांट के माने यह है कि हमने एक प्रथा को जो एप्रूव किया है कि हम उनकी जरिया माश को खोजने में सहायता करें तो हमें इस बात की जरूरत है कि हम उनको नया जीवन दें ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। इसीलिये यह ग्रांट रखी गयी है। इसको अगर हम कर्जे में दे देंगे तो यह न्यायसंगत बात नहीं होगा जहां तक कम्पेन्सेशन देने का ताल्लुक़ है मैं कभी हक में नहीं रहा कि जमींदारों को इस तरह से दिया जाय जिस तरह से कि हमारे ऐक्ट में दिया गया है। मैं मानता हूं कि यह कम्पेन्सेशन सिर्फ उन जमींदारों को ही देना चाहिये था जिनको कि इसकी जरूरत थी।

मिसाल के तौर पर मान लीजिये कि मेरी ५०,००० रुपये साल की जमींदारी थी तो उससे मुझे १००-१५० रुपये माहवार की आमदनी होती थी। अगर आपने मुझे थोड़ा सा कम्पेन्सेशन दे दिया तो मेरे लिये कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर आप नहीं देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा खर्चा बहुत होता है और इस थोड़े से कम्पेन्सेशन से मेरा क्या भला हो सकता है। इसलिये मुझ जैसे आदमी को अगर कम्पेन्सेशन न दिया जाता तो ठीक था। इस तरह से बहुत से ऐसे जमींदार थे जिनकी बहुत बड़ी आमदनी है और ४ हजार रुपये साल की मालगुजारी थी। उनके पास दूसरे साधन भी हैं। उनको भी अगर आप कुछ न देते तो मैं अनुचित नहीं समझता बल्कि उचित ही समझता।

[श्री केशव गुप्त]

मैं समझता हूं कि जिनके पास कुछ और जरिया माश नहीं है उनको ही अगर आप देते तो ठीक था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भी मैं यह मानता हूं कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट इसीलिये दी गई है कि उससे लोग अपना जरिया माश खोज सकें। लेकिन ऐसा नहीं है और इसमें ऐसा सिद्धांत रखा गया है कि यह ग्रांट सबको मिलेगी चाहे वह हकदार हों या न हों। इसलिये इसमें न्यायसंगत बात तो नहीं है। लेकिन इस ग्रांट के देने में हमने एक सिद्धान्त रखा है कि हम इसलिये यह ग्राट दे रहे हैं कि वास्तव में हम लोगों ने उनको अपनी जगह से अपरूट कर दिया है इसलिये इस ग्रांट को कर्जे में दे देना न्यायसंगत नहीं है।

एक बात और देखेंगे कि जो जमींदारों को कम्पेन्सेशन मिलेगा वह कर्जे में चला जायगा, ठीक है, उन्होंने कर्जा लिया था। फिर भी कुछ न कुछ मिलेगा तो यह तो ठीक रहता लेकिन रिहैबिलिटेशन ग्रांट को कर्जे से बिलकुल फ्री रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं श्री भगवान सहाय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से सदन में इस बिल पर बहस हो रही है। मैं यहां पर जो संशोधन श्री भगवान सहाय जी ने पेश किया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आज इस सदन में माननीय नेकराम जी का भाषण सुनकर दुख हुआ क्योंकि वह शायद लोगों की गरीबी और अमीरी का अंदाजा मुटापे से लगाते हैं। अगर मैं उनसे यह कहूं कि जब से वह इस सदन के मेम्बर हुये हैं तब उनका क्या वजन था और आज क्या हो गया है। इसका अंदाजा लगायें तो पता लगेगा कि इस वेलफेयर स्टेट में अगर किसी ने तरक्की की है तो हमारे माननीय सदस्य ने।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइण्ट आफ आर्डर रेज करता हूं। कोई भी माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य के बारे में इस तरह से रिमार्क नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष—वास्तव में अगर उपाध्याय जी ऐसा न कहते तो अच्छा था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। जिस हयुमर से उन्होंने कहा उसी से मैं भी जवाब दे रहा हूं।

जहां तक रिहैबिलिटेशन ग्रांट का सवाल है मैं हुकूमत से यह पूछना चाहता हूं कि यह ग्रांट देने की आवश्यकता क्यों पड़ी—इसलिये यह बात सोची गई कि जो छोटे मोटे जमींदार हैं उनकी जमींदारी खत्म होने के बाद उनके पास शायद कोई ऐसा साधन नहीं रहा जिससे वह गुजर बसर कर सकें। जब हम लोग कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट जितनी है वह सारी की सारी ढाई सौ रुपया से कम के जो मालगुजार हैं उन पर ही खर्च की जाय उस वक्त हमारी सरकार कहती है कि नहीं जो और जमींदार हैं उनको भी रिहैबिलिटेशन ग्रांट दी जायगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी इस सदन में कल से मैं यह भी सुन रहा हूं कि सोशलिस्ट पार्टी तो जमींदारों से मिल गई। क्या यह हुकूमत जमींदारों से नहीं मिली? जब हम लोग कहते थे कि कोई मुआविजा जमींदारों को न दिया जाय तो यह हुकूमत कहती थी कि यह कैसे हो सकता है, यह लोग भी तो भारतवर्ष के रहने वाले हैं, उनको भी जिन्दा रहने का हक है।

श्री चरण सिंह—कल की बातों को छोड़ दीजिये। आज की बातों को लीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—आज भी कुछ बातें हुई। लेकिन जब हम एक सिद्धांत ले रहे हैं कि कोई भी जमींदार हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसे इस देश में रहने देना है तो अब यह देखना है कि जो बड़े जमींदार हैं वे अपनी गुजर बसर कर सकते हैं और साथ ही

में उन लोगों को देखना है जिनको वाकई जमींदारी खत्म होने से नुक्सान हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह बतला देना चाहता हूं कि जितना ही बड़ा आदमी होगा वह उतनी ही कम कुर्बानी कर सकता है, उसी कुर्बानी करने में दिक्कत होती है लेकिन जो ढाई सौ रुपया से कम के मालगुजार हैं अगर देश में उनकी हालत नहीं सुधारी गई या देश में उनके रहने का इन्तजाम नहीं किया गया आप इत्मीनान रखिये वह कुर्बानी करने को तैयार हो जायेंगे। माननीय सदस्य शायद यह समझते होंगे कि वह बहुमत में हैं, ४३१ में ३९० गिन लेते हैं, इसलिये सारे प्रांत में उन का राज्य है, मैं उन्हें विश्वास दिला देना चाहता हूं कि यह ढाई सौ से कम के जो मालगुजार हैं वे भी उठ सकते हैं। हम चाहते हैं कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट जो है वह ढाई सौ रुपये से कम के मालगुजार पर खर्च हो। बड़े लोग तो कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आपको छोटों का ख़याल करना है। इन्सानियत के नाते हम उनके साथ हैं। हम नहीं चाहते कि इस प्रान्त में कोई गड़बड़ी हो। हमारे यहां भूटान और तिब्बत की बातें बड़ी लाइटली ली जाती हैं जब यह कहा जाता है कि वे हमारे पड़ोसी देश हैं वहां पर गड़बड़ी हो रही है तो लोग हंसी में टाल देते हैं। मैं इस हुकूमत से यह कह देना चाहता हूं .....

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं श्रीमान से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वही छोटे बड़े ढाई सौ से नीचे और ऊपर की बातें कही जाती हैं। इस संशोधन में कोई ऐसी तफरीक नहीं है। यह संशोधन साफ कहता है कि पुनर्वासन अनुदान सबको इस कर्जे से छोड़ दी जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं यह बता रहा था कि कल हमने इसी किस्म के प्रताव का समर्थन किया है आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत न हो। मेरा यह मतलब नहीं है कि कोई देर लगाई जाय। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप एक तरह के उसूल को मानिये। कल तो आप जमींदारों को बहुत गाली दे रहे थे कि जमींदार ऐसे थे और वैसे थे। माननीय राजस्व मंत्री ने यह कहा कि यह जो जमींदार हैं यह तो मनी लैंडर से भी गये गुजरे हैं लेकिन जो कुछ भी कहा हो मैं इसको भी उसी लेविल पर लाना चाहता हूं कि जिस पर बातें कही गई वह सही नहीं थीं। हम यह जानते हैं और हमको इस हुकूमत का काफी तर्जुबा है। हम जानते हैं कि हमारी बात कम्पेन्सेशन की सरकार ने क्यों नहीं मानी। हम चाहते कि किसी को कम्पेन्सेशन न मिले। यह बात नहीं थी कि जमींदार हमारे दुश्मन हैं। जमींदाथे कोई भी हो वह सब हमारे भाई हैं और दोस्त हैं चाहें कोई बड़ा जमींदार हो या कोई छोटर जमींदार हो। आज कांग्रेस में भी बड़े बड़े जमींदार शामिल हैं और कांग्रेस में हमारा भी हिस्सा था लेकिन जब हमने देखा कि कांग्रेस संस्था में बड़े बड़े प्रतिक्रियावादी लोगा आ गये हैं तो उनको छोड़कर हम बाहर आ गये और आज हम उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं।

श्री चरण सिंह—मेरी समझ में नहीं आता कि अब यह जो विधेयक प्रस्तुत है वह जमींदारों के खिलाफ पड़ता है और जमींदारों के मुवाफिक में यह संशोधन आया है। आप उसको अपोज कर रहे हैं इस विषय में जो कुछ भी कहना हो वह प्रस्तावक महोदय से कहा जाय इस कारण मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इनको रोका गाय।

उपाध्यक्ष—इस ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है मैं समझता हूं वह बहुत जल्द खत्म करने जा रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं तो राजस्व मंत्री जी की सहायता कर रहा था कि अगर वह इस बिल को वापस ही लेना चाहें तो समझकर वापस लें न कि किसी के हुकुम से। नेकराम जी ने कहा कि हाउस का समय बरबाद होता है। जब वह ऐसी बातें करते हैं कि जिनका सम्बन्ध संशोधन से नहीं होता है तब तो हाउस का समय बरबाद नहीं होता है लेकिन

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

जब हम लोग बोलते हैं तो कहा जाता है कि समय हाउस का बरबाद किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि हमारे दिल में जमींदारों के लिये हमदर्दी है इन्सानियत के नाते चाहे वह बड़े हों या छोटे हों। हमारे पास राजा जगम्मनपुर बैठे हुये हैं वह भी हमारे मित्र हैं अगर हम उनकी सही बात को सपोर्ट करते हैं तो कहा जाता है कि रिएक्शनरी हैं और जब उधर का मामला आता है तो वह सही होता है चाहे वह कैसा ही हो। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय इन्सानियत के नाते जो हमारे जमींदार भाई २५० से कम लगान देते हैं उनको तरक्की देना जरूरी है और उन सब के लिये रिहैबिलिटेशन ग्रांट रहना जरूरी है यह न हो कि जो ऊपर वाले हैं उनको ही यह दी जाय। जो संशोधन भगवान् सहाय जी ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा--मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने कम्पेन्सेशन देने के लिये सिफारिश की थी?

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--जो बिल सदन के सामने उपस्थित है उस पर बहुत लोगों ने अपने भाषण किये। परन्तु मैंने देखा है कि माननीय सदस्यों ने इस सदन के समय का दुरुपयोग किया है। यह कहा गया कि जो कोई बात कहना हो उसको थोड़े शब्दों में कहना चाहिये और यही बुद्धिमानी का परिचय देना है। इसके साथ साथ मैं यह समझता हूं कि हर सदस्य का यह फर्ज है कि पार्लियामेंट्री डिबेट की प्रणाली को मद्देनजर रखते हुये और उसका आदर करते हुये जो कुछ भी रिलिवेंट बातें इस विषय में कह सकें कहना चाहिये। जो सदन में उपस्थित हैं मैं समझता हूं कि हम सब जनता के नुमाइन्दे हैं और सदन का समय बचाकर हम जनता के साथ इन्साफ करते हैं। एक छोटी सी बात मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जितने भी भाषण इस सदन में हुये हैं वह इस प्रकृति के थे कि जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि "लव लेबर्स लास्ट" उसी नेचर के भाषण हुये हैं। यह संशोधन जो पेश किया गया है इसको अगर पास कर दिया जाय तो ... ...

श्री मदनमोहन उपाध्याय--उपाध्यक्ष महोदय, वह इस संशोधन को सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध उसका कर रहे हैं या कोई सरमन पढ़ रहे हैं।

श्री चन्द्र सिंह रावत--माननीय सदस्य के एतबार के लिये बतलाना चाहता हूं कि मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बिल अगर इस सदन में न लाया गया होता तो बेचारे कर्जदार जमींदारों की क्या हालत होती और कानून की दृष्टि में जो साहूकारों का क़र्जा उन पर है उसकी क्या व्यवस्था उस कानून के मातहत होती जो मौजूदा कानून है। क्या माननीय सदस्य इस बात को नहीं समझते कि अगर यह कानून न आता तो तमाम कर्जा जमींदारों से साहूकार पूरा पूरा वसूल कर लेते। जो जमींदारों का हमदर्द अपने को बतलाते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वह किस तरह से इस बिल का विरोध करने का दुस्साहस करते हैं। क्या वह यह समझते हैं कि अगर इस कानून के अनुसार इस कर्जे को कम न किया जाय तो जमींदारों का क्या हाल होगा, उन से एक एक पाई वसूल किया जाता और खास कर वह कर्जा जो उनकी इम्मूवेबिल प्रापर्टी का है। तो क्या यह कोई जमींदारों के खिलाफ कान्सपिरेसी की जा रही है। यह दलील जो पेश गई है इस को अंग्रेजी के दो शब्दों में मैं रखना चाहता हूं कि यह "ट्रेजिडी आफ गुड इण्टेन्शन्स है। अगर वह थोड़ा सा भी इस बिल को समझ लेते तो उन की ऐसी बातें कहने की हिम्मत न होती। माननीय सदस्य को अब यह समझ लेना चाहिये कि अभी तक तो केवल बेरोमीटर और थरमामीटर वगैरा का ही आविष्कार हुआ था लेकिन अब साइन्स बहुत आगे बढ़ गई है और अब इण्टेलेक्टोमीटर भी बन गया है जो बतला सकता है कि किसी व्यक्ति में कितनी इनटलेक्ट और दिमाग है। जो चीजें गलत नजर आती हैं उनको पास कराने का यदि कोई साहस

करता है तो मैं समझता हूं कि उसको इस प्रकार का साहस नहीं करना चाहिए और अगर वह तो वह दुस्साहस ही होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जो जमींदारों के हमदर्दी हैं वह सिवा इस बिल की दाद देने के और कर ही क्या सकते हैं। इनका यह कहना कि जमींदारों के साथ उनकी हमदर्दी है तो मैं समझता हूं कि इनका इरादा अगर वह जमींदारों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उनका यह कहना ठीक है। परन्तु अगर वे चाहते हैं कि जमींदारों को दरअसल कुछ फ़ायदा पहुंचाया जाय तो जो कुछ इस बिल के अन्दर है उससे जमींदारों को बहुत हद तक फायदा पहुंच सकता है। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह दलील और तकरीर पेश की है कि २५० रु० से नीचे वाले जमींदारों को बरियत मिलनी चाहिये। ऐसी दलील पेश करने का उन साहबान को क्या हक़ है जब तक कि वह कोई अमेंडमेंट हाउस के सामने न पेश करें? अगर उन्होंने दलील और तकरीर की तो मैं समझता हूं कि उन्होंने हाउस का बहुमूल्य समय बरबाद किया है और उसका दुरुपयोग किया है। माननीय सदस्य पार्लियामेंट्री डिबेट की प्रणाली को न भूलें और यदि वे सदन के समय को नष्ट नहीं करेंगे तो वे इस राज्य के साथ इंसाफ करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करना चाहता हूं क्योंकि इस पर बहुत देर से बहस हो रही है।

उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस पर भाषण तो काफी हो चुके हैं। प्रश्न यह है कि अब बहस समाप्त की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवान सहाय—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भवन में जो तकरीरें मेरे संशोधन के संबंध में हुईं मैंने उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक सुना। माननीय लाल टोपी के सदस्यों के जो भाषण यहां पर हुये उनको भी मैंने बहुत गौर से सुना। उनकी अपील के ऊपर भी मैंने बहुत विचार किया और हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी जिन जजबात का यहां इजहार किया उनको भी मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। माननीय नेकराम जी का मैं बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने इस सभा में जो भाषण दिया उसमें बड़ा रैस्ट्रेंट इस्तमाल किया। जब वह मुझसे निजी बातचीत करते हैं तो अपने को भूल जाते हैं और न जाने क्या क्या कह जाते हैं। जब वह इस संशोधन पर बोलने के लिये खड़े हुये तो मैंने सोचा कि नहीं मालूम वह क्या कह जावें। मैं उनका बड़ा मशकूर हूं कि जो भी कुछ उन्होंने कहा उसमें अपने जजबात को एक हद तक पार्लियामेंट्री ढंग के अन्दर ही रखा।

माननीय गेंदा सिंह ने जो कुछ कहा है मैं उसकी बहुत क़द्र करता हूं। उनकी अपील को मैंने मानने के लिये कोशिश की और उसे न मानने में मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है। मैंने उनके भाषण में देखा कि वह उनके दिमाग की उपज नहीं बल्कि दिल की उपज है। जो जमींदारों के पुराने कारनामे उन्होंने देखे, सुने या बरते वह उसकी ही उपज है। श्रीमन्, मैंने इस सदन के सामने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि लेजिस्लेचर की हैसियत से हमारापरम कर्तव्य है कि कि हम इस मसले को निष्पक्ष होकर देखें। इसमें जातियात का सवाल नहीं रखना चाहिये कि हमारे ऊपर क्या बीती है। हमारा कर्त्तव्य है हम इस चीज को उसी तरह से देखें जिस तरह सेएक डाक्टर एक मरीज़ के साथ व्यवहार करता है। वह यह नहीं देखता कि मेरा मरीज किसकिस्म का आदमी है, बुरा है या भला है, बल्कि उसका इलाज सच्चे दिल से करता है कि वह अच्छा हो जाय, उसी तरीके से हमारा पवित्र कर्त्तव्य होता है कि हम मामले को सोचें। मैं माननीय गेंदा सिंह जी की बात को जरूर मानता हू और फख्र समझता उनसे सहमत होने में यदि मैं इस बात पर मुतमइयन होता कि उनकी दलीलें दिमाग से पैदा हुई हैं और जजबात की चीजें नहीं है। इस बात पर गौर करते समय वह उन चीजों से प्रभावित हुये जो उनके तजुर्बे में आई होंगी। निष्पक्ष होकर उन्होंने इस बात को नहीं सोचा। यह मैं मानता हूं

[श्री भगवान सहाय]

कि माननीय गेंदासिंह जी ने जिस काबिलियत से अपना भाषण दिया मैं उसकी दाद देता हूं और मैं अपनी कमजोरी को तसलीम करता हूं कि वह सब काबिलियत मेरे में नहीं है। लेकिन मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा है कि रिहैबिलीटेशन ग्रांट और मुआविजा एक ही चीज हैं और यह हमारा एक तरीका था कि हमने दोनों चीजों को एक ही करके दिया। मैं उनसे यह कहूंगा कि आनेवाले नसलों को वह क्या सबक पेश कर रहे हैं। एक जमाना आवेगा जब यह सदन भूल जायेगा कि गेंदा सिंह जी कौन थे और इस संशोधन का पेश करने वाला भगवान सहाय कौन था।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय भगवान सहाय जी ने कहा कि मैं ऐसा समझता हूं कि मुआविजा और पुनर्वासिन दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि मैंने तो यह कहा था कि माननीय राजस्व मंत्री जी ऐसा समझते हैं।

श्री चरण सिंह—एक ही अच्छी बात कही थी और अब उससे भी इन्कार कर दिया।

श्री भगवान सहाय—माननीय गेंदा सिंह जी ने जो अपनी सफाई दी है उससे तो मैं समझता हूं कि उनका मतलब यह नहीं था।

श्रीमन्, सदन के सामने जो मसला पेश है उस पर यह विचार करना है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट दरअसल कुर्की के काबिल है या नहीं। यह सवाल नहीं है कि जमींदारों ने क्या किया और क्या नहीं किया। एक जमाना आयगा जब लोग यह भूल जावेंगे कि माननीय मंत्री जी का क्या मतलब था रिहैबिलिटेशन ग्रांट से। लोग समझेंगे कि रिहैबिलीटेशन ग्रांट और कम्पेसेशन दो चीजें थीं। उनके दिल की बात लोग भूल जावेंगे। माननीय मंत्री जी ने चाहे जो कुछ भी समझा हो, जमीदारी अबालीशन कमेटी के मेम्बरों ने चाहे जो कुछ भी समझा हो, लेकिन मुझे यकीन है कि सदन ने यह समझा कि रिहैबिलीटेशन ग्रांट और कम्पेन्सेशन दो चीजें हैं। एक बात मैं माननीय गेंदा सिंह जी से और अर्ज करूंगा कि उन्होंने उसूलन मेरे संशोधन का विरोध नहीं किया क्योंकि वह इस बात को मानते हैं कि रिहैबिलीटेशन ग्रांट २५० रु० के मालगुजार के कर्जे में न कम की जाय। इसका मतलब यह हुआ कि उसूलन वह मुझे सपोर्ट करते हैं कि रिहैबिलीटेशन ग्रांट कम न की जाय। वह अगर मुझसे विरोध करते ह तो सिर्फ छोटे और बड़े पर। मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि २५० रु० और २५१ रु० के जमींदार के मामले में आपकी नजर में क्या फर्क पड़ जायगा।

श्रीमान् मैं पूछता हूं कि आपके द्वारा २५० रुपया और ३०० रुपया मालगुजारी देने वालों की आर्थिक हालत में क्या फर्क है। सवाल उसूल का है और उसूल में वह मेरे हामी हैं। श्रीमन् मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस चीज को सोचें और इस तरह से सोचें कि आज से १०० वर्ष बाद जब इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्य यहां बैठे होंगे और इस मसले पर गौर करेंगे तो हमारे दिल की बात और माननीय राजस्व मंत्री जी के दिल की बात उनको पता न होगा। मैं मानता हूं कि उस समय यह मसला भी न रहेगा, बहुत से और मसले भी खत्म हो जायेंगे, कर्जदाता और मिल मालिक भी खत्म हो जायंगे और वह व्यवस्था होगी जिसके हम हामी हैं यानी जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण नहीं कर पायेगा। माननीय राजस्व मंत्री एक बार जब १० गुने लगान के सिलसिले में हमारे यहां गये थे तो उस समय मैंने उनसे कहा था कि मेरी कुल जमींदारी बिला मुआवजा ले लीजिये, मगर हमको रिहैबिलिटेशन करने के लिये ग्रांट दीजिये और सारी खेती को चक बना कर दे दीजिये, ताकि हमारा भी जरिया माश कायम रहे और हमारे खाने को भी रहे।

श्रीमन् जहां तक भारतीय नेकराम जी का कहना है मैं उनसे और आगे हूं। मैं मुआवजा जमींदारों को देने के पक्ष में नहीं हूं। यहां तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेंसेशन के पार्क का सवाल है। इसमें सवाल यह नहीं है कि क्या होना चाहिये और क्या नहीं होना चाहिये बल्कि सवाल यह है कि रिहैबीलिटेशन ग्रांट अगर कुर्क की जाती है तो उसका उसूल ही खत्म हो जाता है। सदन ने इस रिहैबिलिटेशन ग्रांट को मंजूर किया था। माननीय राजस्व मंत्री का कहना यह है कि दोनों से एक ही मतलब था लेकिन मैं समझता हूं कि सदन का ऐसा मतलब नहीं था। मैं माननीय राजस्व मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो विचार सदन के सामने रखा है वह उस पर ग़ौर करें और वे आइन्दा आने वाले लेजिस्लेचर के सामने यह न कहलायें कि हमारे पूर्व के लेजिस्लेचर्स सोचते कुछ थे और करते कुछ थे। आने वाले जमाने में यह बात ही साबित होनी चाहिये कि हम जो कहते थे वही करते थे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो साहबान कंपेंसेशन के हामी हैं और रिहैबिलिटेशन के हक़ में हैं वे अगर कुछ उलहना देते तो बात समझ में भी आती और उसका जवाब भी साफ ही होता लेकिन मुश्किल हो जाती है उन साहबान का जवाब देने में जो कहते तो यह हैं कि हम रिहैबिलिटेशन के कम्पेंसेशन के ख़िलाफ है लेकिन यह रिहैबिलिटेशन जो जमींदारों का दिया जा रहा है वह उनके पास रहना चाहिये और यह कि उसको क़र्ज़े में भी न काटा जाय।

श्री भगवान सहाय—मैंने यह कहा कि मैं कंपेंसेशन के ख़िलाफ था लेकिन मेरा कहना यह था कि रिहैबिलिटेशन दिया जाय।

श्री चरण सिंह—आपका कहना यह है कि आप पहिले तो रिहैबिलिटेशन देने जा रहे हैं फिर अगर उसे कर्ज़े वग़ैरा में काटा जाता है तो यह ज्यादती है और वैसे आप कम्पेंसेशन के ख़िलाफ हैं। इसमें और उसमें फर्क क्या हुआ? आप रिहैबिलिटेशन देने के माफिक हैं और कम्पेंसेशन देने के मुआफिक़ है? कम्पेंसेशन भी रुपया है और रुपया रिहैबिलिटेशन भी है। रुपया जो मिलता है आपको उसके नाम पर झगड़ा है कि रिहैबिलिटेशन कह कर जो देते हैं उसको क़र्ज़े में न लिया जाय और कम्पेंसेशन जो हमने दे दिया यह गलती की। जो हमने ग़लती की कम्पेंसेशन देकर और रिहैबिलिटेशन देकर, तो जो लोग कम से कम उसको ग़लत समझते हैं वे सब अब समझ लें कि वह रकम जमींदारों के पास रहने वाली नहीं है। माननीय केशव गुप्त जी ने कहा कि रिहैबिलिटेशन भी देख देख कर देना चाहिये कि कौन व्यक्ति विशेष इसका मुस्तहक है या नहीं है। इस तरह से कोई कानून बनता नहीं है। कानून जो बनता है वह आम तौर पर यानी एक उसूल की बिना पर? हर व्यक्ति को देख देख कर एक चीज की जाती अगर इस तरह से कानून बनता और बन भी सकता तो मेरे ख्याल से २०, २५ आफिसर्स चाहिये, जो हर आदमी का हिसाब लगाते कि इसका बैंक एकाउंट कितना है, यह कितनी मेहनत करता है, कितने लड़के इसके एम० ए० में पढ़ते हैं और यह सब देख कर अगर वह रिहैबिलिटेशन का मुस्तहक़ हो तो उसे देना चाहिये। मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आ रही है कि एक साहब कम्पेंसेशन के ख़िलाफ भी कहते हैं और एक साहब कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन भी देख देख कर देना चाहिये। वे ही कहते हैं कि जिन लोगों का जायज कर्जा है जो १/५ तक घट गया है वे लोग मुस्तहक न हों कि अपना कर्जा रियलाइज कर सकें। मानो जिन लोगों ने कर्जा दिया है वे ही ऐसे वर्ग विशेष के हैं जो किसी हमदर्दी के मुस्तहक नहीं हैं। जो

[श्री चरण सिंह]

कुछ हमदर्दी हमारे पास और वह सारी लूटा दी जाय एक वर्ग को कायम करने के लिये इसी में उनको न्याय और इसाफ दिखलाई देता है।

कहा यह गया है जमींदारों को अपरूटेड कया जाता है। जिनके पास सीर है, खुदकाश्त ह वे अपरूटड नहीं कहे जा सकते हैं। जिनके पास सीर व खुदकाश्त नहीं है उनको लाखों रुपया मुआविजा मिल रहा है। फिर यह कैसे ग़लतफहमी हो जाती है कि जमींदारों को अपरूटेड किया जाता है। जिनके पास सीर और खुदकाश्त नहीं है उनका और भी कोई रोजगार होगा। अगर कोई २५० रु० मालगुजारी देता है और वह सीर खुदकाश्त नहीं रखता है, खेती नहीं करता है तो लगान पर उसकी गुजर नहीं होती है। वह जरूर कोई दूकानदारी कर रहा है या और कोई बिजनेस कर रहा है। तो इस तरह से अपरूटेड, रिफ्यूजी शरणार्थी या सितम के मारे हुए कह कर लोगों को मुगालते में डाला जाता है। लेकिन वाक़या यह है कि इस तरह के लोग बहुत ही कम है जिनके पास कोई जरिया माश नहीं रहेगा। ये जो अपरूटेड कहे जाते हैं वे नगण्य होंगे, नामिनल होंगे। और ऐसे नगण्य लोगों के लिये या जिनकी तादाद बहुत कम है उनके लिये कानून बनता नहीं। कानून हर जगह जनरल माश के लिये बनता है। दुनिया में कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसके बनने से एक फी सदी, १० फी सदी या २० फी सदी लोगों को नुक़सान न पहुंचता हो। अगर ९० या ९९ फी सदी लोगों के लिये कोई चीज करना जरूरी होता है तो सरकार उस चीज को करती है। एकाध हार्ड केस के लिये कोई कानून नहीं बनाया जाता है। किसी हार्ड केस को लेकर उसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। लिहाजा आम तौर पर यह कहना कि जमींदारों को अपरूटेड किया जा रहा है, यह सही नहीं है। इसलिये मेरा विरोध कायम है और मैं इसकी कोई वजह नहीं देखता कि यह राय बदली जाय।

उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं?

श्री भगवान सहाय—श्रीमन्, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति १ व २ में शब्द "किन्तु उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन" निकाल दिये जायं।

श्री भगवान सहाय—आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय शुक्ल जी को क्या अथारिटी है इस बात की कि वे आचार्य लक्ष्मी रमण जी के संशोधन को पेश करें?

उपाध्यक्ष—ऐसा आवश्यक नहीं है। उनको इजाजत दे दी गई है।

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को इसलिये रख रहा हूं कि यह जो शब्द इसमें रखे गये हैं वे अनावश्यक हैं और उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके निकाल देने से जो कानून है उसमें कमी नहीं होती बल्कि इसके रहने से कुछ अच्छाई ही होती है। मुझे नहीं मालूम कि भगवान सहाय जी क्यों इस कानून में खराबी पैदा करने के फिक्र में हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति १ व २ म से शब्द "किन्तु उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन" निकाल दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवान सहाय—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ८ के उपखंड २ की पंक्ति ६ के शब्द "और पुनर्वासन अनुदान" निकाल दिये जायं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमन्, एक संशोधन आपका इसी सम्बन्ध का अभी अस्वीकार हो चुका है इसलिये यह बिल्कुल अनावश्यक भी है और अवैधानिक भी है।

उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह संशोधन पेश नहीं हो सकता।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ८ के अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

> "ऐसे वाद ऋणी जिसकी मालगुजारी २५० रुपया तक रही हो के ऋण के सम्बन्ध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति होता हो बन्ध किये गये अस्थान के प्रतिकर या उसके सम्बन्ध में देय पुनर्वासन अनुदान की धनराशि के विरुद्ध एक चौथाई भाग तक ही निष्पादित (executs) की जा सकेगी।"

श्रीमन्, अभी एक माननीय सदस्य के संशोधन पर कि पुनर्वासन अनुदान से ऋण देय न हो काफी बहस हुई परन्तु उनका जो संशोधन था वह यह चाहता था कि किसी भी पुनर्वासन अनुदान से ऋण देय न हो और मेरा संशोधन यह चाहता है कि २५० रुपये तक के जो मालगुजार हैं उनके पुनर्वासन से ऋण भुगतान न किया जाय। अब इस संशोधन पर मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है परन्तु एक अन्य संशोधन के सम्बन्ध में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है मैं अपने इस संशोधन पर कुछ निवेदन करते हुये अवसर लूंगा कि उसका कुछ उत्तर देने का प्रयत्न करूं। श्रीमन्, जहां तक जमींदारों का सम्बन्ध है मैंने कल ही विनम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से माननीय सदस्यों से प्रार्थना की थी कि जब वह जमींदारों को कुछ कहें या उनके बारे में कुछ कहें तो कृपा करके करीब १८ लाख जमींदारों को मिला कर ३९० पर आरोप न लगायें। मालूम नहीं, श्रीमन्, आज क्यों एकायकी जब कि मौसम भी ठंडा हो चला है हमारे माननीय नेकराम शर्मा जी ने डेबेट पर हीट जनरेट करने की कोशिश की। एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना वक्तव्य , पार्लियामेंटरी ट्रैडीशंस पर कायम रखा। श्रीमन्, मुझे दुःख है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी ट्रेडीशंस से वह बहुत परे चले गये थे। उन्होंने यहां तक कह डाला कि क्या सुरेश प्रकाश सिंह जो यहां बैठे हैं भूखों मर नहीं रहे हैं। श्रीमन्, मैं चाहता नहीं था। लेकिन अब आपके द्वारा कह देना पड़ रहा है कि सुरेश प्रकाश भूखों नहीं मर रहा है न मरेगा। वह ऐसा अकर्मण्य नहीं है कि वह भूखों मरे। न यहां की सदस्यता की तनख्वाह पर उसका जीवन निर्भर है। माननीय नेकराम शर्मा की पार्टी ने हमारी जमींदारी ले ली।

[श्री सुरेशप्रकाश सिंह]

हमारे हाथ और पैर नहीं काट लिए हैं। जहां तक शरीर देखा जाय, अपनी तहसील में भुखमरी थी इसलिये श्री शिब्बनलाल जी ने अनशन किया था उनका शरीर बाद में देख लिया जाय जो अनशन कर रहे थे। जहां तक शरीर की बात है मालूम नहीं...

उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि शरीर का इतना...

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---आवश्यक है श्रीमन्, आवश्यक इसलिये है कि एक तलवार जमींदारों पर उठ चुकी। अब सब बड़ी बड़ी डींगें हांकते हैं, बड़ी बड़ी मनमानी बातें कहते हैं, उन पर तरह तरह के लांछन और आरोप लगाते हैं और यह भी कहते हैं कि हम जमींदारों के दुश्मन थोड़े ही हैं। जमींदारों ने कैसे कैसे क़र्ज़ लिये। कभी ह्युमन थे या नहीं, आज भी क्या ह्युमन हैं या नहीं और उस पार्टी के सदस्य ऐसे कहें, जो कि पार्टी इतनी जनरस है, इतनी लार्ज हार्टेड है कि एक एक्स मुसलिम लीगर भी इस कांग्रेस का सदस्य हो सकता है या किसी साम्प्रदायिक पार्टी का आदमी भी यदि कांग्रेस की सदस्यता चाहे तो वह अब कांग्रेस का सदस्य हो सकता है और वह लोग जिन्होंने अभी पिछले चुनाव में कांग्रेस कैंडीडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा वह भी क्षमा किया जा सकता है, उसका सदस्य बनाया जा सकता है।

श्री चरण सिंह---एक जरा सी बात मैं केवल यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो मानव वग़ैरह की बात...

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---अगर आप का प्वायंट आफ आर्डर है तो मैं ईल्ड करने के लिए तैयार हूं वरना...

श्री चरण सिंह---यह प्वाइंट आफ एक्सप्लैनेशन है। अगर आप चाहते हैं कि ग़लतफहमी रहे तो मैं नहीं कहूंगा।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---तो जरूर कहिए।

श्री चरण सिंह---कल माननीय ठा० मलखान सिंह जी ने यह कहा था कि हम जो पुर्वासन अनुदान जमींदारों का न लेने के लिए कह रहे हैं वह इसलिये नहीं कह रहे हैं कि वह जमींदार हैं, बल्कि मानवता के नाते कह रहे हैं। मैंने उसका जवाब दिया था क्या वह पहले मानव नहीं थे? अगर पहले मानव नहीं थे, अब हुए हैं तो यह कर्जा जभी जमाने का है। मैंने यह कहा था माननीय ठा० मलखान सिंह ने जवाब में उसकी बाबत अखबार में जरा सा ऐसा निकल गया है जैसे मैंने ही वह अपनी तरफ़ से कहा था?

यह मैं इतना सफ़ाई के लिए कहना चाहता था।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---मेरा बिल्कुल इशारा माननीय राजस्व मंत्री की ओर नहीं था। चूंकि जमींदारों के मामले में कहा गया था कि कभी मनुष्य थे या नहीं थे। इसलिये मैंने जिक्र कर दिया। जहां तक भूतपूर्व जमींदारों को फायदा पहुंचाने का सवाल है मैं उसके लिये आभारी हूं। कम से कम अगर सरकार यह विधेयक न लाती तो वे बरबाद हो गये होते।

तो श्रीमन् मैं कहूंगा कि अब जब कि एक तलवार उठ चुकी है जमींदारों के ऊपर, जमींदारी का खात्मा हो गया है तो क्या कारण है कि उस ओर के माननीय सदस्य जब देखिये तब ऐसा कहते हैं जैसे कहा जाता है। फ्लागिंग ए डेड हार्स या फीडिंग ए डेड डाग। इसमें कोई सुन्दरता, या हिम्मत या बहादुरी की बात नहीं

मालूम होती। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं एक चीज और साफ़ कर दूं। हमारे पहाड़ी देश के एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम लोग जब यहां पर खड़े हों बातें करने के लिये, अपने भाषण के लिये तो हमें पार्लियामेंटरी ट्रैडीशंस का ख़याल रखना चाहिये। श्रीमन्, मैं उनसे माफी मांगते हुये उन्हें पार्लियामेंटरी ट्रैडीशंस की तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि यहां पर कोई इसका सवाल नहीं उठता क्योंकि इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं, और स्वागत करता हूं, परन्तु विरोधी दल को तो इतना अख्तियार है कि यदि मैं इस बिल को न पसन्द करूं तो खड़े होकर जितनी देर, जितनी और जब तक आपसे समय मिल सके हम देरी करें पास करने में। कहा जाता है कि समय नष्ट करते हैं हम लोग। श्रीमन्, उस दल के माननीय सदस्य अगर यह चाहते हैं कि समय नष्ट न हो तो अगर माननीय राजस्व मंत्री ने एक संशोधन को स्वीकार नहीं किया तो उनको खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं। उनके पार्टी की सरकार संशोधन तो मानेगी नहीं, सिवाय इसके कि एक आध घंटे भूतपूर्व जमींदारों के ऊपर गालियों की बौछार और लांछन और तरह तरह के आरोप लगाएं, और इससे क्या नतीजा निकल सकता है? तो समय तो उधर से नष्ट किया जाता है। हम जमींदार थे। यह भी कहा जाता है कि हम जमींदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि यह ठीक नहीं। तो श्रीमन् जब हम १५, २०, ४५ मिनट खड़े होकर यह कहने की कोशिश करें कि यह संशोधन अच्छा है इसको स्वीकार किया जाय और यह संशोधन अच्छा नहीं है इसको न मानिये, यह विधेयक ठीक नहीं है, न मानिये तो हमारे लिये कहा जाय कि समय को नष्ट करते हैं और दूसरी तरफ उधर के माननीय सदस्य इस तरह से समय को खींचें कि ४५–४५ मिनट इस बात के कहने में कि हम जमींदार थे, लगाएं तो वह समय का नष्ट करना नहीं हुआ? इसलिये मैं माननीय...

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को अब संशोधन पर आ जाना चाहिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—संशोधन पर तो इतना कहा जा चुका है कि और अधिक कहने की जरूरत नहीं है और अगर माननीय नेकराम शर्मा न खड़े होते तो मैं केवल मूव करके ही बैठ जाता।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो कर्ज लेने वाले लोगों के साथ बड़ा जुल्म होगा और हर्गिज यह मुनासिब नहीं है कि इस प्रकार के संशोधन से बिल्कुल कर्जदारों के साथ एक तरफा जुल्म किया जाय। मैं मिसाल के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर हम फर्ज कर लें कि किसी महाजन का क़र्ज ५०० रु० है और उस क़र्ज को अगर हम इस विधेयक के जरिये स्केल डाउन करें तो जैसा माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि १/५ हिस्सा तक वह कर्जा हो जायगा। हो सकता है। तो ५०० के कर्ज का अगर १/५ हो जाय तो केवल सौ. रह जाता है और अगर किसी जमींदार क़र्जदार के ऊपर ८० रुपये से पुनर्वासन अनुदान और मुआविजे के मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि उससे केवल २० रुपया तक वसूल हो, जब कि इस विधेयक के जरिये से उसको ८० रुपये से ६० रुपया तक वसूल हो सकता है। तो ५०० रुपये की जो महाजन की डिक्री है उसमें से स्केल डाउन करके अगर उसको ८० रुपये पुनर्वासन अनुदान और मुआविजा मिलता है तो ६० रुपया तक ही वसूल हो सकता है। तो अब ५०० रु० में ६० रुपया भी वसूल न हो और केवल २० रुपया तक वसूल हो, यह कहां तक न्यायसंगत है? मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से जिनसे कर्जा लिया है जमींदारों ने, उनके कर्ज को

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

इस तरह से काट करके एक दम क़र्ज़े की डिक्री को खत्म कर दिया जाय। जो विधेयक में ३/४ हिस्सा तक वसूल करने की बात है वह बहुत मुनासिब है, बहुत सोच समझ कर रखी गयी है और आपका संशोधन न्यायसंगत नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं। साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जमींदारों के खिलाफ अन्याय की हो और जमींदारों ने क्या किया, क्या नहीं किया इन सारी बातों का यहां कोई सवाल भी नहीं पैदा होता।

मैं तो यह ताज्जुब कर रहा था कि संशोधन को उपस्थित करते समय संशोधन पर दलील न दे करके शिकायत की कहां से बात आ गयी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे किसी ने जमींदारी और जमींदारों के खिलाफ बहुत कुछ कहा हो और उसी का जवाब दिया जा रहा हो। इसमें कोई शिकायत या खिलाफत की बात नहीं है। यह तो जमींदारों को थोड़ी राहत देने के लिये उनके क़र्ज़े का स्केल डाउन करने के लिये विधेयक है। पूरी सहायता और पूरी सहानुभूति इस सकार की उनके साथ है। उनकी इस्टेट खत्म हुई है और उनको थोड़ा पुनर्वासन और अनुदान दिया जा रहा है और उसमें क़र्ज़दारों का जो कर्ज है उसका लिहाज करके उनके साथ न्याय किया जा रहा है और कर्जदारों के साथ भी न्याय किया जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि एकतर्फा कोई संकट में पड़े। इससे जमींदारों को भी कुछ राहत मिल जाती है और कर्जदारों को भी कुछ संतोष हो जाता है। इसलिये मैं नहीं समझता कि सदन यह संशोधन स्वीकार करे, यह अस्वीकार होना चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करते हुये आपके द्वारा यह प्रार्थना करना चाहता हूं और वह इसलिये कि मेरे विचार जो हैं वह मैं इस संशोधन के द्वारा इस सदन के सम्मुख रख सकता हूं और वह यह कि यहां पर बहुत वादाविवाद पहले भी हुआ और संभवतः उपाध्यक्ष महोदय इस संशोधन के संबंध में में भी होगा कि २५० रु० या उससे नीचे जो जमींदार हैं उनको सहूलियतें दी जायं। मैं आप के द्वारा इस संशोधन का विरोध करते हुये एक बात यह कहना चाहता हूं कि अगर मुझे यह चुनना पड़े कि छूट किसको दी जाय आया २५० तक या उससे नीचे वालों को दी जाय या उससे ऊपर वालों को दी जाय तो मैं उन व्यक्तियों में से हूंगा जो इस तरफ अपनी सम्मति देंगे कि २५० से ऊपर वालों को छूट देनी चाहिये और वह किसी भावना के ऊपर नहीं बल्कि तर्क और अध्ययन के भरोसे। जहां तक २५० रु० और उससे नीचे वाले जमींदारों का सम्बन्ध है अगर उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाय और उसको गौर से अध्ययन किया जाय तो ऐसा शायद ही कोई २५० के नीचे वाला जमींदार होगा जिसके पास कुछ न कुछ सीर, खेती, मौरूसी या भूमिधरी न हो। उसके पास सीर भी होगी, मौरूसी काश्तकारियां भी होंगी, भूमिधरी भी होगी और अलावा इसके छोटी-छोटी बिजनेस भी वह करता होगा। अधिकतर लोगों की बात मैं यहां पर रख रहा हूं। उसके घर के एक आध आदमी कहीं नौकरी में भी होगा और वह काम भी कर सकता है क्योंकि आज तक उसको काम करने की आदत पड़ी हुई है। खेतों में जा करके काम करना, दूकानों में काम करना, नौकरी करना, यह सब वह करता चला आ रहा है। इसलिये अगर छूट ही देनी है तो उनको देनी चाहिये जिनकी जायदाद चली गयी है और जिनके लिये कोई कारोबार पैदा करना है और वह ऐसे लोग हो सकते हैं, जो २५० के ऊपर की मालगुजारी देने वाले हैं। जो ३९० की फीगर बताई गयी है उसमें काफी लम्बी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके पास शायद ही सीर हो और उनमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जो काम करने के आदी नहीं हैं। उन्हें काम सीखने में समय लगेगा, शायद एक आध पुश्त तक काम सीखने में समय लगेगा। अलावा इसके उनके पास मौरूसी नहीं है, भूमिधरी नहीं है। तो मैं यह दलील समझ नहीं पा रहा हूं कि २५० से नीचे और २५० तक जो हैं उनके लिये बिलकुल भंडारा खोल दिया जाय। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, इसमें केवल यह चीज देखता हूं कि कहीं

१८ लाख की फीगर किताबों के भीतर देख ली गयी है और जो काफी लम्बी-चौड़ी तादाद है। इसलिये अच्छा हो कि उन तक उन का प्रचार हो जाय। अगर कहीं उन्होंने साथ दे दिया तो बड़ा बेड़ा पार हो गया। इसके अतिरिक्त कोई तर्क, आर्थिक दृष्टिकोण और मैं तो कहने के लिये तैयार हूं कि इंसाफ दिखाई नहीं पड़ता है। आज भी अगर ऐसा देखा जाय और इंसाफ से अगर कोई तहकीकात करे तो जितना अन्याय इन बड़े जमींदारों पर हुआ है उतना इन छोटों पर नहीं हुआ है। आज भी जमींदारी खत्म हो जाने के बाद जो बड़े जमींदार हैं जिनकी गिनती ३९० में होती है। उन बिचारों ने संतोष कर लिया है लेकिन जो २५० रुपये तक या इससे कम मालगुजारी वाले हैं और जिनके प्रति यह नई मुहब्बत पैदा की जाती है वह आज भी डंडा लिये खड़े हैं कि एक आध बीघा इधर उधर से खींच लें। इस तरह से खींचातानी गांवों में मची हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इस तर्क को रखता हूं तो बहुत सफाई से और निर्भिकता से रखता हूं कि अगर कुछ देना है तो २५० रुपये से ऊपर वालों को देना चाहिये जिनके पास न सीर है और न भूमिधरी है और जिन्होंने न नौकरी की है और न फिलहाल कुछ दिन कर सकेंगे और न उनके पास ज्यादा पैसा ही है। यह बात दूसरी है कि उन्होंने पहले ठीक तरह से प्रबन्ध नहीं किया। इन शब्दों के साथ-साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। अगर यह सब के लिये होता तब तो मैं खामोश हो जाता लेकिन केवल २५० रुपये वालों के लिये और इससे नीचे वालों के लिये है इसलिये जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं और सदन के उस पक्ष के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जब इस तरह का अहमियत का संशोधन आया करे तो वह भावना की दुनिया में न बहें और यह न गिनें कि तादाद कितनी है। अगर उनकी तादाद १८ लाख है तो चाहे उनके पक्ष में हो या न हो बोलना जरूरी है। इन बातों को छोड़ दें और चीज को न्याय के पलड़े पर बिठाया जाय। अब न कोई छोटा है और न बड़ा है। यह सवाल तो हमारी समझ में आता है कि देना है तो सबको दो और लेना है तो सब से लो। यह बात समझ में नहीं आती है कि २५० रुपये तक या इससे नीचे वालों को तो गंगा जी पर बैठ कर दान करें और बड़ों को फांसी पर चढ़ाया जाय और यह न देखें कि बड़ों ने क्या-क्या किया है।

क्या यह सही नहीं है कि हममें से ऐसे जमींदार हैं जो पहले भी बहुत पापुलर थे और आज भी गावों बहुत पापुलर हैं? मैं तो देखता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो हम लोगों को हराकर आज इस भवन में आये हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आज जब इतना अहम मसला पेश है तो हिसाब न लगाया जाय कि इसके पीछे १८ लाख आदमी हैं। अगर यह हमारे साथ हो जायेंगे तो हमारी तादाद बढ़ जायगी बल्कि इंसाफ के साथ कोई बात रखनी चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूं कि यह २५० रुपयों तक या उससे कम के लोगों के लिये हैं।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर २५० रुपया से नीचे-ऊपर वालों की गिन्ती की गई है। मैं इसका विरोध करता हूं। इसलिये कि देश में गरीबी है और मुल्क में कम से कम १/५ हिस्सा ऐसे तबके का है जिसके खाने-पीने का ठिकाना नहीं है। आज मैं देखता हूं कि कई रोज से यह बिल पेश है। लेकिन इन गरीबों के मुताल्लिक़ न तो किसी सोशलिस्ट भाई ने कुछ जिक्र किया और न किसी और ने किया जो सड़कों पर घूमते हैं और रिक्शा चलाते हैं उनके लिये आज कोई ठिकाना नहीं है। मैं २५० रुपये वालों का किस्सा बतलाना चाहता हूं। बड़े-बड़े जमींदारों ने इन पांच साल के अन्दर अपने नाना, चाचा, चाची, भाई, भतीजे सबके नाम इन २५० रुपयों वालों में लिखा दिये। एक आध कोई आलसी रह गया होगा।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट कर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[श्री शिवनारायण]

यह जो अमेंडमेंट आया बिलकुल बेकार है और सरकार का टाइम खराब करना है और हमारे सदन के समय का दुरुपयोग होता है। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा संशोधन पेश न किये जांय जिससे सदन का समय व्यर्थ जाता है।

अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि अब सदन का समय नष्ट करने का जिक्र न हुआ करे। क्योंकि यह कार्य अध्यक्ष का है कि सदन का ऐसा व्यर्थ समय न जाय। लेकिन मैंने इसका अभी तक कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि लोग स्वयं ही समझ लें। इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिये क्योंकि उसमें दूसरों का भी अपमान है।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, अपमान की दृष्टि से मैंने यह नहीं कहा था मुझे दुख है और मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं।

यह ढाई सौ रुपये का जो जिक्र किया गया है यहां की ढाई सौ रुपये से कम देने वाले लोगों के साथ रिआयत की जानी चाहिये। अरे, ये वही लोग हैं चाहे वे ढाई सौ के हों चाहे एक पैसे के हों, जमींदार शब्द उनके पीछे लगा था और जो जुल्म बड़े जमींदारों ने किया वही छोटों ने भी किया। मैंने आज देखा कि जो लोग यहां पर जमींदार हैं उनकी हमदर्दी उनके साथ है और उन लोगों ने चाहे वे सरकारी बेंचों के हों चाहे आपोजीशन के हों एक ही राग अलापते रहे। मैं इस सिद्धांत का विरोध करता हूं और माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन यहां पर उपस्थित हुआ है उसमें भी मैं एक संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं। यह "प्रतिकर" शब्द में चाहता हूं कि हमारे मित्र जिन्होंने संशोधन उपस्थित किया है वह उसमें से निकाल दें। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि इसके पहले भी जो हमारी इच्छा थी वह हमारे साथियों द्वारा बिलकुल प्रकट हो चुकी है कि हम रिहैबिलिटेशन ग्रांट किस सिद्धांत से देते हैं। जब जमींदारी एबालीशन की कमेटी बनी थी और उसमें गवाहियां पेश हुई थीं तो उसमें आचार्य नरेन्द्र देव जी की भी गवाही पेश हुई थी। उस समय की तमाम गवाहियों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करूं तो उसमें यह बात पायेंगे कि आज उन लोगों को जिनको हम सम्पत्ति-विहीन करते हैं और उनको जीवन निर्वाह के लिये कोई साधन नहीं रह जाता, उनको पुनः बसने के लिये रिहैबिलिटेशन ग्रांट यानी पुनर्वास अनुदान हम देते हैं। रिहैबिलिटेशन ग्रांट का सिद्धांत इसी बात से प्रस्तावित होता है इसीलिये रिहैबिलिटेशन ग्रांट शब्द वहां रखा गया। जहां तक जमींदारों को मुआविजा देने के सिद्धान्त की बात है, यह सर्व विदित है कि हम जमींदारों को मुआविजा देने के विरोधी हैं। हम नहीं चाहते थे कि जमींदारों को मुआविजा के रूप में इतनी बड़ी रकम दी जाय। जमींदारी व्यवस्था किस तरीके से यहां पर आयी, जमींदारी व्यवस्था ने हमारे सूबे में किस तरह से शासन का एक ढांचा खड़ा किया, किस तरह से जनता उसके जरिये से पीसी गयी, है, सतायी गयी इसकी एक लम्बी कहानी है जिसको हमारे सब भाई यहां जानते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि हम एक बात का एक तरीके से खंडन करते हैं और फिर आगे चल कर उसी का मंडन दूसरे शब्दों से करते हैं। यह तरीका बुद्धि विभ्रम का ही फल है।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष—कृपा करके आप अपना भाषण जारी रखें। आप बैठ गये इसलिये उन्होंने पूछ लिया।

श्री राजनारायण—तो मैं यह पूछना चाहता हूं अपने उन सम्मानित सदस्यों से जो कि आज पुनर्वास में से कुछ कटौती करना चाहते हैं कि आखिर पुनर्वास अनुदान दिया ही गया। वह तो इसलिये दिया गया कि फिर से उस आदमी को बसने की आशा हो? कोई शौकिया नहीं, कोई एक परिपाटी प्रतिपादित करने के लिये नहीं, बल्कि पुनर्वास जितना भी दिया जाता है उसमें यही सिद्धांत निहित रहता है कि जिस व्यक्ति को हम रिहैबिलिटेशन ग्रांट दे रहे हैं उस व्यक्ति के पास फिर से बसने के लिये गुंजाइश नहीं है अतः सरकार अपनी ओर से गुंजाइश कर रही है। जब हम ऐसे सिद्धांतों को उपस्थित करते हैं तो हमारे ऊपर सरकार की ओर से दोषारोपण किया जाता है कि हम तो आज जमींदारों से हाथ मिला रहे हैं। मगर मैं निहायत अदब के साथ कह देना चाहता हूं आपके द्वारा कि जमींदारों से हाथ कौन मिला रहा है और किसने बार बार मिलाया है? इसकी तरफ़ अगर सदन में बहुत चर्चा आज न हो तो अच्छा ही होगा। क्योंकि यह बात स्पष्ट हो चुकी है। अभी जब कि एक जमींदारी से सम्बन्धित बिल यहां पर उपस्थित हुआ था उस समय भी हम चाहते थे कि किसी तरीक़े से आज जो टिलर आफ़ दि स्वायल है उसको जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए मगर उस समय सरकारी बेंचों की ओर से यह कहा गया था कि टिलर आफ़ दि स्वायल कोई ट्रेसपासर के रूप में आये तो क्या जमींदार हमारे शत्रु हैं, जो ट्रेसपासर को राइट दे दें? उस समय यह तर्क सरकारी बेंचों की ओर से जब पेश किया गया तो उनको समझना चाहिये कि वे किससे हाथ मिला रहे हैं और आज जब कि यह रक़म जो क़र्ज़ के रूप में जमींदारों के ऊपर है वह किसकी रक़म है? कोआपरेटिव की रक़म नहीं, सरकार की रक़म नहीं, बैंक की रक़म नहीं, केन्द्रीय सरकार की रक़म नहीं, उसके लिये तो पहले ही इस बिल के जरिये गुंजाइश कर दी गयी है कि उनको कोई छूट नहीं होगी, तो फिर यह जो रक़म होगी यह मानीलेंडर्स की होगी जो महाजन होंगे, जो क़र्जा देने के लायक़ होंगे उन्होंने ही तो क़र्जा दिया होगा। आखिर यह रुपया जो अनुदान में कटौती कर जो उनको दिया जाने वाला है वह उन्हींके पास तो जायगा जो शोषक के रूप में चारों तरफ़ फैले हुये हैं। कोई ग़रीब जनता का यह रुपया नहीं है जिसके लिये आज बहुत बड़ी हमदर्दी दिखायी जा रही है। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर सरकार किस तरह से यह कह सकती है कि अनुदान में से अगर सोशलिस्ट पार्टी किसी की रकम को नहीं कटवाती तो वह जमींदारों से गठबंधन करती है। इसके माने मैं यही लगाता हूं कि यह केवल एक प्रोपेगंडा की बात कही जाती है। कल मोटे-मोटे अक्षरों में अखबारों में निकल जायगा (कि सोशलिस्ट आर एलाइनिंग हैन्ड कि सोशलिस्ट जमींदारों से हाथ मिला रहे हैं) विध दि जमींदारस् तो उनका यह परपज (उद्देश्य) पूरा हो जायगा। मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से चीप प्रोपेगंडा (सस्ता प्रचार) के जरिये काम चलने वाला नहीं है। एक, दो तीन कर के सारी बातें ले लें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, सर। श्रीमान् मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी बातें जब विरोधी पक्ष के माननीय नेता श्री राजनारायण जी उपस्थित नहीं थे तो प्रस्ताव के रूप में आ चुकी हैं। यह प्रस्ताव कि पुनर्वास अनुदान ढाई सौ से नीचे वाले कर्जदारों से न उसूल किया जाय भवन ने अस्वीकर कर दिया और फिर यह आया कि सबका पुनर्वास अनुदान.....

अध्यक्ष—प्वाइण्ट आफ आर्डर आपका क्या है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मुझे यह निवेदन करना है कि यह सारी बहस कि जो पुनर्वास अनुदान है इसका उसूल क्या रहना चाहिये यह विषय नहीं है। संशोधन यह है कि एक चौथाई तक वसूल हो बाकी न वसूल हो। तो इतने ही तक माननीय सदस्य अपने भाषण को सीमित रखें।

अध्यक्ष—वह तो आपका सुझाव है। यह कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर नहीं है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निहायत अदब के साथ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो पहले संशोधन था कि पुनर्वासन अनुदान से एक पैसे की कटौती न हो जब वह हमारा संशोधन गिर गया तो जब यह एक चौथाई वाला संशोधन आता है तो मेरा फर्ज होता है कि हम उसका समर्थन करें।

अध्यक्ष—मैंने तो कह दिया है कि वह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। आपको उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बात कहें।

श्री राजनारायण—मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि अगर पुनर्वासन अनुदान में से कटौती होती है तो यह अन्याय होता है। यह पुनर्वासन अनुदान के साथ अन्याय होता है, उसके कोई माने नहीं रह जाते। एक हाथ से देना और उदारता का भाव दिखाना कि हम रिहैबिलिटेशन और कम्पेनसेशन दोनों दे रहे हैं और दूसरे हाथ से उसको ले लेना यह कहा तक उचित है? माननीय सदस्य जो इसके विरोध में बोले और जो यह चाहते हैं कि पुनर्वासन अनुदान में कटौती हो, वे बतला सकते हैं कि क्या इतिहास में कोई एग्जाम्पिल (उदाहरण) है कि दोनों पुनर्वासन अनुदान और कम्पेनसेशन किसी को दिया गया हो। एक अजीब चीज उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है और करने जा रही है।

अध्यक्ष—सवाल यहां कम्पेनसेशन का या पुनर्वासन अनुदान का नहीं है बल्कि कटौती का सवाल कर्जे में से है।

श्री राजनारायण—उसी कटौती पर मैं आ रहा हूं। अगर पुनर्वासन अनुदान को कर्जे में काटा जा रहा है तो यह पुनर्वासन अनुदान और कम्पेनसेशन का सम्मिश्रण किसलिये किया गया। मैं समझता हूं कि सरकार इसका उत्तर देने में असमर्थ होगी। उसका उत्तर यही है कि किसी न किसी तरीके से एक लम्बी रकम जमींदारों को देनी थी मगर कम्पेनसेशन के सिद्धान्त को जब हम मानते हैं कि तो चाहे कोई बड़ा जमींदार हो या छोटा हो हम उसके राइट को मान लेते हैं कि हम इस भाव से दे रहे हैं और उसी भाव से सबकी कमी की पूर्ति करेंगे। इसी लिये हम कम्पेनसेशन के सिद्धान्त को नहीं मानते। हम इतना मानते हैं कि आज जिसके जीवन निर्वाह का साधन हटता जा रहा है तो मानवता के नाम पर उसको पुनर्वासन अनुदान दिया जाना चाहिये और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये उस पुनर्वासन अनुदान को कर्जे की रकम से कटौती की जाती है तो फिर पुनर्वासन का अनुदान का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वह शब्द निरर्थक रह जाता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आज मुक्त कंठ से उनको स्वीकार करना चाहिये कि यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेनसेशन का गठबंधन पुरानी प्रतिक्रियावादी नीति को छिपाने के लिये किया गया है। यह रिहेबिलिटेशन ग्रांट नहीं, एक तरह से कम्पेनसेशन ही है, केवल नाम दो रख दिये गये हैं

अध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन को सपोर्ट कर रहे हैं?

श्री राजनारायण—मैंने पहले ही कह दिया था कि "प्रतिकर या" इस में से निकाल दिया जाय तब मैं सपोर्ट कर रहा हूं।

अध्यक्ष—इस तरह का शार्तिया सपोर्ट तो नहीं होता।

श्री राजनारायण—मैंने निवेदन किया कि संशोधन जिन्होंने रक्खा है उस पर यह अमेंडमेंड रख कर "प्रतिकर या" निकाल दिया जाय, तब मैं उसका सपोर्ट करूंगा, यह मैंने पहले ही संशोधन में अमेंडमेंट कर दिया था।

मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जिन्होंने संशोधन रक्खा है वह इसमें से "प्रतिकर या" निकाल दें क्यों कि कम्पेनसेशन पहले से ही हमारी घोषित नीति में है कि हम नहीं देना चाहते।

कम्पेनसेशन की रकम को हम नाजायज समझते हैं, उसको गरीबों के ऊपर कुठाराघात समझते हैं और इस कम्पेनसेशन को देने के लिये ही १० गुना लगान का बार बोझ किसानों पर लादा गया। इसलिये हम कहते हैं कि कर्जे में कम्पेनसेशन को ले लिया जाय लेकिन रिहैबिलिटेशन के नाम से जो रकम सरकार दे रही है उससे कटौती करना रिहैबिलिटेशन ग्रांट के साथ अन्याय करना है और इस शब्द का अर्थ महत्वहीन हो जायगा। अतः २५० तक मालगुजारी देने वाले छोटे जमींदारों के पुनर्वास अनुदान से में कटौती नहीं होनी चाहिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन मेरे संशोधन में रखा है उसे मैं स्वीकार करता हूं और श्रीमन् इस संशोधन को स्वीकार करते हुए और अपने ओरिजिनल संशोधन के विरोध में माननीय सदस्यों के जो भाषण सुनने को मिले मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका उत्तर कैसे दूं। इस संशोधन का सम्बन्ध ढाई सौ रुपये से कम के मालगुजार से है। मेरी समझ में उत्तर देना इसलिये नहीं आ रहा है कि जब किसी समय सरकार यह कहती है कि बड़े जमींदार ऐसे थे, वैसे थे और छोटे जमींदारों को साथ लेकर नहीं चलते थे, कैसरबाग की बारहदरी में उनका ही एसोसियेशन था, उसमें छोटे जमींदार नहीं जा पाते थे और जब ढाई सौ रुपये से कम की बात का संशोधन रक्खा जाता है तो यह कह दिया जाता है कि बड़े जमींदार तो फिर भी कुछ अच्छे थे और छोटे जमींदार ही निकम्मे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही समझा कि निकम्मा कोई जमींदार नहीं है और एक तरह से यह प्रमाणित हो जाता है कि पोलिटिकल कांटिजेंसी को छोड़ कर, समय समय पर सरकार भी उनका साथ देती है और माननीय सदस्य लाल टोपी वाले भी साथ देते हैं। तो श्रीमन्, यह साबित हो जाता है कि हम निकम्मे थे न पापी थे, सरकार ने यह सोचा कि देश की प्रगति के लिये जमींदारी प्रथा को उठ जाना चाहिये तो उसको हटा दिया गया और जब कोई ठीक बात होती है तो भूतपूर्व जमींदारों को बचाने के लिये सरकार भी हमारा साथ देती है और उसके साथ ही साथ ढाई सौ रुपये से नीचे के मालगुजार जो जमींदार हैं जिनको मैं अपनी तरफ से बहुत गरीब समझता हूं और यह समझता हूं कि उन पर मेहरबानी की जाय, उनके प्रति हमारी सोशलिस्ट पार्टी वाले भी मदद देने को तैयार हैं तो श्रीमन् मैं आपके जरिये केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि ढाई सौ से नीचे के जमींदारों को जिनको पुनर्वासन अनुदान दिया जा रहा है उसको कटौती कर्जे में न की जाय। उसके लिये ही मैंने यह संशोधन रक्खा है और अपने संशोधन में अब तो "प्रतिकर या" भी निकाल लेना स्वीकार कर लिया है और केवल यही संशोधन रह जाता है कि ढाई सौ से नीचे वाले जमींदारों को जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट दी जाती है उसमें से कर्जे में १/४ से ज्यादा कटौती न की जाय। केवल इतना ही संशोधन है। इसमें कोई आइडियोलाजी का प्रश्न नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि १८ लाख जमींदारों का बारबार जिक्र किया जाता है। १८ लाख की बात करने से हमारा कोई संकेत चुनाव की ओर नहीं होता। अगर जमींदार इतने संकुचित हृदय के होते तो इतने कांग्रेस वाले यहां न आ पाते। मैं कोई बारगेनिंग नहीं कर रहा हूं जिससे प्रभावित होकर मेरे संशोधन को मान लिया जाय। राजस्व मंत्री से मैं आपके द्वारा कहूंगा कि सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए मेरे संशोधन को मान लिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में भाषण करते हुए विरोधी पक्ष के नेता माननीय राजनारायण जी ने यह कहा कि पुनर्वासन अनुदान और कम्पनसेशन यह दोनों सरकार साफ क्यों नहीं स्वीकार कर लेती

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

कि एक ही बात है। उनकी दलील यह है कि कम्पेनसेशन और पुनर्वासन अनुदान अलग-अलग चीज है। वह कम्पेनसेशन का तो विरोध करते हैं लेकिन पुनर्वासन अनुदान का समर्थन करते हैं और कहते यह हैं कि पुनर्वासन अनुदान को कम्पेनसेशन की तरह ट्रीट न किया जाय। यह बात माननीय राजस्व मंत्री ने, जब कि विरोधी पक्ष के नेता यहां उपस्थित नहीं थे, कही थी और स्पष्ट कर दिया था कि हम छोटे जमींदारों को कम्पेनसेशन ज्यादा देना चाहते हैं और बड़ों को कम देना चाहते हैं लेकिन संविधान के अनुसार ऐसी कोई तफरीक हम नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वैधानिक दिक्कत पैदा हो जैसी कि बिहार जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में हुई। लेकिन कम्पेनसेशन और ग्रांट पर कोई वैधानिक आपत्ति नहीं आने पाई। लेकिन वास्तव में जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट है वह एक शक्ल में कम्पेनसेशन ही है और वह कोई ऐसी रकम नहीं है कि रिफ्यूजीज को दी जा रही है या जिसको अपरूट कर दिया गया है। बल्कि जो छोटे-छोटे जमींदार हैं वह तो अपनी सीर भी रखते हैं और खुदकाश्त भी उनके पास है और वह अपना काम करते हैं। जो अर्थ रिहैबिलिटेशन ग्रांट का श्री राजनारायण जी ने लगाया है वह वास्तव में नहीं है। यह बात नहीं है कि वे अपरूटेड किये गये हों और फिर से उनको बसाने के लिये यह दिया गया हो। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। इसलिये हम जो कम्पेनसेशन दे रहे हैं उसी की शक्ल में यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट है इसका नाम अलग इसलिये रख दिया गया कि हमको कांस्टीटटूशनल दिक्कत होती थी।

अब रही बात यह कि २५० रुपये से नीचे वालों के साथ उनकी हमदर्दी है। छोटे जमींदारों के साथ हमारी हमदर्दी भी है और इसी वजह से जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की तरफ से जो पुनर्वासन अनुदान दिया गया है उसका हिसाब ग्रेडड किया गया है उसमें छोटे जमींदारों को ज्यादा मिलेगा। मैं राजनारायण जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह जमींदारों के और काश्तकारों के लेनदेन की बात को अच्छी तरह से जानते हैं और उनको इसकी काफी जानकारी है और डैट रिडम्पशन ऐक्ट पास हुआ था तो उसका जो देहात में असर पड़ा वह यह कि जमींदारों ने कर्जा लिया था और अपना खेत रेहन किया था और उन गरीबों ने रुपया लेकर रेहन लिया था और खेती करने के लिये अपना पेट काट कर रुपया जमींदारों को देकर खेत लिये थे और कर्जा इसीलिये लिया कि उनको खेत के लिये जरूरत थी। इस तरह से वह महाजन की कटेगरी में आ गये और उन गरीबों का कर्जा इस तरह से खत्म हुआ। आज भी ऐसे गरीब हैं जो सीर वगैरा रेहन रख कर जमींदारों के यहां खेत जोतते हैं। आज इस जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के जरिये से वह सीर और खुदकाश्त रिवर्ट हो जायगी। वह किसी तरह से रुपया पायेंगे? जमींदारों ने सीर लिख दी और वह सिम्पिल मारगेजी हो गये। वह काश्तकार हैं वह जमींदारों से भी गरीब है। तो क्या राजनारायण जी चाहते हैं कि मनिलैंडर के नाम पर जिन्होंने रेहन लिखाया उनका कर्जा इस हद तक मारा जाय। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ५०० रुपये का कर्जा है उसमें ६० रुपये तक भी वसूल न हो सिर्फ २० रुपया ही वसूल हो। ५०० रुपये में से स्केल डाउन करके तो किसी तरह से ८० रुपया हुआ और उसमें से तीन बटा चार बरी हो गया तो फिर २० रुपया ही उसको मिल सकता है। मैं नहीं समझता कि किसी मोटे जमींदार के साथ इतनी बड़ी हमदर्दी जो दिखाई जाती है कि उस हमदर्दी के आधार पर उन गरीबों को जिन्होंने उनको कर्जा देकर उसका खेत लिखवा लिया था उनका कर्जा एकदम खत्म हो जाय। दोनों बातों का लिहाज किया गया है। जमींदारों का कर्जा स्केल

डाउन भी किया गया है और कम्पन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट में से बरी भी कर दिया गया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी के पास इस किस्म के आंकड़े हैं कि कितना कर्जा ग़रीबों का जमींदारों के ऊपर है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कोई आंकड़े मेरे पास इस वक्त नहीं हैं लेकिन राजनारायण जी जानते हैं कि कितने काश्तकारों ने ऐसा किया है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बटा चार तो पहले ही कम्पेनसेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट में कर्जे की वसूली के लिये बरी कर दिया गया और इसके अतिरिक्त स्केल डाउन किया गया। अब इस संशोधन के जरिये आप यह चाहते हैं कि यह १/४ ही वसूल हो और बाकी सारा कर्जा खत्म कर दिया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि ढाई सौ से नीचे के सब सीर और खुदकाश्त वाले हैं और बड़े काश्तकार वे हैं। जो जोतने वाले हैं। तो इसलिये राजनारायण जी ने जो दलीलें दी हैं वे उचित नहीं हैं और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यह संशोधन कर्जा देने वालों के साथ अन्याय करता है और जमींदारों का बहुत पक्षपात करता है। जिससे जमींदारों के साथ भी न्याय हो और कर्जा देने वालों के साथ भी न्याय हो तो यही उचित है कि जिस प्रकार बिल में है वही स्वीकार किया जाय और इस संशोधन को अस्वीकार किया जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"ऐसे वाद ऋणी जिसकी मालगुजारी २५० रुपये तक रही हो के ऋण के सम्बन्ध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति होता है बन्धक किये गये अस्थान के प्रतिकर या उसके सम्बन्ध में देय पुनर्वासन अनुदान को धनराशि के विरुद्ध एक चौथाई भाग तक हो, निष्पादित (execute) की जा सकेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१५
विपक्ष में—१०३।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

* खंड ६ (क्रमागत)

अध्यक्ष—खंड ६ यदि इस समय ले लिया जाय तो माननीय राजस्वमंत्री को कोई आपत्ति तो न होगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, श्री जयराम वर्मा जी ने जो संशोधन खंड ६ में उपस्थित किया है उसमें से मुझे निम्न प्रकार से संशोधन स्वीकार है—

खंड ६ के उपखंड (१) (घ) की पंक्ति १ में शब्द और अंक "उपखंड (३)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपखंड (२)" रख दिये जायं। पंक्ति ३ में शब्द "के जोड़" निकाल दिये जायं तथा पंक्ति ४ में शब्द "गयी" और 'धनराशि' के बीच में शब्द 'समष्टि' (aggregate के अर्थ में) बढ़ा दिया जाय।

---

*१४ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन समष्टि शब्द व्याकरण के हिसाब से ग़लत है क्योंकि शब्द 'समष्टि' नाउन है लेकिन यहां हमें ऐडजेक्टिव की आवश्यकता है अतः ऐडजेक्टिव के स्थान पर नाउन शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। उसके बजाय 'राशिकृत' 'संग्रहीत' आदि में से कोई शब्द रख दिया जाता तो अच्छा होता। इसमें आप मेरी सहायता करें।

अध्यक्ष—वह तो समष्टि ठीक होगा या और कोई सही शब्द होगा, उसे आप मेरे ऊपर छोड़ दें तो मैं उसको बाद में ठीक कर लूंगा। बाकी जो और चीजें संशोधन में बतलायी गयी हैं वे आपको स्वीकार हैं? उसी पर मैं वोट लूंगा।

श्री जयराम वर्मा—जी हां, यहां कोई शब्द आ जाय और वही अर्थ निकल जाय तो मैं इससे सहमत हूं।

अध्यक्ष—एग्रीगेट शब्द कोई आ जायगा।

(कुछ क्षण पश्चात्)

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) (घ) की पंक्ति १ में शब्द और अंक "उपखंड (३)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपखंड (२)" रख दिये जायं और पंक्ति ३ में शब्द "के जोड़" निकाल दिये जायं तथा पंति ४ में शब्द "गयी" और "धनराशि" के बीच में शब्द "समष्टि" या जो उचित शब्द उसके लिये एग्रीगेट के अर्थ में हो रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८—क

बन्धों के विरुद्ध असुरक्षित ऋण के संबंध में डिक्रियों का निष्पादन।

"८—क सुरक्षित ऋण को छोड़ कर अन्य ऋण के सम्बन्ध में कोई डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त हो, वाद-ऋणी के उसके आस्थान के विषय में प्रतिकर अथवा पुनर्वासिन अनुदान के रूप में दिये गये बन्धों (bonds) की क़ुर्की या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाय तो, डिक्री को निष्पादन करने वाला न्यायालय, किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची २ में बताये हुए सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित कर देगा।"

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

वर्तमान खंड ८ क के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ८—क रख दिया जाय—

"८—क— सुरक्षित ऋण को छोड़ कर अन्य ऋण से सम्बद्ध किसी डिक्री को जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति हो, निष्पादन करने वाला न्यायालय किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची २ में बताये हुए सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित कर देगा।"

श्रीमन्, इस संशोधन द्वारा मैं यह चाहता हूं कि जो प्रबन्ध सरकार ने उन जमींदारों की कुछ मदद देने के लिये किया है जिनकी जमींदारी अब ले ली गयी है, तो वह जो ऋण का कम हो जाना है वह केवल सुरक्षित ऋण के लिये है। पर जो सुरक्षित ऋण नहीं है मेरे संशोधन से जब उनका भी पेमेंट होगा तो वह उसी अनुपात से कम हो जायगा। अनुसूची २ के अनुसार वे असुरक्षित ऋण की भी अदायगी कर सकते हैं। इस संशोधन पर मुझे कुछ अधिक निवेदन करना नहीं है। केवल इतना कहना है कि यदि किसी ऋणदाता ने किसी जमींदार को या किसी स्टेट को बन्धक रख कर ऋण दिया है तो वहां पर उसका ऋण कम हो जाता है। परन्तु यदि कोई ऐसी बात नहीं की गयी है और सुरक्षित ऋण इस कारण रखा कि किसी और प्रकार का ऋण है तो उस समय वह जो ऋणदाता है उसका कर्जा कम नहीं होता और वह उससे पूरा-पूरा फायदा उठाता है। तो जब इस उसूल को मानते हुए कि जमींदारों में अब अपने ऋण को देने की शक्ति नहीं रह गयी है और उसके ऋण को कम कर दिया जाय, जब आप इस उसूल को मानते हैं तो कर्जा चाहे सुरक्षित हो, चाहे असुरक्षित हो दोनों ही देने पड़ेंगे और यदि एक ऋण के देने की उसके पास शक्ति नहीं रह गई तो यह तो जाहिर है कि वह दूसरा ऋण भी वह नहीं दे सकता। ऐसा हो सकता है कि असुरक्षित ऋण किसी का हो किसी के ऊपर और उसका सारा प्रतिकर उसी में चला जाय तो इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि जब कि कानून लाया गया है कि जमींदारी चले जाने के बाद अब वह ऋण नहीं दे सकता तो फिर सरकार को सुरक्षित और असुरक्षित में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिये था और उसकी इजाजत देनी चाहिये कि वह अपने सुरक्षित ऋण की भी अनुसूची २ के मातहत अदायगी कर सके।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनुसूची २ के अनुसार कर्जे की कमी होगी वह सुरक्षित ऋण की ही होगी और यह न्यायसंगत भी है क्योंकि स्टेट को खतम किया गया जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के मातहत और जो कर्जा उस स्टेट पर हो उसी में कमी की जा सकती है। असुरक्षित ऋण जो सिक्योर्ड डेट नहीं है और जिसे स्टेट पर नहीं लिया गया है उसके संबंध में यह न्यायसंगत नहीं है कि कर्ज में कमी की जाय जैसा कि इस संशोधन के प्रस्ताव-कर्ता महोदय की इच्छा है। सुरक्षित ऋण के लिये ही इस अनुसूची के अनुसार इतनी सुविधा दी गई है कि अगर वह कम्पेनसेशन से या पुनर्वासन अनुदान से वसूल करना चाहे तो वसूल कर सकता है दूसरे किसी तरीके से वसूल नहीं कर सकता और अगर असुरक्षित ऋण के लिये यह सुविधा दे दी जाय तो वह उतना ही वसूल कर पायेगा और किसी दूसरे तरीके पर नहीं कर सकेगा और उसकी भरपाई हो जायेगी। इस के लिये उसका स्केल डाउन करना उचित नहीं है क्योंकि जो सिक्योर्ड डेट है वह स्टेट पर लिया गया है और असुरक्षित ऋण है जो अनसिक्योर्ड है वह स्टेट पर नहीं लिया जाता है इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सुरेश प्रकाश जी ने पेश किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने राजस्वमंत्री जी का भाषण सुना। मैं यह कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि सुरक्षित ऋण स्टेट के ऊपर दिया गया है और वह सिक्योर्ड कर्जा है और उसके स्केल डाउन करने का प्राविजन इस बिल में है लेकिन जो अनसिक्योर्ड डेट है उसके लिये रुपया इस्टेट पर नहीं दिया गया, बल्कि जातियात व्यक्तिगत हैसियत पर दिया है इसलिये उसको स्केलडाउन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं श्रीमन् सरकार को बतलाना चाहता हूं कि आदमी की हैसियत उसके स्टेट, जमीन, या उसकी जायदाद के ऊपर ही देखी जाती है और उसको देखकर ही कर्जा कोई देता है।

[राजा वीरेन्द्र शाह]

लिखने का तरीका अलग अलग होता है लेकिन कर्जा सब हैसियत देखकर दिया जाता है। कोई व्यक्तिगत मोटे पतले दुबले आदमी को देखकर कर्ज नहीं देता सब हैसियत जायदाद जमीन या मकान वगैरह देखकर कर्जा देते हैं। तो श्रीमन्, जहां मंत्री जी ने सुरक्षित ऋण को स्केल डाउन किया है वहां इसको अनसिक्योर्ड डेट को भी स्केल डाउन करने के लिये तैय्यार हो जायं, और यदि यह नहीं किया जाता है तो इससे जिन छोटे जमींदारों ने प्रोनोट पर रुपया लिया है उनको तकलीफ होगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर प्रोनोट लिखे हैं या परसनल बांड के ऊपर लिया है। अगर हमारे संशोधन को सरकार ने मंजूर नहीं किया तो यह नतीजा होगा कि उनसे पूरा रुपया वसूल कर लिया जायगा और उनको तकलीफ होगी। बड़े-बड़े जमींदारों के कर्जे तो सब सुरक्षित हैं, लेकिन छोटे-छोटे जमींदारों ने प्रोनोट लिख दिया। वह अनसिक्योर्ड लोन हो जायगा उससे तकलीफ होगी।

जहां तक राजस्व मंत्री जी यह कहते हैं कि हमने यह रखा है कि फिर वह दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन मैं सरकार को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि कोई दूसरा तरीका महाजन नहीं अख्तियार करेगा जो सरकार समझती है कि वह जेल भेजना चाहेगा। ऐसा नहीं करेगा। अगर करेगा तो कर्जदार भुगतेगा। उसकी परवाह सरकार को नहीं करनी चाहिये।

अगर सरकार जांच करे तो मालूम होगा कि प्रोनोट में सूद तो आठ आने का लिखाया और दो सौ की जगह पांच सौ का प्रोनोट लिखाया है। ये तो चीजें ऐसी हैं जो उनके साथ में रियायत करना मैं उचित नहीं समझता हूं।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करेंगे। इससे छोटे जमींदारों को बहुत सुविधा होगी।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन को अस्वीकार करते हुये सरकार की ओर से जो कहा गया है मैं उससे इसलिये प्रभावित न हो सका कि यहां पर केवल सवाल इसका नहीं है कि यदि जमींदारी ले ली गयी है तो जमींदारी के ऊपर जो कर्जा सरकार ने कम कर दिया है और सरकार को यह लायबिलिटी थी। उसने ऐसा कर दिया। श्रीमन् सवाल यह है कि जमींदारी खत्म हो जाने के बाद खास तौर से छोटे जमींदारों के पास क्या रह गया है जिससे वह अपना कर्जा अदा कर सके, और उसके बाद मैं ऐश नहीं कह सकता लेकिन आराम की जिन्दगी बसर कर सके जिसका सबको हक है। श्रीमन्, मान लीजिये कि कोई ऐसा छोटा जमींदार है जिसका एक मकान लखनऊ या बाराबंकी या किसी शहर में है उसका ७५ या ८० रुपये माहवार किराया आता है। अब अगर उसका मकान असुरक्षित ऋण की अदायगी में नीलाम हो जाय तो वह जमीदार जिस की जमींदारी ले ली गयी, और जिसे प्रतिकर भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है और उसकी बसर ७५ या ८० रुपये पर होती थी, वह भी हाथ से निकलता है तो श्रीमन् एकतरफा न्याय नहीं हुआ करता। न्याय केवल इसमें नहीं है कि सुरक्षित ऋण को ही कम किया जाय क्योंकि जैसा कि मैंने निवेदन किया असुरक्षित ऋण देने में ही जमींदार तबाह हो सकता है या उसकी जीविका के लिये कोई चीज रह गयी हो वह भी बिक सकती है और यह केवल इसीलिये हुआ है कि सरकार ने जमींदारी उन्मूलन किया। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि सचमुच न्याय इसमें है कि सुरक्षित और असुरक्षित दोनों ही ऋण कम हो जायं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—और कुछ विशेष कहना नहीं है। जो बातें थीं मैंने पहले ही कह दीं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड ८—क के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ८-क रख दिया जाय

"८—क—सुरक्षित ऋण को छोड़ कर अन्य ऋण से संबद्ध किसी डिक्री को जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति हो, निष्पादन करने वाला न्यायालाय किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी अनुसूची २ में बताये हुये सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित कर देगा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह शाब्दिक संशोधन है श्रीमन्, मैं इसे पेश करना चाहता हूं कि खंड ८-क की प्रथम पंक्ति के शब्द "के" के स्थान पर शब्द "से" रख दिया जाय यह केवल भाषा का है ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८-क की प्रथम पंक्ति के शब्द "के" स्थान पर शब्द "से" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८-क इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खंड ८—ख

श्री भगवान सहाय—श्रीमन्, मैं ३८ नम्बर को न पेश करके ३९ को पेश करना चाहता हूं ।

खंड-क के बाद निम्नलिखित नया खंड ८-ख बढ़ा दिया जाय-

"प्रत्येक जमींदार ऋणी को वही सब सुविधायें और अधिकार प्राप्त होंगे जो कि एक कृषि कर्त्ता (Agriculturist) को धारा ६० (e) (उत्तर प्रदेश) सिविल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत प्राप्त हैं ।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आन प्वाइंट आफ़ आर्डर । श्रीमान् अध्यक्ष महोदय इस समय जो संशोधन उपस्थित किया गया है यद्यपि शब्द भिन्न हैं, लेकिन बिल्कुल इस संशोधन का अर्थ यही है कि जो श्री नारायण दत्त तिवारी ने संख्या १९ पर संशोधन उपस्थित किया था कि किसी की परमानेंट रेजीडेंस इस डिक्री में ।

अध्यक्ष—निवास स्थान वाला जो है वह तो अड़तीसवां है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं उंतालीसवें पर ही कह रहा हूं । इस संशोधन के संबंध में श्री नारायण दत्त जी द्वारा पेश किये गये १९ संख्या वाले संशोधन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस संशोधन का भी यही अर्थ है कि किसी की परमानेंट रेजिडेंस क़र्ज़े में न ली जाय, न उसको नीलाम किया जाय यानी धारा ६० जो सिविल प्रोसीजर कोड की है उसके अनुसार जो सुविधायें हैं वह सब दी जायं । वह यह है कि काश्तकारों के मकान सुरक्षित रखे गये हैं, नीलाम नहीं होते हैं तो इस विधेयक के अनुसार भी कोई मकानात नीलाम न किये जायं । धारा ६० की सुविधा देने का यही अर्थ हुआ ।

अध्यक्ष—६० (सी) में मकान के अलावा और सुविधायें हैं क्या ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—हां और सुविधायें हैं ।

अध्यक्ष—सब सुविधायें माननीय नारायण दत्त जी वाले में नहीं थीं। वे सब सुविधायें चाहते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यदि सब सुविधायें चाहते हों तो साफ़ कह दें।

अध्यक्ष—६० (सी) वाली आप सब सुविधायें चाहते हैं या केवल मकान की सुविधा चाहते हैं ?

श्री भगवान सहाय—मैं सब सुविधायें चाहता हूं। श्रीमन्, जहां तक मेरे संशोधन का सवाल है, मेरा ख़्याल है कि माननीय मौर्य जी समझे नहीं हैं। माननीय नारायणदत्त जी का जो संशोधन था वह बन्धक की गयी सम्पत्ति के संबंध में था। मेरा संशोधन उससे ज्यादा व्यापक है। मेरा संशोधन यह है कि प्रत्येक जमींदार ऋणी को वही सुविधायें और अधिकार प्राप्त होंगे जो कि एक कृषि कर्त्ता को धारा ६० (c) (उत्तर प्रदेश) सिविल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत प्राप्त हैं। तो मेरे संशोधन में और जो उनका संशोधन था उसमें फ़र्क़ है।

अध्यक्ष—आप अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री भगवान सहाय—श्रीमन्, मैं अर्ज यह कर रहा था कि संशोधन जो मैंने पेश किया है इसके पेश करने का मेरा उद्देश्य यह था कि जो ऐसे कर्ज़े हों, जिनमें मकान मार्गेज्ड हो उन क़र्ज़ों के अन्दर भी जमीदार का मकान नीलाम न हो। सब से बड़ा सवाल श्रीमन्, यह है कि जैसा मैंने डिसेंटिंग नोट दिया है कि मैं उसूलन इस बात को समझता हूं कि हर आदमी को हक़ होना चाहिये कि उसका मकान क़र्ज़ से बरी रहे। जिस तरीक़े से बहुत से क़र्ज़ों में आदमी की रोजी कमाने वाले टूल्स नीलाम नहीं हो सकते उसी तरीक़े से मेरे कहने का मतलब यह है कि हर नागरिक को हक़ होना चाहिये कि उसकी जरूरियात की चीजें यानी रोटी, कपड़ा और उसके सिर पर साया उसे मिले। यह श्रीमन् कहा जायगा और कहा गया है कि बहुत से ऐसे जमींदार हैं जिनको यह जो पहले दफ़ायें आयी हैं उनके अन्दर राहत दी गयी है लेकिन अगर ग़ौर से देखा जाय तो यह बात साफ हो है कि बहुत से जमींदार ऐसे भी हैं जो शहर में रहते हैं और शहर के उनके मकान ऐग्रीकल्चर रिलीफ ऐक्ट के मातहत शुमार नहीं होते। श्रीमन्, यह भी सवाल आता है कि जमींदार की हैसियत उस क़र्ज़े को देने की है या नही है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जब उसकी रोजी का जरिया ले लिया, उसकी वह चीजें ले लीं जिनसे कि वह क़र्ज़ा की अदायगी करता और वह भी उसके कुसूर पर नहीं बल्कि जमाने की मांग पर तो यह अनुचित होगा कि वह मकान जिसमें वह रहता है ले लिया जाय। बहुत से ऐसे मामले भी हैं जिनमें छोटे जमींदारों के भी मकान शहरों में हैं या ऐसे हैं जो कि ऐग्रीकल्चर रिलीफ़ ऐक्ट के मातहत रिलीफ़ मिलता, उसमें नहीं आते हैं, तो फिर मैं यह कैसे मान लूं कि इस तरह से जो मकान हैं वे सब बड़े आदमियों के हैं। यह मैं मान लेता हूं कि इससे बहुत से ताल्लुकदारों को, जिनके मकान शहरों में हैं, रिलीफ मिलती है लेकिन बहुत से ऐसे छोटे जमींदार भी हैं जिन्होंने शहरों में मकान बना लिये हैं और उनके मकान भी सुरक्षित नहीं रहते हैं क्योंकि वे खेती नहीं करते हैं। फिर सवाल यह है कि वे खेती नहीं करते हैं इसलिये उनको राहत न दी जाय यह ग़लत सी बात है। राहत उनको इसलिये मिलनी चाहिये और मकान उनका इसलिये छूटना चाहिये क्योंकि उनकी कैपिसिटी अब पे करने की नहीं है। उनके अदा करने के जरिये खत्म कर दिया है और इसी बिना पर मैंने यह संशोधन रखा है कि ऐसे जमींदारों को राहत मिले। मैं मानता हूं कि ऐसे जमींदारों की संख्या बहुत कम होगी। लेकिन जहां कमी और ज्यादती का सवाल है।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य केवल मकान के लिये ही कह रहे हैं।

श्री भगवान सहाय—श्रीमन् और चीज के लिये भी कहता हूं और जो रहा सिविल प्रोसीडयोर कोड की धारा ६० सी दी गई है वह मिलनी चाहिये और मकान का भी सवाल है। आगे चलकर में और चीजों के बारे में कहूंगा।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि एक जमींदार शहर में रहता है जिसकी फैक्टरी है और वह ५ बीघे की मालगुजारी देता है। जमींदारी खत्म हो गई तो आपके संशोधन के मुताबिक क्या उन लोगों के मकान शहर में बचते हैं या नहीं ? लाखों जमींदार शहर में ऐसे हैं।

श्री भगवान सहाय—श्रीमन् राजस्व मंत्री जी ने जो सवाल पेश किया है मैं उनके तर्क को मानता हूं। हो सकता है कि ऐसे केसेज हो और यह भी हो सकता है कि ऐसे केसेज लाखों हों। लेकिन जैसा कि मैं बतलाता हूं ऐसे केसेज ज्यादा होंगे। यह माने, क्यों मान ले, किस तरह से मान लिया जाय इस बात को कि ऐसे ही जमींदार शहर में होंगे जिनकी फैक्टरी है। ऐसे भी जमींदार है जो किसी बजह से गांव छोड़ कर शहर चले आये हैं और उनके पास कोई जरिया नहीं है अगर है भी बहुत छोटा है। यह फैक्टरी वाले जमींदार तो मुझे यकीन है मुश्किल से दो चार ही होंगे। जिस प्रकार के जमींदारों का मैं जिक्र कर रहा हूं वह बहुत से हैं। महज इस बिना पर कि वह शहर में रहते है और उनका एक मकान है। इसी बिना पर मैं इसको अपोज करता हूं।

अब श्रीमन् हमे देखना यह है कि मकान एक जरूरियात की चीज है ऐसी चीज है जिस के बिना आदमी नहीं रह सकता है और इसके कांसीक्वेंसेज बहुत सीरियस हैं अगर आदमी के मकान हो जाये।

अध्यक्ष—आप बार बार दुहरा रहे है। कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो बतला दीजिये और कौन सी सुविधा की चीजें है वह बतलाइये क्योंकि मकान के ऊपर तो काफी बहस हो चुकी है।

श्री भगवान सहाय—श्रीमान् सवाल यह है कि जब मकान नहीं रहेगा, और बातों पर मैं आगे आऊंगा। इस समय इस बात को क्लेरीफाई कर दूं श्रीमन् कि जब उसके पास मकान नहीं रहेगा तो उसकी क्या हालत होंगी। विक्टर ह्यूगो के नाविल में जैसे जीन बेजीन की हुई नही होगी वह कहीं जा नहीं सकता था वही हालत इन जमींदारों को हो जायगी

अध्यक्ष—माननीय सदस्यों की बुद्धि पर आना विश्वास कीजिये कि मकान के जाने का क्या परिणाम होता है यह माननीय सदस्य समझते है।

श्री भगवान सहाय—श्रीमन् मुझे उनकी बुद्धि पर तो विश्वास है लेकिन इससे मकान की कमी पूरी नहीं होती है अगर हो जाती तो मैं समझता हूं और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस संशोधन को लाने की जरूरत न पड़ती। मैं ज्यों ज्यों इसके कांसीक्वेंसेज में देखता हूं हैरान हो जाता हूं। अगर कांसीक्वेंसेज सोचे जांय तो यह कोई साधारण सी बात नहीं है। आदमी को वे मकान करने के माने यह हो जाते है कि मैं.....

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इसको दोहराने की कृपा न करें। इशारा काफी हो चुका है।

श्री भगवान सहाय—श्रीमन् इसे दुहराना नहीं चाहता हूं मैंने जो संशोधन रखा है उसे अगर गौर से पढ़ा जाय तो मैंने जमींदारों के लिये वही राहत मांगी हैं जो कि सिविल प्रोसीडियोर की धारा ६० सी में हैं। मैं चाहता हूं कि मैंने अपने संशोधन के सिलसिले में जो दलीलें पेश की है मैं उनको दुहराना नहीं चाहता हूं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये वह इन सब राहतों के मुस्तहक हैं और उन्हे वे मिलनी चाहियें और उसको मिलना चाहिये।

[श्री भगवान सहाय]

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें और मेरे संशोधन को मान लें ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१५ अक्तूबर, १९५२ ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी क

(देखिये १५ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८५ पर)

क्र. सं.	जिसके यहां चोरी हुई	माल जो चोरी किया गया
१	जिलाधीश के चपरासी डाल चंद (आऊट हाऊस)	१३१ रु० ४ आना के कपड़े व बरतन।
२	श्री के० के० सिंह असिस्टेंट इञ्जीनियर (ट्यूब वेल्स)	८८२ रु० नक़द एक पिस्तौल और कुछ कपड़े।
३	श्री राम नारायण सिंह डी० एस० पी०	१९९५ रु० की क़ीमत के कपड़े और जेवरात।
४	श्री आर० एल० शर्मा, डिप्टी कलेक्टर के नौकर के यहां (आऊट हाउस)	६५ रु० की कीमत के कपड़े व नकदी

अध्यक्ष प्रदेश विधान सभा

नत्थी ख

(देखिये १५ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९० पर)

श्रमायुक्त कानपुर द्वारा सुधार किये गये हातों की सूची

क्र० सं०	हाता का नाम	टट्टियों का निर्माण और अन्य कार्य
१	२	३
१	राजा बाबू का हाता, जूही	नालियां ठीक की गईं।
२	बीबी का हाता, जूही	६ टट्टियां। यह टट्टियां हाता के मालिक ने बनवाई हैं।
३	बद्री प्रसाद का हाता, जूही	गली पक्का कराना।
४	प्रमेशचन्द्र का हाता, ग्वालटोली	८ टट्टियाँ
५	लल्लूबाबू का हाता, दर्शनपुरवा	४ ,,
६	सत्यनारायण का हाता, दर्शनपुरवा	८ ,, नालियां और गली को पक्का कराया।
७	राम सिंह का हाता, दर्शनपुरवा	२ टट्टियां
८	परमेश्वरी देवी का हाता, कर्नलगंज	२ ,,
९	रूकाना कुंवर का हाता, कर्नलगंज	४ ,,
१०	रामेश्वर दयाल का हाता, दर्शनपुरवा	नालियों और गलियों को पक्की कराया।

नगर सुधार बोर्ड कानपुर द्वारा सुधार किये गये हातों की सूची

क्र. सं.	हातों का पता	उनका सुधार विवरण	टट्टियां
१	२	३	४
१	८५/१६४ लक्ष्मीपुरवा (रामेश्वर खेरेश्वर का हाता)	नालियों और गलियों का सुधार	
२	८५/६७ झकरकटी (रोलिंग मिल्स का हाता)	नालियों और गलियों को ठीक कराना तथा पानी के दल की व्यवस्था।	३ टट्टियां
३	३६३ कौशलपुरी (लोमड़ीवाला हाता)	,, ,,	४ ,,
४	८४/८३ जी० टी० रोड़ (सकेरा स्टेट)	नालियों और गलियों को ठीक कराया गया।	
५	हड्डी गुदाम, दलेल पुरवा	नालियों और गलियों का सुधार तथा पानी की व्यवस्था।	

क्र. सं.	हातों का पता	उनका सुधार विवरण	टट्टियां
१	२	३	४
६	२६/१०७ रोटी गुदाम (गुर प्रसाद का हाता)	पानी की व्यवस्था]	
७	९/१८ ए०, कर्नलगंज	एक पानी के नल की अधिक व्यवस्था।	
८	९/३९ बेना फाबर	,, ,, ,,	
९	१२/४००, ग्वालटोली	पानी की व्यवस्था	
१०	२२८, कौशलपुरी	,,	
११	३०३, कौशलपुरी	,,	
१२	३०५, कौशलपुरी	,,	
१३	१६/३१, सिविल लाईन्स	एक ग्राम पानी के नल की व्यवस्था।	
१४	९६/६, डी० परेट	पानी की व्यवस्था	
१५	७२२, कौशलपुरी	,,	
१६	के० एन० ११०, दर्शनपुरवा	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—११५ एल ए—१९५२—८५०